ISBN : 978-81-966958-1-1

स्व अध्ययन सामग्री
Self -Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल – 1

स्वैच्छिकता : अवधारणा एवं पृष्ठभूमि

(Voluntairsm : Concept and Background)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट सतना (म.प्र.) 485334

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन)
35, राजीव गांधी भवन, द्वितीय खण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002

ISBN : 978-81-966958-1-1

मॉड्यूल – 1स्वैच्छिकता : अवधारणा एवं पृष्ठभूमि

संस्करण 2022

अवधारणा :

श्री बी.आर. नायडू, महानिदेषक
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

मार्गदर्शन :

डॉ. जितेन्द्र जामदार, उपाध्यक्ष
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल
श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल
डॉ. भरत मिश्रा, कुलपति
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ, धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय,कार्यपालक निदेषक
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

लेखकः

डॉ देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पादक मण्डल :

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ. अमरजीत सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ. अजय आर. चौरे, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ. जयशंकर मिश्र, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव,महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पर्क : हेल्पडेस्क चित्रकूट – 07670–265627, हेल्पडेस्क भोपाल – 0755–2660203

वेबसाईट : www.cmcldp.org, **ई–मेल** :cmcldpcourse@gmail.com
लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल :http://web700.128.202.new.ocpwebserver.com/
लर्निंग एप्प :

कॉपीराइट : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

आभार : इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों तथा वेबसाईट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार।

ISBN : 978-81-966958-1-1

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

दिनांक:- 16-06-2022
पत्र क्रमांक - 641/22

संदेश

प्राचीन काल से हम मानते आए हैं कि विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने शिक्षा को समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 निर्मित एवं अंगीकृत की है।

मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। इस क्रम में मध्यप्रदेश सरकार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना और मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद जनभागीदारी आधारित विकास के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयत्नशील है। राज्य सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के संदेश के साथ विकास का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति को प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) संचालित कर रही है। इसके तहत समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का निर्माण और संचालन प्रारंभी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य समाज में वंचित और उपेक्षित समुदाय को शासकीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाकर समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित समूह तैयार करना है और सामाजिक कल्याण और लोगों की सहायता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।

कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता सरकार और वंचित लोगों के बीच सेतु का काम करते हैं। यह कोर्स उन लोगों के लिए अनुकूल है जो समाज के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आगामी माह जुलाई 2022 से सत्र 2022-23 में पाठ्यक्रम अतर्गत बी.एस.डब्ल्यू.एवं एम.एस. डब्ल्यू की कक्षाएं प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में स्थित अध्ययन केंद्रों पर आरम्भ होने जा रही हैं।

मुझे आशा है कि यह कोर्स बी.एस.डब्ल्यू.(बैचलर ऑफ सोशल वर्क) एम.एस. डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) प्रदेश के 313 विकास खण्डों में अध्ययन-सह-प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से संचालित होगा और सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं को सफलता प्राप्त होगी।

हार्दिक शुभकामनाएं।

(शिवराज सिंह चौहान)

ISBN : 978-81-966958-1-1

प्रो. भरत मिश्रा
कुलपति
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय
विश्वविद्यालय, चित्रकूट

संदेश

सुप्रसिद्ध समाज सेवी भारतरत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के दूरदर्शी प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा चित्रकूट में पुण्य सलिला माँ मंदाकिनी के सुरम्य तट पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 12 फरवरी 1991 को एक पृथक अधिनियम 9, 1991 के द्वारा देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में हुई। विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है–**'विश्वं ग्रामे प्रतिष्ठितम्'** अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है। सर्वांगीण ग्राम्य विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विगत तीन दशकों से विश्वविद्यालय अपनी सम्पूर्ण रचनात्मक ऊर्जा का विनियोग कर रहा है। निर्धन के मित्र, विकास के चिंतक और शासन के सहयोगी के रूप में विश्वविद्यालय ने अपनी उल्लेखनीय सेवायें प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित की हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से समाज कार्य के स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने इस कार्य का शुभारम्भ शैक्षणिक सत्र 2015–16 से किया था। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में अब तक एक लाख पच्चीस हजार से अधिक छात्र पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। पाठ्यक्रम की उपलब्धियाँ सहज ही गौरव की अनुभूति कराने वाली हैं।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' के युगान्तरकारी प्रावधानों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन करने का शंखनाद कर दिया है। हमारा प्रदेश इसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। हमारा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रावधानों को इस पाठ्यक्रम से अर्थपूर्ण रूप में जोड़कर इन्हें सत्र 2022–23 से पुनः संशोधित–परिवर्धित रूप में प्रारम्भ करने जा रहा है। पाठ्यक्रम यद्यपि दूरवर्ती पद्धति से संचालित है, किन्तु नियमित संपर्क कक्षाओं के आयोजन, उच्च गुणवत्ता की स्व–अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षार्थी को 'लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टेम (एल.एम.एस.)' और 'स्मार्ट फोन' पर एक्सेस करने वाले एप्प के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य गांव–गांव में विकास की क्षमता और समझ रखने वाले परिवर्तन दूतों को तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के केन्द्र में भी है और 'संगच्छत्वम् सम्वदत्वम्' की अवधारणा वाले मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् के क्रिया–कलापों के केन्द्र में भी है। समान अवधारणा और कार्यक्रमों से ग्राम्य जीवन को पुष्पित–पल्लवित करने वाले इन संस्थानों का मणि–कांचन संयोग प्रदेश के विकास परिदृश्य के लिए अनुकूल और अनुकरणीय होगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रशासकों, समन्वयकों और अन्य सभी को मेरी मंगलकामनाएँ!

प्रो. भरत मिश्रा

ISBN : 978-81-966958-1-1

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हों और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

बी.एस.डब्ल्यू. प्रथमवर्ष के सैद्धांतिक विषयों की कढ़ी में यह द्वितीय प्रश्नपत्र है। इस अध्ययन सामग्री को पढ़ कर आप समझ पायेंगे कि स्वैच्छिकता का विकास भारत से लेकर पश्चिमी देशों तक किस प्रकार से हुआ। इससे आपकी बहुत सी जिज्ञासाएँ परिपूर्ण होंगी एवं समाजकार्य के प्रति नवीन जानकारियों में वृद्धि होगी।

इस मॉड्यूल से आप स्वैच्छिक क्षेत्र एवं देश में स्वतन्त्रता पूर्व और बाद में किए गए स्वैच्छिक कार्य के स्वरूप को समझ सकेंगे। इस मॉड्यूल में नाना जी देशमुख तथा टैगोर के दर्शन और प्रयोग पर जानकारी प्रदान की गयी है। इस मॉड्यूल के माध्यम से आप स्वैच्छिक संगठनों हेतु विभिन्न विधिक प्रावधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस मॉड्यूल की जानकारी एवं प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान आपके लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली सिद्ध होगा। अतः शुभकामनाओं के साथ पठनपाठन की इस सतभागी प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

ISBN : 978-81-966958-1-1

मॉड्यूल–1 स्वैच्छिकता : अवधारणा एवं पृष्ठभूमि
(Voluntairsm : Concept and Background)

इकाई–1 : स्वैच्छिकताः परिचय, स्वैच्छिक क्षेत्र एवं गतिविधि

1.1 अवधारणा, अर्थ, परिभाषा,
1.2 स्वैच्छिक क्षेत्र, स्वैच्छिक गतिविधि वर्तमान सन्दर्भ में स्वैच्छिकता
1.3 स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता, विशेषता एवं भूमिका
1.4 स्वैच्छिक क्षेत्रः लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ, भारत में स्वैच्छिकता
1.5 शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी, स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार

इकाई–2 : ऐतिहासिक पृश्ठभूमि

2.1 भारत में आजादी के पूर्व के स्वैच्छिक कार्य,
2.2 विष्व के प्रमुख स्वैच्छिक कार्य
2.3 आजादी के पश्चात किये गये स्वैच्छिक कार्य,
2.4 स्वैच्छिक कार्य का वर्तमान स्वरूप एवं परिदृष्य
2.5 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अधिकार आधारित सामाजिक विकास

इकाई–3 : स्वच्छिक संगठनों का विजन और मिशन, नानाजी और टैगोर का दर्शन और प्रयोग

3.1 स्वैच्छिक संगठनों का विजन और मिशन
3.2 विजन निर्माण के तत्व एवं विजन की विशेषताएं
3.3 स्वैच्छिक संगठनों के मिषन का तात्पर्य
3.4 ननाजी देषमुख का चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय पर विजन
3.5 रवींद्रनाथ टैगोर का ग्राम विकास का दर्शन और प्रयोग

इकाई–4 : औपचारिक स्वैच्छिक कार्य

4.1 स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ, परिचय, उद्देश्य
4.2 स्वैच्छिक संगठनों हेतु विधिक प्रावधान,
4.3 समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं चुनौतियां
4.4 स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाए गए कदम
4.5 पंचवर्षीय योजनाओं में स्वैच्छिक संगठन

इकाई–5 : केस अध्ययन

5.1 जन अभियान परिषद
5.2 नानाजी का आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन
5.3 सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम मोहद जिला नरसिंहपुर में किया गया कार्य
5.4 अरूण त्यागी द्वारा सीधी एवं अन्य आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में किया गया कार्य
5.5 दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा चित्रकूट में विकास का समन्वित मॉडल

ISBN : 978-81-966958-1-1

इस मॉड्यूल के अध्ययन से निम्नवत क्षमतायें/कौशल विकसित होंगे –

- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी में स्वैच्छिक कार्य की परिचयात्मक समझ विकसित होगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास होगा जो समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का प्रयास करेगा।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी में स्वैच्छिक कार्य से सम्बन्धित अन्य अवधारणाओं की समझ विकसित होगी और वह विभिन्न मिलते जुलते शब्दों में अन्तर कर कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होगा।
- सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में समुदाय के सभी लोगों को जोड़ना आवश्यक है। विशेष रूप से स्थानीय समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। इस लिए इसके अध्ययन से विद्यार्थी में स्वैच्छिक कार्य के प्राचीन परम्परागत एवं वैज्ञानिक/व्यावसायिक स्वरूप को समझने में सहायता मिलेगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी में स्वैच्छिक कार्य की दार्शनिक अवधारणा एवं स्वैच्छिक कार्य के मौलिक मूल्यों की समझ विकसित होगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी अपने कार्यक्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य को सीख जाएगा जिससे वह समुदाय की समस्याओं का समाधान कर सकेगा।

मॉड्यूल की सतत विकास लक्ष्यों से सबंद्धता

- समाज कार्य के इस पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक कार्य एक प्रमुख मॉडल है। सतत विकास लक्ष्य में भी मानव निर्माण की बात कही गयी है, जो 21 वी सदी की विभिन्न समस्याओं के समाधान में मील का पत्थर साबित होगा। स्वैच्छिक कार्य के माध्यम से विकाकस कार्य सुगम होता है।

शासकीय विभागों एवं योजनाओं से संबद्धता

- पंचायत राज विभाग,जन अभियान परिषद/आजीविका मिशन/स्वास्थ्य मिशन।
- समाज कल्याण विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग।
- स्वैच्छिक संगठन एवं औद्योगिक संगठन।
- शैक्षणिक संस्थाएं।
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित समस्त हितग्राही मूलक योजनाएँ जिनमें स्वैच्छिक संगठन शामिल होते हैं।
- शासकीय विभागों की गतिविधियाँ एवं योजनाओं को समुदाय स्तर पर सामूहिक सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित कराने में सहयोग।

इंटर्नशिप/व्यावहारिक कार्य अभ्यास

- समाज कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आपको स्थानीय स्तर/सम्बन्धित जिले के शासकीय विभाग या उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कार्य क्षेत्र में आप इसका व्यावहारिक उपयोग कर सकेंगे।

ISBN : 978-81-966958-1-1

विषय प्रवेश

स्वैच्छिक संगठन– स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने तथा स्वयं–सेवी संगठनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई और डा0 दुर्गाबाई देशमुख को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया।

स्वैच्छिक संगठनों के बारे में विद्वानों में विभेद है। एक ओर जहाँ पेत्रास और वेल्तमेयर (2006), आम्बरी (1998), मीनाक्षी (2004), प्रसाद (1998) इत्यादि ने स्वैच्छिक संगठनों संगठनों के गैर–सरकारी कार्य, उनके ताकतों के प्रभाव का वर्णन किया तो दूसरी तरफ ओ.ई.सी.डी. (1988), इलियट (1987), फर्नाण्डीज (1987) तथा मिश्र (2006) ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे सेवा कार्य को गरीब तबके के हित में बताया तथा ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

वर्ष 2013 के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक प्रतिवेदन के अनुसार ''कुछ विदेशी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन भारत के आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का व्यक्तव्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने विज्ञान पत्रिका को दिये गये साक्षात्कार में दिया जब उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक संगठन विदेश से पैसा लेते हैं तथा भारत में कृषि, बिजलीघर एवं अन्य परियोजनाओं का विरोध कर रुकवाते हैं।

संगठन से तात्पर्य लोगों के एक ऐसे समूह से है जो संगठित हो गैर–सरकारी हों, औपचारिक हों एवं स्व–संचालित हों अर्थात संगठन के सदस्य इसे संचालित करने के लिए नियम व नीतियाँ बनाते हों। ऐसे संगठन समुदाय में कल्याण कारी एवं विकासात्मक कार्य करते है। ये अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करके स्वप्रेरणा से समुदाय में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने आदर्श एवं मूल्य होते हैं तथा ये सकारात्मक बदलाव से होने वाले लाभ को समुदाय के बीच बाँटते है।

भारत में स्वैच्छिक संगठनों को अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नागर समाजए गैर सरकारीसंगठन के नाम से जाना जाता है। गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण विभिन्न अधिनियम यथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट, 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, कम्पनी अधिनियम 2013 को धारा 8, रिलिजियस इन्डोयमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबुल एण्ड रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्ट 1959 इत्यादि के अंतर्गत किया जा सकता है।

बहुत सी संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन को गैर–सरकारी संगठन शब्द की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि वह सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों में अंतर करना चाहते थे। ऐसी संस्थाओं ने ऐसे संगठन को गैर–सरकारी संगठन माना जो लोगों के द्वारा बनाये गये और स्वतंत्रता पूर्व कार्य कर–रहे थे। गैर–सरकारी संगठनों को मान्यता प्रदान करते हुए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने अपने 52 वें अधिवेशन में वर्ष 2001 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की स्टीयरिंग समिति ने गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर लिखा, ''सामाजिक मोबिलाइनेशन और समुदाय के द्वारा शुरू किये गये कार्य का विकास बिना स्वैच्छिक संगठनों के सक्रिय सहयोग के नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह देखने में आ रहा है कि स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है जिससे वे राज्य और बाजार संस्थाओं के बीच सामंजस्य बनाने का कार्य कर सकें। स्वैच्छिक संगठनों, निजी संस्थाओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं के बीच ज्यादा साझेदारी की आवश्यकता है। गैर सरकारी संगठनों के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों के दिशा निर्देश एवं विधि को ओर सरलीकृत किया जाय जिससे अच्छे संगठन ज्यादा योगदान दे सकें।''

ISBN : 978-81-966958-1-1

इकाई-1 स्वैच्छिकता : परिचय, स्वैच्छिक क्षेत्र एवं गतिविधि

उद्देश्य :

इकाई के माध्यम से आप जान सकेगें कि-

1. स्वैच्छिकता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है।
2. स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होगी।
3 स्वैच्छिकता गतिविधियाँ एवं वर्तमान संदर्भ में स्वैच्छिकता को समझ सकेगें।
4. स्वैच्छिक संगठनों आवश्यकता एवं विशेषताओं के बारे में जान सकेगें।
5. विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका समझ सकेगें।
6. स्वैच्छिक संगठनों के विभिन्न प्रकार के बारे में जान सकेगें।

प्रस्तावना -

स्वैच्छिक संगठन मूलत: जनहित में किन्हीं निश्चित लक्ष्यों को लेकर कार्य करते हैं, वे लाभ की प्रवृत्ति से रहित सामाजिक विकास की प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु सृजनशीलता और तत्कालीनता के साथ एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। स्वैच्छिक संगठनों में एक ओर सामाजिक समस्याओं के आकलन की शोधपरक दृष्टि होती है तो दूसरी ओर उनके निराकरण की मौलिक, सर्जनात्मक अभिवृत्ति । एक ओर समाज की समस्याओं को दूर करने की ही नहीं समाज में ऐसी समस्याओं के निराकरण की स्थाई सामर्थ्यें विकसित करने की इच्छा होती है तो दूसरी ओर समाज में सहभागिता की प्रक्रिया को समृद्ध करने का संकल्प भी इस प्रकार स्वैच्छिक संगठन ऐसे कार्य संपादित कर देते हैं जिनमें सरकारी तंत्र तो हाथ डाल भी नहीं सकता। वस्तुतः अच्छे स्वैच्छिक संगठनों की इसी तरह की भूमिकाओं के बारे में भारत सरकार के योजना आयोग का मानना है किउपयुक्त ढंग से संगठित स्वयंसेवी, प्रयास, कमजोर और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता हेतु समुदाय में सुलभ सुविधाओं को बढ़ाने में काफ़ी हद तक कारगर हो सकता है।

1.1 अवधारणा, अर्थ, परिभाषा -

भारतीय संस्कृति धर्म, नैतिकता, परोपकार एवं परलोक में विश्वास करने की भावनायें शुरू से ही व्याप्त रही हैं |दीन हीनों, अतिथियों और संकट में पड़े मनुष्य ही नही बल्कि जीव जन्तु और पशु-पक्षियों की सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। कौटिल्य ने भी कहा था कि प्रत्येक सभ्य समाज के नागरिकों तथा वहां के राजा को वृद्ध, निःशक्तजन, रोगी, बच्चे तथा महिलाओं के प्रति सहयोग तथा

ISBN : 978-81-966958-1-1

सहानभूति की भावना रखना चाहिए। मानवता की सेवा को सर्वेपरि बताते हुए हमारे ग्रन्थ नीति शास्त्र एवं जातक कथायें समाज में त्याग भावना को विकसित करने में सहायक रहे हैं।

सुख-दुख जीवन के दो अनिवार्य पक्ष है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुये अधिकतर गृहस्त व्यक्ति समाज सेवा में लगी संस्थाओं को यथा संभव सहायता प्रदान करते रहे हैं |प्राचीन काल से ही कुछ परोपकारी एवं कर्मठ व्यक्ति मिलकर एक संस्था के रूप में जरूरतमन्द व्यक्तियों की सहायता करते आये हैं।

यहाँ स्वैच्छिक संगठनों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ उसके अर्थ को भी स्पष्ट किया गया है। स्वैच्छिक संस्थाओं की कुछ विशेषतायें भी होती हैं, जिनकी चर्चा भी यहाँ की गई है। स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली तथा उसके महत्व को भी जानना आवश्यक है। परन्तु स्वैच्छिक संस्थाओं की अपनी भी अनेक समस्यायें होती हैं, जिसको हल किया जाना भी आवश्यक है। इन सभी बातों की चर्चा इस पाठ्यक्रम में की गई है।

स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ: -

स्वैच्छिक संगठन से तात्पर्य लोगों के एक ऐसे समूह से है जो संगठित हो, स्वैच्छिक हो, औपचारिक हो एवं स्व-संचालित हो अर्थात् संगठन के सदस्य इसे संचालित करने के लिए नियम व नीतियाँ बनाते हों। ऐसे संगठन समुदाय में कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्य करते है। ये अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करके स्वप्रेरणा से समुदाय में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करते है । ऐसे संगठनों के अपने आदर्श एवं मूल्य होते हैं तथा ये सकारात्मक बदलाव से होने वाले लाभ को समुदाय के बीच बाँटते है।

भारत में स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक संस्था, स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नगर समाज संगठन के नाम से जाना जाता है। स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण विभिन्न अधिनियम यथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट, 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8, रिलिजियस इन्डोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबुल एण्ड रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्ट 1959 इत्यादि के अंतर्गत किया जा सकता है।

परिभाषा: -

बहुत सी संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन को स्वैच्छिक संगठन शब्द की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि वह सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों में अंतर करना चाहते थे। ऐसी संस्थाओं ने ऐसे संगठन को स्वैच्छिकसंगठन माना जो लोगों के द्वारा बनाये गये और स्वतंत्रता पूर्व कार्य कररहे थे। स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने अपने 52 वें

ISBN : 978-81-966958-1-1

अधिवेशन में वर्ष 2001 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया। स्वैच्छिक संगठन वे सभी संगठन है जो सीधे सरकारी विभाग या उसकी कोई इकाई नही हैं (वेस्ग्राड 2007)।

विश्व बैंक के अनुसारऐसे सभी समूह एवं संस्थायें जो पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों, कार्यक्रमों एवं वित्त का संचालन स्वयं करते हैं एवं जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना न होकर सामुदायिक परोपकार होता है स्वैच्छिक संस्था कहलाती हैं। इसके अन्तर्गत वे सभी परोपकारी एवं धार्मिक संस्थायें भी आती हैं जो किसी पूँजी के द्वारा विकास के लिये अपनी सेवायें प्रदान कर सामुदायिक संगठन को प्रोत्साहित करती हैं।

सामान्यतः स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ निम्न रूप से रेखांकित किया जा सकता है, "अलाभकारी स्वयंसेवी प्रदाता, विकासोन्मुखी संगठन जो अपने सदस्यों या कार्यक्षेत्र की जनता के लिये स्वयंसेवी स्वरूप में सेवा प्रदाता का कार्य अलाभकारी दृष्टिकोण से करता है, स्वैच्छिक संगठन कहलाता है।"

- यह कुछ लोगों का ऐसा संगठन है जो मूलभूत सामाजिक सिद्धान्तों पर विश्वास करता है और समुदाय के विकास के लिये गतिविधियों का निर्धारण कर उसे क्रियान्वित कर सेवा प्रदान करता है।
- लोगों का ऐसा संगठित समूह जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वतंत्रापूर्वक अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करता है ताकि निर्दिष्ट क्षेत्र के जनसमूह में वांछित परिवर्तन सुनिश्चित हो सके, स्वैच्छिक संगठन कहलाता है।
- लोगों का ऐसा स्वतंत्र प्रजातांत्रिक समूह, जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मजबूती प्रदान करने के लिये कार्य करता है, स्वैच्छिक संगठन कहलाता है।
- ऐसे संगठन जो राजनैतिक दलों से सम्बद्धता न रखते हुऐ समुदाय के विकास कल्याण एवं सेवा का कार्य करते हैं स्वैच्छिक संगठन कहलाते हैं।
- समान्य जन समुदाय को बिना किसी स्वार्थ/ लाभ के सेवायें प्रदान करने वाले प्रजातांत्रिक व अपेक्षाकृत सरल समूह को स्वैच्छिक संगठन कहते हैं।
- ऐसी संस्था जो समुदाय और व्यक्तियों के बीच बदलाव की पहल और विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के जरिये कार्य करती हैं स्वयं सेवी संस्था या स्वैच्छिक संस्था कहलाती है।

1.2 स्वैच्छिक गतिविधि : -

- भारत के आजादी पाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जमीन से जुड़े अनेक संगठनों के प्रेरणा स्रोत बन गए। तब उन्हें गांधीवादी संगठन कहा जाता था। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि हमें सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली है और भूख, गरीबी एवं वंचना से

ISBN : 978-81-966958-1-1

आजादी पाना अभी बाकी है। इसीलिए उन्होंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को, जो राजनीतिक साधनों के जरिये उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते थे, सलाह दी कि वे चुनावी राजनीति में चले जाएं। उन्होंने अन्य लोगों को सामाजिक सेवा में शामिल होने की सलाह दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के दूर-दराज के इलाकों तक बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। इसके अंतर्गत विनाशकारी अकाल और देश विभाजन की त्रासदी से राहत दिलाने के प्रयास किए गये। वह एक जटिल काम था और इसके लिए जरूरी वित्तीय और मानवीय संसाधनों तथा राजकीय सहायता का अभाव था। समय की आवश्यकता को देखते हुए स्वैच्छिक संगठनों ने देश के दुर्गम इलाकों तक फैलकर अपना कामकाज ही नहीं किया बल्कि नये-नये तरीके भी निकाले जिनके जरिये वे वंचित और गरीब लोगों तक अपनी सेवाएं पहुँचा पाते थे। इनमें से अनेक सरकार के संसाधनों को आगे बढ़ाने वाले साधन बन गए। जैसे- जैसे स्थिति बदलती गई इन स्वैच्छिक संगठनों की प्रकृति, स्वरूप और कार्य भी बदलते गए। अगर हम आज की स्थिति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि स्वैच्छिक संगठनों के सामने नये अवसर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं।

स्वैच्छिक संगठन : -

स्वैच्छिक संगठन से तात्पर्य लोगों के एक ऐसे समूह से है जो संगठित हो, स्वैच्छिक हो, औपचारिक हो एवं स्व-चलित हो अर्थात् संगठन के सदस्य इसे संचालित करने के लिए नियम व नीतियाँ बनाते हों। ऐसे संगठन समुदाय में कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्य करते हैं। ये अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करके स्व-प्रेरणा से समुदाय में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने आदर्श एवं मूल्य होते हैं तथा ये सकारात्मक बदलाव से होने वाले लाभ को समुदाय के बीच बाँटते हैं। भारत में स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नगर समाज संगठन के नाम से जाना जाता है। स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण विभिन्न अधिनियम यथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट् 1860, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8, रिलिजियस इण्डोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबुल एण्ड रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुसलमान वक्फ एक्ट 1973, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्ट 1959 के अंतर्गत किया जा सकता है। सयंुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने अपने 52वें अधिवेशन में वर्ष 2001 को अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक वर्षघोषित किया। स्वैच्छिक संगठन वे सभी संगठन हैं जो सीधे सरकारी विभाग या उसकी कोई इकाई नहीं है (वेस्ग्राड,1997) । स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, नागरिक समाज संगठन, स्वयंसेवी संगठन के नाम से भी जाना जाता है।

विश्व बैंक के अनुसार "ऐसे सभी समूह एवं संस्थायें पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यो,कार्यक्रमों एवं वित्त का संचालन स्वयं करते हैं । एवं जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त

ISBN : 978-81-966958-1-1

करना न होकर सामुदायिक परोपकार होता है स्वैच्छिक संगठन कहलाता है। इसके अन्तर्गत वे सभी परोपकारी एवं धार्मिक संस्थायें भी आती है जो निजी पूंजी के द्वारा विकास के लिये अपनी सेवायें प्रदान कर सामुदायिक संगठन को प्रोत्साहित करती है।" सामान्यतः स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ निम्न रूप से रेखांकित किया जा सकता है-

- अलाभकारी, स्वयंसेवी प्रदाता, विकासोन्मुखी संगठन जो अपने सदस्यों या कार्यक्षेत्र की जनता के लिये स्वयंसेवी स्वरूप में सेवा प्रदाता का कार्य अलाभकारी दृष्टिकोण से करता है स्वैच्छिक संगठन कहलाता है।
- यह कुछ लोगों का ऐसा संगठन है जो मूलभूत सामाजिक सिद्धान्तों पर विश्वास करता और समुदाय के विकास के लिये गतिविधियों का निर्धारण कर उसे क्रियान्वित कर सेवा प्रदान करता है।
- लोगों का ऐसा संगठित समूह जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वतंत्रापूर्वक अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करता है, ताकि निर्दिष्ट क्षेत्र के जनसमूह में वांछित परिवर्तन सुनिश्चित हो सके,स्वैच्छिक संगठन कहलाता है।
- लोगों का ऐसा स्वतंत्र, प्रजातांत्रिक समूह जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मजबूती प्रदान करने के लिये कार्य करता है, स्वैच्छिक संगठन कहलाता है।
- ऐसे संगठन जो राजनैतिक दलों से संबद्धता न रखते हुए समुदाय के विकास, कल्याण एवं सेवा का कार्य करते हैं, स्वैच्छिक संगठन कहलाते है।
- सामान्य जन समुदाय को बिना किसी स्वार्थ/लाभ के सेवायें प्रदान करने वाले प्रजातांत्रिक व अपेक्षाकृत सरल समूह को स्वैच्छिक संगठन कहते हैं ।
- ऐसी संस्था जो समुदाय और व्यक्तियों के बीच बदलाव की पहल और विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के जरिये कार्य करती है स्वयंसेवी संस्था या स्वैच्छिक संस्था कहलाती हैं ।

1.3 स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता, विशेषता एवं भूमिका : -

अनुभव बताता है कि विकास कार्यों में सरकारी तंत्र की भूमिका आशानुरूप परिवर्तन नहीं ला सकी है। यद्यपि ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों का सूत्रपात और क्रियान्वयन नौकरशाही ही करती है फिर भी गाँवों में अनेक गतिविधियों के लिए वे उपयुक्त नहीं हैं ।जिसके कारण सरकार को इन कार्यक्रमों को चलाने में सफलता नहीं मिलती है। यदि ये कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं तो सृजनशीलता तात्कालिकता और नवीनता के गुणों से वे कुशलतापूर्वक समन्वय कर सकते हैं।

ISBN : 978-81-966958-1-1

विकास कार्यक्रमों को जनभागीदारी के बिना सफल नहीं बनाया जा सकता है। जनभागीदारी प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी संगठन काफी सहायक हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। ये संगठन बहुत हद तक लोगों को सहायता प्रदान करने में सफल हुए हैं । यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी विकास कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उनमें वे लोग शामिल न हों जिसके लिए वे चलाए जा रहे हैं। ऐसे कार्यो को स्वैच्छिकसंगठन अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की विशेषतायें :- (Characteristics of Voluntary Organization)

मूलतः स्वैच्छिक संगठन सरकारी संगठनों की कार्यशैली तथा संरचना से अलग होते हैं। नौकरशाही तथा कानून कायदों की पाबन्दी से मुक्त ये संगठन अपनी कार्य संस्कृति को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। इने निर्माण में सरकारी प्रयासों की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों की इच्छा शक्ति ही निर्यायक होती है। समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई एच्छिक संस्थाओं की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं-

1. इसकी विशेषता यह है कि स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयासों के बजाय किन्हीं व्यक्तियों की अपनी प्रेरणा उत्तरदायी होती है। और इस प्रेरणा के पीछे कोई भी कारण हो सकता है। इसका एक औपचारिक संगठनात्मक स्वरूप होता है।

2. ये ऐच्छिक प्रयास का परिणाम होती हैं। यद्यपि इनकी प्रेरणा के सूत्र विभिन्न तत्व हो सकते हैं किन्तु इनका जन्म स्वेच्छा पर आधारित होता है।

3. इन संगठनों का निर्माण प्रायः जन कल्याण के लिये किया जाता है।

4. इन संगठनों की पहल तथा प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धातों के आधार पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है।

5. इन्हें एक उपयुक्त अधिनियम या कानून के अधीन पंजीकृत किया जाता है, ताकि इनको एक विधिक स्तर प्राप्त हो सके, एक कानूनी व्यक्तित्व मिल सके और व्यक्तिगत दायित्व का स्थान सामूहिक दायित्व ले सके। भारत में केंद्रीय स्तर पर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, सहकारी समिति अधिनियम 1904, तथा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 (सेक्शन-25 के अन्तर्गत) इत्यादि के अन्तर्गत इनका पंजीकरण किया जाता

ISBN : 978-81-966958-1-1

है। राज्य स्तरीय कानूनों जैसे- राजस्थान संस्थयें पंजीकरण अधिनियम 1965 तथा राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत भी पंजीयन हो सकता है।

6. इन स्वैच्छिक संस्थाओं में संगठन की दृष्टि से एक साधारण सभा होती है, तथा नियमित रूप में बनाई गई एक प्रबंध समिति होती है, जिसमें पुरूषों, महिलाओं, व्यवसायिकों, सरकारी व्यक्तियों आदि सभी के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
7. उनके कुछ निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं तथा इन लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये कार्यक्रम होता है।
8. ये जिस समुदाय में बनते हैं उनके द्वारा विदित और स्वीकृत होते हैं।
9. ये संगठन प्रायः 'न लाभ न हानि' को आधार मानकर संचालित किये जाते हैं।
10. इनका कार्य संचालन बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। संगठन के सदस्य ही संगठन की व्यवस्था बनाते हैं। निर्णय में ऐसे संगठन स्वायत्तता प्राप्त होते हैं।
11. संगठन किसी क्षेत्र या विषय विशेष पर ध्यान केन्द्रित रखते हैं। इनका उद्देश्य तथा लक्ष्य निश्चित होता है।
12. इन स्वैच्छिक संगठनों का कार्य क्षेत्र भौगोलिक तथा सामाजिक दृष्टि से सीमित दायरे में होती है। बहुत कम संगठनों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है।
13. इन संगठनों में 'शीर्ष प्रशासनिक सत्ता' के रूप में सामान्य निकाय या आमसभा होती है। जिसमें उस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, दानदाता या महत्वपूर्ण व्यक्ति रखे जाते हैं जो संगठन के नीति-निर्माण में निर्यायक भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताओं में ऊपर दिये गये बातों के अतिरिक्त इनकी स्थापना स्वेच्छा पर निर्भर करती है। जनकल्याण की भावना या अन्य कोई प्रेरणा इनके लिये उत्तरदायी होती है। और इनका प्रशासन एवं कार्य संचालन स्वयं द्वारा निर्मित विधि पर निर्भर करता है।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त इन संगठनों की कार्यप्रणाली स्वायत लचीली तथा परिवर्तनशील होती है और इनकी वित्तीय व्यवस्था जनता से दान तथा सरकारी सहायता अनुदान से चलती है। परन्तु इन संगठनों का कार्यकाल प्रायः अनिश्चित होता है।

इस प्रकार यदि देखा जाये तो स्वैच्छिक संस्थाओं की अनेक विशेषताएँ हैं जिन्हें गिनाना बहुत ही मुश्किल है। परन्तु स्वैच्छिक संगठनों की विशेषता तब तक पुर्ण नहीं कही जायेगी जब तक स्वैच्छिक संगठनों के प्रकारों का वर्णन नहीं किया जाये।

ISBN : 978-81-966958-1-1

स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका : -

विकास में लोगो की भागीदारी सुनिश्चित करने में संस्थाएं प्रभावी भूमिका निभा सकती है। स्वयं सेवी संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक अभिकर्ता माना जाता है, क्योंकि ये गरीबी उन्मूलन में विविध भूमिकाएं अदा कर सकते हैं:

- लाभ न मिल पाने वाले समूहों को सामाजिक न्याय दिला सकते हैं। उनमें अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं
- सरकारी लोगों की अपेक्षा ये संगठन लोगों से अधिक नजदीकी सम्बन्ध स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि ये संगठन नियमों/उपनियमों और पद्धतियों से बंधे हुए नहीं होते हैं।
- ग्रामीण गरीबों को विकास प्रक्रिया में भागीदारी के लिये संगठित कर सकते हैं।
- प्रत्येक योजना, उसके उद्देश्य, अपेक्षित लाभ, कार्य प्रणाली, आदि के बारे मंे बेहतर ढंग से समझा सकते हैं।
- गलत धन प्रवाह को रोकने एवं भ्रष्टाचार निवारण में सहायक हो सकते हैं।
- लोगों का परम्परागत कौशल बढ़ाने तथा उनमें प्रबन्धकीय विशेषज्ञता विकसित करने में सहायक हो सकतेहैं।
- राजकीय अधिकारी तथा वर्ग के साथ बैठकर अनेक समस्याओं को बातचीत द्वारा सुलझाने में संगठनकारगर भूमिका निभाते हैं।
- यह संगठन स्थानीय वित्तीय संसाधन इकट्ठा करके लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

योजनाओं में कुछ लाभार्थी, उपभोक्ता, बैंकों द्वारा प्रदान ऋण का दुरुपयोग करते हैं। स्वैच्छिक संगठन ऐसे लाभार्थियों को ऋण का प्रभावी और उत्तम उपयोग करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। ये संगठन सत्त प्रयास, वृद्धि, चातुर्य और नवीन कार्य करके ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण समुदायों को अपने ही विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये, प्रोत्साहित, जागरूक एवं समर्थ बना सकते हैं। (देशपुरा 2011)स्वैच्छिक संगठन भारत में अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाते हैं, जिससे लोगों को लाभ होता है, क्योंकि मूल रूप से वे बिना किसी व्यावसायिक हित अथवा लाभ के काम करते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य निर्धनता अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कष्ट सह रहे लोगों की सेवा करना है। हालांकि स्वैच्छिक संगठनों पर प्रायः सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है, परन्तु वे इनका प्रतिकार सामाजिक समस्याओं का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन कर उनका समाधान ढूंढने की कोशिशों से करते रहे हैं। चूंकि भारत में स्वैच्छिक संगठन इकट्ठा की गई राशि से ही

ISBN : 978-81-966958-1-1

काम करते हैं, वे बहुत सोच-समझकर अपनी योजना तैयार करते हैं ताकि उनका किफ़ायती कार्य हो जाए। स्वैच्छिक संगठनों के अनेक लाभ हैं। भारत एक विशाल देश है और इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में सरकार के लिए सभी गतिविधियों की देखभाल करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः देश को सभी शेष गतिविधियों की देखभाल के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की आवश्यकता है। लोगों के जीवनस्तर में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय स्वैच्छिक संगठन विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इससे लोगों की जीवन शैली के सुधार में निश्चित ही मदद मिलेगी। स्थानीय स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र के विकास में बेहतर मदद कर सकते है क्योंकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन ला सकते हैं और इस प्रकार विकास की एकीकृत परियोजनाएं अपना सकते हैं। लोगों के साथ सीधा संपर्क होने के कारण वे स्थानीय ग़रीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छी मदद कर सकते हैं। वे बिना किसी झंझट के विशेषज्ञों और अनुप्रेरित कर्मचारियों को सरकार की अपेक्षा आसानी से काम पर रख सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में स्वैच्छिक संगठनों के सक्रिय हस्तक्षेप से नेतृत्व का गुण भी विकसित होता है। स्वैच्छिक संगठन शिक्षा और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां चलाते हैं। इस देश में स्वैच्छिक संगठन वास्तव में आशा की एक किरण के रूप में उभरे हैं।

1.4 स्वैच्छिक क्षेत्रः लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ, भारत में स्वैच्छिकता: -

स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने तथा स्वयं-सेवी संगठनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई और डा0 दुर्गाबाई देशमुख को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। वे योजना आयोग की भी सदस्य थीं। दुर्गाबाई देशमुख का स्वैच्छिक प्रयास से भी सरोकार था। वे आंध्र प्रदेश में चलने वाली एक संस्था की अध्यक्ष थीं। 1953 में बोर्ड की घोषणा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू ने अपेक्षा व्यक्त की थी कि यह संस्था कल्याणकारी सरकार की तीसरी आँख होगी (सिन्हा 2011)

'लोकतंत्र' लोक के स्वैच्छिक प्रयास से उत्पन्न होता है विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका और प्रेस तो लोकतंत्र के 4 स्तम्भ हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र लोकतंत्र के पाँचवें स्तम्भ या मध्य स्तम्भ के रूप में है जो चारों स्तम्भों का अवलम्ब है।

लोकतंत्र की सफलता और जीवंतता के लिए पांचवां स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के चतुर्दिक विकास में भी यह टिकाऊ है। देश और समाज को संचालित और व्यवस्थित रखने में चार खंभे विधायिकाए कार्यपालिका न्यायपालिका और मीडिया को ही केंद्र में रखा गया है। इसके साथ एक पांचवां स्तंभ स्वैच्छिक गतिविधियों का भी है। पांचवां स्तंभ यह संदेश भी देता है कि सिर्फ अपने

ISBN : 978-81-966958-1-1

विकास के लिए ही न सोचेंए बल्कि पड़ोस में कोई भूखा न सोएए यह भी देखें। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करें। यानी संवेदनशील बनें।

शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेउारी, स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार सरकार और स्वैच्छिक संगठनों ;वीओद्ध के बीच एक अच्छी साझेदारी सरकार को कई समस्याओं के नवप्रवर्तनकारी समाधान खोजने और सामाजिक क्षेत्र की पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। भारत सरकार देश के सामाजिक.आर्थिक विकास में स्वैच्छिक क्षेत्रक की सहयोगी भूमिका को मान्यता देती है। स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ का कार्य मुख्य रूप से देश में स्वेच्छा से कार्य करने की भावना को बढ़ावा देना है। प्रकोष्ठ के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं. स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों को तैयार करनाए राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्रक नीति 2007 का प्रचालनय स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करनाए गैर.सरकारी संगठनों स्वैच्छिक संगठनों के डेटाबेस का रखरखाव आदि।

शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी स्थानीय स्तर पर कार्य करने के कारण स्वैच्छिक संगठन समुदाय में अपनी पैठ बनाने मे सफल रहते हैं। स्वैच्छिक संगठनों के इसी समुदाय आधारित विकासात्मक एवं कल्याणकारी पहल के कारण उनके द्वारा किये गये कार्य का परिणाम दिखता है। यही कारण है कि शासन अधिकांश विकास कार्यो मे स्वैच्छिक संगठनो की भागेदारी सुनिश्चित करता है। मध्यप्रदेश में आदिवासी बालक/बालिकाओं के छात्रावास हों या महिलाओं के समूह बनाया हो या उद्यमिता प्रशिक्षण हो, प्रत्येक विकास के कार्य में शासन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने वाली कुछ योजनाए प्रदेश शासन की होती है तो कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार से प्रायोजित होती हैं। स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ विशेषज्ञ संस्थाएं बना रखी हैं जैसे कपार्ट, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इत्यादि। इसी तरह से राज्य शासन ने भी कुछ संस्थाएं बनायी हैं जिनसे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान और अन्य सहायता प्राप्त होती है। जैसे मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड।

स्वैच्छिक संगठनो की स्थापना एवं गठन

स्वैच्छिकता की भावना से ओत -प्रोत समाज के कुछ लोग स्वैच्छिक कार्य को सीमित दायरे से बाहर करके ब्राहद स्टार पर करना चाहते हैं । इसके दो रास्ते है पहला वे इसको वैधानिक ढांचे मे लाकर पंजीक्रत स्वैच्छिक संगठन का स्वरूप प्रदान करते है । इसके लिए प्रतेक राज्य के अलग -अलग नियम हैं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेसन एक्ट 1860 से संचालित होते है । कुछ संगठन इंडियन ट्रस्ट एक्ट या अन्य

ISBN : 978-81-966958-1-1

अधिनियम के अंतर्गत पंजीक्रत होते है । दूसरा वे लोग एक अनौपचारिक संगठन बना कर बिना पंजीकरण कराये उसकी स्थापना करते हैं । स्वैच्छिक संगठन पंजीक्रत करने का सबसे बड़ा लाभ उसको वैधानिक स्वरूप प्राप्त होना तथा इसके माध्यम से भविष्य मे अन्य पंजीकरण यथा 80 जी ,एफ॰ सी॰ आर॰ ए॰ इत्यादि संभव हो सकता है ।

स्वैच्छिक संगठनो का गठन कुछ तो तुरंत की आवश्यकता के आधार पर जैसे बाढ़ पीड़ितो की मदद तथा कुछ तो दीर्घकालीन उद्देश्यों जैसे क्षेत्र विशेष के घटते जल स्तर को जल सम्मरण संरचनाओ के माध्यम से रोकने को लेकर हो सकते है । तात्कालिक आवश्यकता को लेकर गठित किए गए स्वैच्छिक संगठन आवश्यकता पूर्ण होने के साथ समाप्त हो जाते है जबकि दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित स्वैच्छिक संगठन दीर्घ अवधि तक उद्देश्यों की प्राप्ति मे संलगन रहते हैं ।

स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार : -

स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न प्रकार में विभक्त किया जा सकता है।

1. **गतिविधि के आधार पर -** स्वैच्छिक संगठनों को उनकी गतिविधि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदिवासी विकास, इत्यादि।
2. **कार्यक्षेत्र के आधार पर-**कुछ स्वैच्छिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं और कई प्रांत में इनके कार्य संचालित होते हैं। जैसे दीनदयाल शोध संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला स्वैच्छिक संगठन है जिसका कार्य वीड (महाराष्ट्र), राँची (झारखण्ड), मझगवां (मध्यप्रदेश), गोण्डा, चित्रकूट एवं गनीवां (उत्तर प्रदेश) इत्यादि मे संचालित है। कुछ स्वैच्छिक संगठन अपने कार्य को मात्र एक क्षेत्र तक रखते हैं।
3. **विशेषज्ञता के आधार पर**- किसी विशिष्ट उद्देश्य पर कार्य में लगे रहने के कारण एक स्वैच्छिक संगठन अपनी विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है और समाज में उसकी पहचान उसी विशेषज्ञता के आधार पर होती है। जैसे सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट का जानकी कुण्ड अस्पताल नेत्र चिकित्सालय के रूप में उत्तर भारत में विख्यात है।
4. **वैधानिक पंजीयन के आधार पर-**कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न होकर एक स्वतंत्र एवं स्वायत्ता संस्था के रूप में कार्य करते हैं। कुछ संगठन सोसाइटी के रूप में तो कुछ संगठन ट्रस्ट के रूप में कार्य करते हैं। कुछ संगठन विदेशी अनुदान लेकर कार्य करते हैं जबकि कुछ संगठन राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से कार्य करते हैं।

ISBN : 978-81-966958-1-1

सारांश (Summary)

- हमने स्वैच्छिकता की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा के बारे में जाना।
- स्वैच्छिक क्षेत्र, स्वैच्छिक गतिविधि वर्तमान सन्दर्भ में स्वैच्छिकता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई
- स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता, विशेषता एवं भूमिका के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की।
- स्वैच्छिक क्षेत्रः लोकतंत्र का मजबूत स्तम्भ, भारत में स्वैच्छिकता के विषय को पढ़ा।
- शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी, स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार के विषय को हमने जाना व समझा।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- भारत में स्वैच्छिक संगठन– भारत मे इसे स्वैच्छिक संस्था, स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नगर समाज संगठन के नाम से जाना जाता है।
- लोकतन्त्र - लोकतन्त्र का अर्थ है ,जिसमे लोक का अर्थ है जनता तथा तन्त्र का अर्थ है शासन ।
- स्वयं-सेवी संगठन- वह संस्था जो सरकार का भाग न हो ना उसके अधीन हो ।
- स्वैच्छिक क्षेत्र- स्वयंसेवी क्षेत्र, स्वतंत्र क्षेत्र, या नागरिक क्षेत्र द्वारा किए गए सामाजिक गतिविधि का कर्तव्य है ।

स्व–मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **अति लघु उत्तरीय प्रश्न -**

1. स्वैच्छिकता क्या है ?
2. स्वैच्छिकता की कोई दो परिभाषा दीजिये ।
3. स्वैच्छिक संगठन क्या है ?
4. स्वैच्छिक संगठनो की विशेषताये बताइये ।
5. साइच्छिक क्षेत्र क्या है ।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न -**

1. स्वैच्छिक संगठन का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ठ करे ।
2. विकास मे स्वैच्छिक संगठन की क्या भूमिका है ?परिभाषित करे ।

ISBN : 978-81-966958-1-1

3. स्वैच्छिक संगठनो के प्रकारो को स्पष्ट करे ।
4. भारत मे स्वैच्छिकता किस प्रकार से है बतलाए ।
5. स्वैच्छिकता का अर्थ एवं अवधारणा बताइये ?

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -**

1. स्वैच्छिकता का अर्थ,परिभाषा,व इसकी अवधारणा को विस्तार पूर्वक समझाये ।
2. स्वैच्छिक संगठन का अर्थ,परिभाषा,व इसकी अवश्यकता को स्पष्ट करे ।
3. शासन व स्वैच्छिक संगठन की विकास मे साझेदारी की प्रकार है?व इसके प्रकारो को स्पष्ट करे ।
4. वर्तमान समय मे भारत मे स्वैच्छिकता किस प्रकार है स्पष्ट करे ?व इसकी विशेषताये बताइये ।
5. स्वैच्छिक क्षेत्र मे लोकतन्त्र किस प्रकार से मजबूत है तथा भारत मे स्वैच्छिकता किस प्रकार से है विस्तार पूर्वक समझाए ।

- **बहु-विकल्पीय प्रश्न -**

1. संगठनो का पंजीकरण किस अधिनियम से होता है -

   क. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860

   ख. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950

   ग. चेरिटेबुल एंड रिलीजियम ट्रस्ट एक्ट 1920

   घ. इनमे से सभी ।

2. सामान्य सभा ने अपने 52 वें अधिवेशन मे किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया है ?

   क. 1995 ख. 2001 ग. 2002 घ. इनमे से कोई नहीं।

3. 1953 मे बोर्ड की घोषणा करते हुये किस प्रधानमंत्री ने यह आपेक्षा की थी कि संस्था कल्याणकारी सरकार कि तीसरी आँख होगी -

   क. डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद

   ख. पं॰ जवाहर लाल नेहरू

ISBN : 978-81-966958-1-1

ग. अटल बिहारी बाजपेयी

घ. इनमे से कोई नहीं

4. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड कि स्थापना किस वर्ष मे हुई।

ख. 1960 ख. 1953 ग. 1950 घ. 1955

5. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?

क. पं॰ जवाहर लाल नेहरू

ख. डॉ॰ दुर्गा बाई देशमुख

ग. पं॰ दीनदायल उपाध्याय

घ. इनमे से कोई नहीं

6. लोकतन्त्र कि सफलता और उसकी जीवंतता के लिए कितने स्तंभो की महत्वपूर्ण भूमिका है ?

क. 5 ख. 3 ग. 8 घ. 6

7. विश्व बैंक के अनुसार स्वैच्छिक संस्था किसे कहते हैं ?

क. जिनका प्राथमिक उद्देश्य स्वयं के लिए लाभ कमाना हैं

ख. जिनका उद्देश्य सामुदायिक परोपकार होता है

ग. दोनों (क) और (ख)

घ. इनमे से कोई नहीं

8. भारत के आजादी पाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जमीन से जुड़े अनेक संगठनो के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए थे,तब उनको कौन-सा संगठन कहाँ जाता था।

क. समाजवादी संगठन ग . गांधी वादी संगठन

ख. स्वतंत्र वादी संगठन घ. इनमे से कोई नहीं

9. स्वैच्छिक संगठन से तात्पर्य लोगो के किस संगठन से है ?

क. जो संगठित हो,औपचारिक हो, ग. जो स्वैच्छिक हो स्वचालित हो

ख. दोनों (क) और (ख) घ. केवल (ख)

ISBN : 978-81-966958-1-1

10. स्वैच्छिक संगठनो का निर्माण किस लिए किया जाता है ?

क. समाज कल्याण हेतु
ग . जन कल्याण हेतु
ख. संस्थाओ के विकास हेतु
घ. राष्ट्र के विकास हेतु

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. भारत में प्रमुख स्वैच्छिक क्षेत्र तथा गतिविधयों की सूची तैयार कर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
2. अपने क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विकास तथा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के बारे में अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
3. अपने क्षेत्र में हो रही स्वैच्छिक गतिविध का अध्ययन करके प्रतिवेदन तैयार करें।
4. किसी स्वैच्छिक कार्य में अपनी सहभागिता करें।

संदर्भ(References)

- देवपुर प्रतापमल (2011): ''ग्रामीण विकास और स्वयं सेवी संगठन'', योजना, नवम्बर।
- मैथ्यू जोमोन एवं वर्गीज जोबी (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों पर विहंगम दृष्टि'', योजना, नवम्बर।
- जैतू हर्ष (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों का भविष्य'', योजना, नवम्बर।
- जैन, जे.के. (1993): ''व्यावसायिक प्रशासन एवं प्रबंध'', कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- समर्थन-सेन्टर फा॔र डेवलपमेंट सपोर्ट की स्वैच्छिक संगठनों की पुस्तिका।
- टण्डन, राजेश (1993): ''स्वयं सेवी संगठनों का प्रबंधन'', प्रिया, नई दिल्ली।
- शुक्ल एस.एम. एवं गुप्त एस.पी. (2011): ''^^Advanced Accounting** साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- M.P. Societies Registration Act 1973 and Rules 1999.
- Foreign Contribution & Regulation Act., 2010.
- ''कार्यक्रम का मूल्यांकन'', यू.पी.वी.एच.ए.
- मोतिहर, एम. एवं अग्रवाल, अमित (2008),: ''क्रियात्मक प्रबंध'', प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- करात प्रकाश (1988): ''विदेशी अनुदान तथा स्वैच्छिक संगठनों का दर्शन'', दि माक्सिस्ट।

ISBN : 978-81-966958-1-1

- ''संस्थागत रणनीति का निर्धारण'', समर्थन भोपाल
- पेत्रास, जेम्स एवं वेल्तमेयर हेनरी (2003): ''ग्लोबलाइजेशन अनमास्क्ड''
- मिश्र, विश्वनाथ एवं सिंह, अरविन्द (2006): ''एन.जी.ओ.-एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र'', राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
- मिश्र, दीनानाथ (2006): ''संघ के सेवा कार्यों की अनुदेखी'', दैनिक जागरण
- रोल्योक्स, जोन (1995): ''गैर-सरकारी, स्वयं-सेवी संगठनों और दाता एजेंसियों का असली चरित्र'', मंथली रिव्यू, वर्ष-47, अंक-5.
- करात, प्रकाश (1988): **"Foreign funding and the philosophy of voluntary organizations", National Book Centre, New Delhi.**
- ''गैर-सरकारी संगठनों का विकास एवं प्रबन्धन'', महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट की सतत एवं दूरस्थ शिक्षा पुस्तिका।
- वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010, 2012, 2014 एवं 2016, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- ''स्वैच्छिक संगठन लोक तंत्र की तीसरी आँख'', दैनिक जागरण, 13 नवम्बर, 1954

ISBN : 978-81-966958-1-1

इकाई-2 : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

उद्देश्य :

इकाई के माध्यम से आप जान सकेगें कि-

1. भारत में आजादी के पूर्व के स्वैच्छिक कार्य किस प्रकार के थे।
2. विश्व के प्रमुख स्वैच्छिक कार्य कौन-कौन से है।
3. आजादी के पश्चात किये गये स्वैच्छिक कार्यों को विस्तार पूर्वक समझ सकेगें।
4. वर्तमान में हो रहे स्वैच्छिक कार्यों के परिदृष्य को जान पायेगें।
5. सामाजिक विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका समझ सकेगें।

प्रस्तावना

भारत मे स्वैच्छिक और समाज सेवा का एक लम्बा इतिहास रहा हैं । कल्याण और विकास का मुख्य स्रोत वैदिक काल से माना जाता है ,इसमे मौर्य और गुप्त काल शामिल नहीं है क्योकि उस समय ठोस लोक कल्याण व्यवस्था थी । उपनिवेश कल मे स्वैच्छिकवाद के विकास पर महात्मा गांधी का प्रभाव महत्वपूर्ण साक्षी है। वे इस समय पर दृढ़ थे कि देश के विकास के लिए स्वैच्छिक कार्य ही एक्मात्र उपाय है । राजनैतिक स्वतन्त्रता के अतिरिक्त गांधीवादी स्वैच्छिक संगठन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया था । स्वतन्त्रता के बाद गांधीवादी स्वैच्छिक संगठन परिदृश्य मे प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए । उनका उद्देश्य कृषि और पशुपालन कार्यक्रम ,खड़ी तथा ग्रामीण ऊधोग ,सहकारिता एवं शिक्षा को मजबूत करना था । बरहाल 1960 और 1970 के दशक मे यह सर्वसम्मति से विकास कि रणनीति में विघटन आरम्भ हुआ और इसका प्रभाव स्वैच्छिक सक्रियतावाद पर पड़ा।

2.1 भारत में आजादी के पूर्व के स्वैच्छिक कार्य : -

उपलब्ध एतिहासिक प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों का अस्तित्व प्रत्येक काल में प्रत्येक जगह कुछ न कुछ भाग में अवश्य ही रहा है। इन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपाहिजों, असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों, विधवाओं तथा अनाथ बच्चों की सेवा सुश्रुषा की जाती थी। बाढ़, भूकम्प, तूफान, महामारी, अग्निकाडं, तथा अकाल से त्रस्त होती मानवता को जन सहयोग की भावना से ही सहारा दिया जाता था। इस समय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का समुचित विकास न होने से प्राचीन एवं मध्य काल में प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए तथा दूसरों की मदद

ISBN : 978-81-966958-1-1

करने का एक मात्र सहारा परोपकार तथा सामुदायिक सहयोग भावनायें ही थीं। धनी व्यक्ति, राजा तथा जमींदार इत्यादि जन कल्याण में अपना योगदान देते थे। संपन्न व्यक्ति अन्न, वस्त्र तथा अन्य सामान इत्यादि से स्वैच्छिक संगठनों को जीवित बनाये रखते थे। इसी तरह धीरे-धीरे स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण हुआ होगा।

बाद में चलकर तीर्थ स्थलों तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर मानव कल्याण के लिए स्थायी तथा वृहताकार समाजसेवी संस्थायें शुरू हुई। परन्तु गाँवों में इन संगठनों की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि संयुक्त परिवार तथा जाति प्रथा की व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण घर में ही संभव था। गाँव भी एक इकाई के रूप में कार्यशील सामाजिक संरचना थी। अधिकांश राजा भी जन कल्याण को महत्व देते हुये राज्य की ओर से सराय एवं धर्मशालायें संचालित करवाते थे।

भारत में स्वैच्छिक कार्य का ऐतिहासिक विकास : -

तमाम विषमताओं के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का देश है। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याएं अभी भी प्रायः सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान स्वैच्छिक संगठन वर्षों से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र के सामाजिक उन्नयन और आर्थिक विकास मे योगदान देने वाली शक्ति के रूप में स्थापित हो रहे हैं। भारत में लगभग 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन हैं (योजना, नवम्बर 2011)। वे सहभागी लोकतंत्र के क्रियान्वयन और उसको ठोस रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । उनकी भूमिका समाज में उनके रचनात्मक और उत्तरदायी कार्य पर निर्भर है। वे दूर-दराज के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर जन साधारण के लिए कार्य करते हैं तथा उनकी पहुँच व्यापक होती है।

अजादी के पूर्व के स्वैच्छिक कार्य : -

अगर हम भारत के लिखित इतिहास पर ध्यान दें तो पायेगें कि मानव जीवन को गरिमा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य और जनता के अनौपचारिक समूहों मे हमेशा बँटी रही। मंदिर एवं अन्य धर्म स्थल हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के काम में रज्य संगठनों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। स्वैच्छिक संस्थाओं का सुसंगठित रूप तब अस्तित्व में आया जब 1860 में सोसाइटीज रजिस्टेªशन एक्ट बनाया गया।

स्वैच्छिक संगठनों का उदय मानव सभ्यता के विकसित होने के साथ-साथ हुआ। भोजन के इकट्ठा करने, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरी करने हेतु मानव समूह या संगठन विकसित हुए। जैसे-जैसे यह समूह भोजन, आवास इत्यादि के लिए घूमता था वैसे-वैसे इनमें अपनी

ISBN : 978-81-966958-1-1

रूचि के लोग एक होते गये। जब आदिम समूह एक जगह स्थिर हुए तो समाज का निर्माण हुआ। सामाजिक सम्बद्धता इन समूहों का प्रमुख आधार थी। राजनैतिक अर्थव्यवस्था ने स्व-समूहों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। धीरे-धीरे अपने वर्ग के लोगों तथा राज्य की सीमा के प्रति लोग ज्यादा सतर्क हुए। उस समय मानव सेवा आर्थिक गतिविधि तथा सामाजिक सुरक्षा के ज्यादा समीप थी।

जैसे-जैसे आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ने लगा मानव सेवा राज्य के प्रति उत्तरदायी होने लगी। संसाधन की प्रतिस्पर्धा में ''सभी के प्रति सभी का युद्ध'' शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप ताकतवर का आकार बढ़ा जबकि कमजोर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे। चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में राज्य के कल्याणकारी होने के प्रमाण मिलते हैं। चाणक्य ने राजा द्वारा अपनी जनता के प्रति किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों का विस्तृत वर्णन किया। हिन्दू धर्म के विभिन्न वेद, वेदांग, श्रुति, महाभारत, रामायण इत्यादि में राज्य के कल्याणकारी कार्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध एवं जैन धर्म में भी मानव सेवा तथा कमजोर एवं कष्ट मे रह रहे लोगों को सेवा के प्रति नैतिक दायित्व का वर्णन मिलता है। धर्म को सेवा का माध्यम बताया गया। अशोक के समय वृक्षारोपण, कुँए, बावली का निर्माण जन-सहयोग से किया गया।

स्वैच्छिक कार्य की आधारशिला आजादीपूर्ण रखी गयी जो प्रमुखतः समाज सुधार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबन्धित थी। इसाई मिशनरियों ने अस्पताल, विद्यालय और कल्याणकारी संस्थाएँ बनायीं। आजादी-पूर्व पूरे देश में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रयोग किये गये। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ग्रामीण पुनर्रचना का कार्य 1908 में सिलाईडहा में तथा 1921 में श्रीनिकेतन में प्रारम्भ किया। स्पेंसर हैव ने निर्धन विकास परियोजना की शुरूआत वाई. एम. सी. ए. के तत्वावघान में मार्तण्डम के आस-पास की। महात्मा गाँधी ने समाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव के लिए अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1931 में स्वनात्मक कार्य की शुरुआत वर्धा से की। जुगतराम दवे ने ग्रामीण पुनर्रचना का कार्य स्वराज्य आश्रम वेडची में 1922 से शुरू किया।

भारत में दान ओर सेवा की धारणा पर आधारित नागर समाज (सिविल सोसाइटी) का लंबा इतिहास रहा है। मध्यकालीन युग में ही सन्स्क्रतिक संवर्द्धन शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुँचाने वाले अनेक स्वयंसेवी संगठन सक्रिय थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के कोने-कोने में जा पहुँचा और सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों ने स्वयं सेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का रास्ता अपनाया। इस प्रकार के प्रयासों के कुछ प्रमुख

ISBN : 978-81-966958-1-1

उदाहरण हैं -फ्रेंड इन नीड सोसाइटी (1858), प्रार्थना समाज (1864), सत्यशोधन समाज (1873), आर्य समाज (1864), नेशनल काउसिलफॉर वीमेन काफेंस (1887) आदि। स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें वैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए 1860 में समिति पंजीकरण विधेयक को अनुमोदित किया गया। 1980 के दशक में स्वैच्छिक संस्थाओं के स्वरूप में काफी विशिष्टता आने लगी और स्वैच्छिक सेवा का आंदोलन तीन प्रमुख समूहों में विभाजित हो गया।

पहले समूह में वे पारंपरिक विकासमूलक स्वैच्छिक संगठन आते है जो किसी एक गाँव या गाँव के समूह में जाकर साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं, किसानों को उन्नत फसलों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करते हैं, पशुधन की उन प्रजातियों को पालने के लिए ग्रामीणों को तैयार करते हैं जो अधिक लाभ दे सकती हैं बुनकरों और अन्य ग्रामीण शिल्पकारों को अपना उत्पाद बाजार में बेचने के लिए ले जाने को प्रेरित करने जैसे अन्य कार्य करते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये संगठन अपने चुनिंदा क्षेत्रों में उसी समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। मध्य भारत में बाबा आम्टे द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए शुरू किया गया संगठन इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम उदाहरण है।

स्वैच्छिक संगठनों का दूसरा समूह उन संगठनों को कहा जा सकता है जिन्होंने किसी विषय विशेष में गहन अनुसंधान किया और फिर सरकार पर प्रभाव डालकर अथवा न्यायालयों में याचिका दायर कर लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम उदाहरण है।

तीसरा समूह उन स्वयंसेवकों का है जो अपने-आप को अन्य स्वैच्छिक संगठनों की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं । स्पष्ट है कि इस वर्ग के स्वैच्छिक संगठन कुछ सीमा तक आंदोलन जैसी गतिविधियों मे सक्रिय रहते हैं।

2.2 विश्व के प्रमुख स्वैच्छिक कार्य: -

अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों के कार्य का इतिहास 1839 से प्रारंभ होता है। अनुमान है कि 1914 तक विश्वभर में 1,083 स्वैच्छिक संगठन थे जो दासता, महिलाओ के मताधिकार, निरस्त्रीकरण आदि क्षेत्रों में काम कर रहे थे। परंतु 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) के अस्तित्व में आने के बाद विश्वभर में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में बाढ़-सी आ गई। स्वैच्छिक संगठनो की संख्या में हुई वृद्धि के प्रमुख कारण थे आर्थिक मंदी, शीतयुद्ध की समाप्ति, निजीकरण, बढ़ती मांग आदि। बीसवीं शती में वैश्वीकरण के प्रादुर्भाव के कारण भी स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

ISBN : 978-81-966958-1-1

2.3 आजादी के पश्चात किये गये स्वैच्छिक कार्य : -

भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां स्वैच्छिक और लाभ के लिए काम नहीं करने वाले सक्रिय संगठनों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले दशक में भारत में नये स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1970 तक देश में केवल 1.44 लाख समितियां पंजीकृत थीं। पंजीकरण की संख्या में अधिकतम वृद्धि वर्ष 2000 के बाद हुई। सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2009 के अंत तक लगभग 30 लाख 30 हजार स्वैच्छिकसंगठन थे। इसका अर्थ हुआ कि औसतन लगभग 400 भारतीयों के पीछे एक स्वैच्छिकसंगठन। यह विशाल संख्या भी वास्तविकता में देश में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों को संख्या से कम ही होगी। ऐसा इसलिए कि 2008में कराए गए अध्ययन में केवल उन संगठनों की गिनती की गई थी जो 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन कानून अथवा मुंबई सार्वजनिक ट्रस्ट या अन्य राज्यों में उसके समकक्ष कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत थे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक स्वैच्छिक संगठन महाराष्ट्र में पंजीकृत हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारत में राज्यवार 1 लाख से अधिक स्वैच्छिक संगठनों की संख्या निम्नानुसार है:

- महाराष्ट्र (4.8 लाख)
- आंध्र प्रदेश (4.6 लाख)
- उत्तर प्रदेश (4.3 लाख)
- केरल (3.3 लाख)
- गुजरात (1.9 लाख)
- पं. बंगाल (1.7 लाख)
- तमिलनाडु (1.4 लाख)
- ओडिश (1.3 लाख)
- राजस्थान (1 लाख)

इन आंकड़ो से पता चलता है कि केवल 10 राज्यों में ही 80 प्रतिशत से अधिक संगठनों का पंजीकरण हुआ है इसी प्रकार वित्तपोषण के मामले में सरकार का योगदान सबसे अधिक रहा है। ग्यारहवीं योजना में सामाजिक क्षेत्र के लिए 1 खरब 80 अरब रूपये अलग से निर्धारित किए गए थे। इसके बाद विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता का स्थान आता है। व्यक्तिगत दानदाता स्वैच्छिक

ISBN : 978-81-966958-1-1

संगठनों के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप मे उभर रहे हैं (मैथ्यू एवं वर्गीज 2011)। अधिकांश स्वैच्छिक संगठन छोटे संगठन हैं। सभी स्वैच्छिक संगठनों की तीन-चैथाई संख्या को समग्र रूप से केवल कार्यकर्ता ही चला रहे हैं। लगभग 13 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में 2 से 5 कर्मचारी हैं, लगभग 5 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में 6 से 10 कर्मचारी हंै और केवल 8.5 प्रतिशत संगठनों में ही 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सोसाइटी फाॅर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पी.आर.आई.ए.) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 73.4 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में केवल एक या एक भी वैतनिक कर्मचारी नहीं हैं यद्यपि देशभर में 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोग स्वैच्छिक संगठनों में या तो स्वयंसेवक या वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत कम्पनी ट्रस्ट, सोसाइटी (समिति) अथवा लाभ के लिए काम नहीं करने वाली निजी कंपनी के रूप भी में होता है। उन्हें आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 40 वीं आम सभा 1985 में 5 दिसम्बर को स्वैच्छिक दिवस (वालण्टरी डे) घोषित किया गया।

2.4 स्वैच्छिक गतिविधि -

भारत के आजादी पाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जमीन से जुड़े अनेक संगठनों के प्रेरणा स्रोत बन गए। तब उन्हें गांधीवादी संगठन कहा जाता था। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि हमें सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली है और भूख, गरीबी एवं वंचना से आजादी पाना अभी बाकी है। इसीलिए उन्होंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को, जो राजनीतिक साधनों के जरिये उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते थे, सलाह दी कि वे चुनावी राजनीति में चले जाएं। उन्होंने अन्य लोगों को सामाजिक सेवा में शामिल होने की सलाह दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के दूर-दराज के इलाकों तक बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। इसके अंतर्गत विनाशकारी अकाल और देश विभाजन की त्रासदी से राहत दिलाने के प्रयास किए जाते थे। वह एक जटिल काम था और इसके लिए जरूरी वित्तीय और मानवीय संसाधनों तथा राजकीय सहायता का अभाव था। समय की आवश्यकता को देखते हुए स्वैच्छिक संगठनों ने देश के दुर्गम इलाकों तक फैलकर अपना कामकाज ही नहीं किया बल्कि नये-नये तरीके भी निकाले जिनके जरिये वे वंचित और गरीब लोगों तक अपनी सेवाएं पहुँचा पाते थे। इनमें से अनेक सरकार के संसाधनों को आगे बढ़ाने वाले साधन बन गए। जैसे- जैसे स्थिति बदलती गई इन स्वैच्छिक संगठनों की प्रकृति, स्वरूप और कार्य भी बदलते

ISBN : 978-81-966958-1-1

गए। अगर हम आज की स्थिति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि स्वैच्छिक संगठनों के सामने नये अवसर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं।

2.5 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अधिकार और सेवा आधारित सामाजिक विकास

आज हमारा देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से प्रगति कर रहा है। लोकतंत्र मजबूत है और लगातार आर्थिक विकास ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। दुर्भाग्य की बात है कि इस आर्थिक प्रगति का लाभ आबादी के उस बड़े हिस्से तक नहीं पहुँच पा रहा है जो अब भी गरीबी के चंगुल में फंसी हुई है। इनमें शहरी गरीब ही शामिल नहीं है बल्कि जनजातीय, दलित और महिला वर्ग के लोग भी हैं। समाज के इन वर्गों के लाभ के लिए भारत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से अनेक परियोजनायें स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही हैं। अनेक स्वैच्छिक संगठनों की पैठ देश के दुर्गम इलाकों तक है और स्थानीय समुदाय में उनकी पहंुच की मान्यता है। इसीलिए वे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सरकार के बहुत प्रभावशाली भागीदार बने हुए हैं। सेवा प्रदाता के रूप में काम आसान बनाने का उनका प्रारम्भिक दायित्व है। इसके अलावा वे लोगों की इन योजनाओं के तहत लाभार्थी बनने की पात्रता तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

इस तरह से इन स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका सेवा और पात्रता प्राप्त करने के प्रयास के साथ-साथ लोगों को भूख, बीमारी से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण होती है। यह भी हकीकत है कि सार्वजनिक धन का पूरा मूल्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसका सही उपयोग हो। स्वैच्छिक संगठन इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य में कारगर भूमिका निभा रहे हैं।

सरकार के सहयोगी:-

कुछ ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो पैरोकारी और लोगों तक पहुँच बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे देश को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण शोध करते हैं। इन मुद्दों का सरकारी नीतियों से सीधा सम्बंध होता है। अनेक बार ये संगठन केन्द्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं इन समीक्षाओं से कार्यान्वयन में संशोधन करने और परियोजनाओं के लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करने में सहायता मिलती है। स्वैच्छिक संगठनों को स्थानीय जनता तक पहुँच का लाभ मिलता है और दूसरी ओर उन्हें तकनीकी ज्ञान भी होता है। ये स्वैच्छिक संगठन योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में भी मदद देते रहे हैं । 11वीं योजना की समीक्षा स्वैच्छिक संगठनों के एक समूह ने की थी। इससे पहले उन्होंनंे राज्य और विषय के स्तर पर सलाह मशविरे का काम संभाला था। अब योजना आयोग ने विभिन्न उपसमूह गठित किये हैं जिनके जरिये सरकार अपने नीति-निर्धारण

ISBN : 978-81-966958-1-1

की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करती है। पिछले दो वर्षो से चुनिंदा स्वैच्छिक संगठनों को वित्त मंत्रालय भी बजट से पहले हर साल सलाह मशविरे के लिए बुलाता है। अनेक मंत्रालयों ने सम्बद्ध क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सलाहकार समितियां गठित कर रखे हैं ।

स्वैच्छिक क्षेत्र नीति-निर्धारकों को अपने तंत्र के जरिये महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के काम में भी लगा हुआ है। ये संगठन जलवायु, परिवर्तन कृषि, उद्योग, वित्तीय सुधार आदि विषयों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करते हैं उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं और सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ये संगठन सांसदों और विधायकों को भी सूचनाएं देते हैं। अनेक बार ऐसा होता हैं कि इस प्रकार की प्राप्त सूचनाएं सरकार न तो स्वीकार करती है और न ही उन्हें आमंत्रित करती है। ऐसी स्थिति में ये संगठन मीडिया के जरिये अपने पैरोकारी अभियान चलाते हैं और ऐसा करने में वे लोकप्रिय प्रकाशनों का भी इस्तेमाल करते हैं जिनके जरिये सार्वजनिक चेतना बढ़ती है और जनसमर्थन प्राप्त होता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सेवा, कल्याण एवं विकास कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों को सेवा प्रदाता संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को रू0 चार करोड़ प्रदान किये गये जिससे इन संगठनों को सहायता प्रदान की जा सके तथा ये संगठन अपने सेवा दे सकें। इसके बाद के बहुत सारे कार्यक्रम सेवा प्रदान करने हेतु क्रियान्वित किये गये। लेकिन इन कार्यक्रमों की कमियों के चलते वास्तविक लाभार्थी और गरीबों तक इनका लाभ नहीं पहुँच पाया। सेवा प्रदान करने के सिद्धांत में प्रमुख कमी है इसकी शक्ति और अन्याय में उलइना और इनके कारण अधिकारण का हनन होना (मंदर 2006)। स्त्रीतेन (1984) का कहना है कि यह स्पष्ट नही है कि क्या न्यूनतम आवश्यकतापूर्ति विधि गरीब को वह शक्ति देती है जिससे वह अपनी परिस्थिति में सुधार कर सके या यह उस दबाव बनाने वाले समूह के लिए सहायक है।

लगातार सेवा प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के वांछित परिणाम न मिलने पर बहुत से संगठनों ने इस पर सोचना प्रारम्भ किया कि यदि लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधा और सेवा उनको मिल जाय तो उनका विकास और कल्याण स्वयं हो जायेगा। तभी से विकास के एक दूसरे सिद्धान्त के विद्यालय का उदय हुआ जिसने 'अधिकार आधारित विकास' विधि को विकास का आधार माना।

आजादी के बाद से भारत मे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी दूर करने तथा भुखमरी एवं कुपोषण दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन बढ़ती असमानता ने सामाजिक नीति विश्लेषकों तथा विकास कार्यकर्ताओं को सोचने पर मजबूर किया है कि विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों को किस तरह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाय।

ISBN : 978-81-966958-1-1

विकास कार्यक्रमों में सरकारी संगठनों द्वारा किये गये कार्य में बदलाव, अनुकूल ढाँचे की कमी, जिम्मेदार सेवा प्रदाता एवं फण्ड की कमी के कारण विकास लक्ष्य प्राप्ति से दूर रहा। इस दौरान कई स्वयं सेवी संगठन एवं अपनी दूरगामी सोच, गरीब के प्रति लोचदार व्यवहार, नियोजित कार्यक्रमों के संचालन एवं जिम्मेदार व्यवहार के कारण संगठित सेवा प्रदाता सिद्ध हुए। सेवा प्रदाता संगठनों ने दो प्रकार की रणनीति अपनाई। कुछ कल्याण कार्यक्रमों के संचालन में सरकारी एवं अन्य संगठनों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं जबकि कुछ संगठन कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सेवा प्रदाता संगठनों की गुणवत्ता, वास्तविकता एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन कार्यक्रमों के लाभ पहुँचाने की कड़ी की निगरानी का कार्य कर रहे हैं तथा अधिकार आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से गड़बड़ी दूर करने के प्रयास में संलग्न हैं।

नोबेल पुरस्कृत अमत्र्य सेन ने वर्ष 1981 में लिखा था कि भयंकर अकाल योजना की कमी के कारण नहीं होते बल्कि भोजन की प्रभावी पहुँच तथा मालिकाना हक इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से संसाधनों की कमी के कारण तथा सीमित पहुँच के कारण गरीब योजनाओं का लाभ कम ही ले पाते हैं।

दरअसल अधिकार किसी सुविधा, लाभ या चीज को नैतिक या वैधानिक आधार पर प्राप्त करना है। प्रमुख अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन ने अपनी थ्योरी आफ इंटाइटिलमेंट में किसी वस्तु, सेवा या सुरक्षा को अधिकृत हक माना है। समाजकर्मी हर्ष मंदर ने लिखा है कि किसी सेवा या लाभ की प्राप्ति में राज्य का नजदीकी जुड़ाव अति आवश्यक है। उन्होने सेवा प्रदाय की नवोन्मेषी प्रविधियों को सामाजिक नीति पर प्रभावी मानने हुए कहा कि नागर -समाज का जुड़ाव सेवा प्रदाय में उचित भूमिका का निर्वहन का कर सकता है।

अधिकार आधारित प्रविधि पर बहुत से संगठनों ने 1980 के दशक में कार्य किया तथा सुन्दर लाल बहुगुणा, मेघा पाटकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य हुए। आज केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की वकालत कर रही है उसके पीछे भी अधिकार आधारित प्रविधि रही है। दरअसल रोजगार की गारण्टी को लेकर कई राज्यों में काफी अर्से से आंदोलन किये जा रहे थे और महाराष्ट्र राज्य ने काफी पहले रोजगार गारण्टी कार्यक्रम शुरू किया था। भारत सरकार ने इसके पूर्व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से

ISBN : 978-81-966958-1-1

रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया किन्तु सामाजिक संगठनों की न्यूनतम 100 दिन के रोजगार के अधिकार की माँग के कारण सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरण्टी अधिनियम बनाना पड़ा। अधिकारों की प्राप्ति में कानून सहायक होता है। स्वैच्छिक संगठनों की विभिन्न माँगों के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून बनाने पड़े। इन कानूनों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अधिकार आधारित कानूनों का प्रभाव हर तरफ देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों को रोजगार गारण्टी के साथ मिल रहा है। लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त है। गरीब निःशुल्क कोई भी जानकारी अधिनियम के दायरे में प्राप्त कर सकता है। आदिवासी अब जंगल में अपनी जमीन का मालिकाना हकदार है। लेकिन बहुत से अधिकार जैसे स्वास्थ्य का अधिकार इत्यादि अभी भी लागू किये जाने हैं।

सारांश (Summary)

- हमने भारत में आजादी के पूर्व के स्वैच्छिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
- स्वैच्छिक क्षेत्र में विश्व के प्रमुख स्वैच्छिक कार्य तथा आजादी के पश्चात किए गए स्वैच्छिक कार्यो पर सारगर्भित ज्ञान प्राप्त हुआ।
- स्वैच्छिक संगठनों द्वारा हो रहे सामाजिक विकास तथा उनके अधिकारी पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।
- स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किये जा रहे अधिकार आधारित विकास को हमने जाना और समझा।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- सामाजिक विकास – इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि- "विकास एक आंशिक अथवा शुद्ध प्रक्रिया हैं जो आर्थिक पहलू में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता हैं।
- परियोजनाओं - किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य-योजना बनायी और कार्यान्वित की जाती है उसे परियोजना कहते हैं।
- जनसमर्थन - लोगों का समर्थन:"अन्ना हज़ारे को विशाल जनसमर्थन प्राप्त है।

स्व–मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **अति लघु उत्तरीय प्रश्न -**

1 विश्व के कोई दो स्वैच्छिक कार्य बताये ।

2 भारत मे स्वैच्छिक कार्य के इतिहास कैसा है ?

ISBN : 978-81-966958-1-1

3 भारत में आजादी के पूर्व के किन्ही दो स्वैच्छिक संगठन के कार्यो का वर्णन करे ?

4 स्वैच्छिक गतिविधिक्य है ?

5 आजादी के बाद किए गए किन्ही दो स्वैच्छिक कार्यो का वर्णन करे ?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न -**

1 विश्व के प्रमुख स्वैच्छिक कार्य कौन -कौन से है ?

2 भारत मेस्वैच्छिक कार्यो का एतिहासिक लिखें।

3 आजादी के पूर्व के स्वैच्छिककार्य कैसे थे ?

4 भारत के संबंध मे स्वैच्छिक संस्थाओ का क्या महत्व हैं ?

5 वर्तमान मे हो रहे स्वैच्छिक कार्यो का परिदृश्य कैसा है ?

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -**

1 भारत में आजादी के पूर्व के स्वैच्छिक संगठन के कार्यो का वर्णन विस्तार पूर्वक करे।

2 विश्व के प्रमुख स्वैच्छिक कार्यो को विस्तार पूर्वक समझाये।

3 आजादी के बाद किए गए सभी स्वैच्छिक कार्यो का वर्णन विस्तार से करे।

4 स्वैच्छिक गतिविधियो का विस्तार से उल्लेख करे।

5 स्वैच्छिक संगठनो द्वारा अधिकार और सेवा आधारित सामाजिक विकास उल्लेख करे विस्तार से।

- **बहु-विकल्पीय प्रश्न -**

1. ग्यारहवीयोजना मे सामाजिक क्षेत्र के लिए सरकार ने अलग से कितने रुपे निर्धारित किए थे ?

   क.1 अरब 80 करोड़ ख.1 खरब 80 अरब

   ग.1 अरब 80 लाख घ. इनमे से कोई नहीं

2. राजस्थान मे कितने स्वैच्छिक संगठन पंजीकृतहैं ?

   क.2.5 लाख ख. 1 लाख

   ग. 3.2 लाख घ. 3.8 लाख

ISBN : 978-81-966958-1-1

3. महाराष्ट्र मे कितने स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत हैं ?

   क. 4.3 लाख　　ख. 4.1लाख

   ग. 4.8 लाख　　घ. 4.5 लाख

4. उत्तर प्रदेश मे कितने स्वैच्छिक संगठन पंजीकृतहैं?

   क. 4.3 लाख　　ख. 4.1लाख

   ग. 4.8 लाख　　घ. 4.5 लाख

5. गुजरात मे कितने स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत हैं ?

   क. 1.9लाख　　ख. 3 लाख

   ग. 2.1लाख　　घ. इनमे से कोई नहीं

6. पं॰ बंगाल मे कितने स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत हैं ?

   क. 1.7 लाख　　ख. 2.7लाख

   ग. 3.5लाख　　घ. 4लाख

7. सरकारी आंकड़ो के अनुसार सबसे अधिक स्वैच्छिक संगठन किस राज्य मे पंजीकृत है ?

   क. महाराष्ट्र　　ख. गुजरात

   ग. पं बंगाल　　घ. उत्तर प्रदेश

8. सरकारी आंकड़ो के अनुसार 1970 तक देश मे कितनी समितीय पंजीकृत थी ?

   क. 1.44 लाख　　ख. 1लाख

   ग. 1.5लाख　　घ. 2.33लाख

9. समितियों के पंजीकरण की संख्या मे व्रद्धि किस वर्ष के बाद हुई ?

   क. वर्ष 2001　　ख. वर्ष 2002

   ग. वर्ष 2000　　घ. वर्ष 2004

10. सरकार द्वारा कराये गए एक अध्ययन के अनुसार भारत मे 2009 के अंत तक कितने स्वैच्छिक संगठन थे?

    क.30 लाख 30 हजार　　ख.25 लाख 20 हजार

    ग.30 लाख　　घ. इनमे से कोई नहीं

ISBN : 978-81-966958-1-1

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. भारत में आजादी के बाद किये गए स्वैच्छिक कार्यो तथा सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. भारत में आजादी के पहले स्वैच्छि कार्य तथा सामाजिक विकास का अध्ययन कर समाज में स्वैच्छि संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझें।
3. वर्तमान में चल रहे स्वैच्छिक कार्य तथा अधिकार आधारित सामाजिक विकास में स्वैच्छिकता की महत्वपूर्ण भूमिका नर जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के एक स्वैच्छिक संगठन का भ्रमण किया।

संदर्भ (References)

- देवपुर प्रतापमल (2011): ''ग्रामीण विकास और स्वयं सेवी संगठन'', योजना, नवम्बर।
- मैथ्यू जोमोन एवं वर्गीज जोबी (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों पर विहंगम दृष्टि'', योजना, नवम्बर।
- जैतू हर्ष (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों का भविष्य'', योजना, नवम्बर।
- जैन, जे.के. (1993): ''व्यावसायिक प्रशासन एवं प्रबंध'', कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- समर्थन-सेन्टर फाॅर डेवलपमेंट सपोर्ट की स्वैच्छिक संगठनों की पुस्तिका।
- टण्डन, राजेश (1993): ''स्वयं सेवी संगठनों का प्रबंधन'', प्रिया, नई दिल्ली।
- शुक्ल एस.एम. एवं गुप्त एस.पी. (2011): ''^^Advanced Accounting**साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- M.P. Societies Registration Act 1973 and Rules 1999.
- Foreign Contribution & Regulation Act., 2010.
- ''कार्यक्रम का मूल्यांकन'', यू.पी.वी.एच.ए.
- मोतिहर, एम. एवं अग्रवाल, अमित (2008),: ''क्रियात्मक प्रबंध'', प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- करात प्रकाश (1988): ''विदेशी अनुदान तथा स्वैच्छिक संगठनों का दर्शन'', दि माक्सिस्ट।
- ''संस्थागत रणनीति का निर्धारण'', समर्थन भोपाल
- पेत्रास, जेम्स एवं वेल्तमेयर हेनरी (2003): ''ग्लोबलाइजेशन अनमास्क्ड''

ISBN : 978-81-966958-1-1

- मिश्र, विश्वनाथ एवं सिंह, अरविन्द (2006): ''एन.जी.ओ.-एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र'', राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
- मिश्र, दीनानाथ (2006): ''संघ के सेवा कार्यों की अनुदेखी'', दैनिक जागरण
- रोल्योक्स, जोन (1995): ''गैर-सरकारी, स्वयं-सेवी संगठनों और दाता एजेंसियों का असली चरित्र'', मंथली रिव्यू, वर्ष-47, अंक-5.
- करात, प्रकाश (1988): "Foreign funding and the philosophy of voluntary organizations", National Book Centre, New Delhi.
- ''गैर-सरकारी संगठनों का विकास एवं प्रबन्धन'', महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट की सतत एवं दूरस्थ शिक्षा पुस्तिका।
- वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010, 2012, 2014 एवं 2016, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- ''स्वैच्छिक संगठन लोक तंत्र की तीसरी आँख'', दैनिक जागरण, 13 नवम्बर, 1954

ISBN : 978-81-966958-1-1

इकाई-3 : स्वैच्छिक संगठनों का विजन और मिशन, नाना जी और टैगोर का दर्शन और प्रयोग

उद्देश्य :

इस इकाई के माध्यम से आप जान सकेगें कि-

1. स्वैच्छिक संगठनों के विजन और मिशन को स्पष्ट कर सकेगें।
2. स्वैच्छिक संगठनों के विजन के तत्व तथा विशेषताऐं समझ सकेगें।
3. स्वैच्छिक संगठनों के मिशन के तात्पर्य को समझ सकेगें।
4. नाना जी देशमुख का चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विजन को समझ सकेगें।
5. ग्राम विकास के दर्शन और प्रयोग पर रवींद्रनाथ टैगोर की भूमिका पर जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

3.1 स्वैच्छिक संगठनों का विजन और मिशन

विषय प्रवेश

मानव सभ्यता के साथ-साथ संगठनों की शुरुआत हुई। देश में आजादी पूर्व रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं महात्मागांधी जसै समाजसेवी द्वारा विभिन्न सगंठनों के माध्यम से स्वैच्छिक कार्य प्रारम्भ किये। कालान्तर में आजादी मिलने के साथ सरकार ने भी स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देते हुए स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शुरू किया। इस इकाई के माध्यम से हम स्वैच्छिकता, स्वैच्छिक संगठन, देश में स्वैच्छिक सगंठनों की स्थिति, उनकी भूमिका एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करेंगे।

स्वैच्छिक संगठनोंका विजन और मिशन -

प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए स्वैच्छिकसंस्थाएँ विजन एवं मिशन बनाती हैं। ''समर्थन' ने विजन-मिशन पर व्यापक रूप से अध्ययन सामग्री तैयार किया है, जिसकी सहायता से विजन-मिशन को और अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रत्येक संस्था का एक जीवन चक्र होता है। यह जीवन उतना ही लम्बा होगा तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए उतना ही उपयोगी हो सकेगा जितना स्पष्ट होगा इसके होने का कारण तथा इसके प्रयासों की दिशा। किसी संस्था को इसके स्थापित होने का आधार देने वाले तथा इसके कार्यों को दिशा प्रदान करने वाले तीन ही तत्व हैं इसका स्वप्न (विजन), इसका लक्ष्य (मिशन) तथा इस लक्ष्य को प्राप्त

ISBN : 978-81-966958-1-1

करने की रणनीति तार्किक धरातल पर देखे तो बिना इन तत्वों के कोई संस्था अपने उद्देश्यों तथा गतिविधियों का निर्धारण ही नहीं कर पायेगी। स्वप्न से लक्ष्य, लक्ष्य से उद्देश्य तथा उददेश्य व लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाती है। लक्ष्य व उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापक रणनीति के तहत गतिविधियां चलाई जाती हैं। ये सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं।

विजन-मिशन-रणनीति जैसे आधारभूत तत्वों पर समझ के अभाव में तथा संस्था के संदर्भ में इनका उचित ढंग से निर्माण न होने की दशा में संस्था का लम्बे समय तक टिक पाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि आज के दौर में कई लक्ष्यहीन संस्थाए अल्पायु में ही दम तोड़ती दिख जाती हैं। संस्था में स्पष्ट और लिखित विजन-मिशन-रणनीति का होना एक और महत्वपूर्ण अर्थ में आवश्यक है। संस्था के जीवन मैं सिर्फ संस्थापक व प्रारम्भ में जुड़े कार्यकर्ता ही नहीं होते हैं। कई लोग इससे बाद में जुड़ते रहते हैं। कई बार संस्था का स्वप्न, लक्ष्य तथा रणनीति संस्थापक तक ही सीमित रह जाता है। यह संस्थापक तथा प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं के मन मैं कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, अलिखित रह जाता है तथा दस्तावेज के रूप में संग्रहित नहीं हो पाता है। बाद मे जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं के संदर्भ में हम पाते हैं कि ये नये कार्यकर्ता सीधे-सीधे संस्था के कार्यक्रमों से जुड़ जाते हैं न कि संस्था की सोच व स्वप्न से। संस्था में नए कार्यक्रम आते हैं तो नए कार्यकर्ता भी आते हैं, परन्तु संस्था में विजन-मिशन न रहने पर उनका परिचय संस्था के वृहद लक्ष्य तथा रणनीति से नहीं हो पाता है। फल यह होता है कि कार्यकर्ता अपनी व्यक्तिगत सोच को महत्व देने लग जाता है और संस्था के कार्यक्रम की दिशा बदल जाती है। संस्था में स्पष्ट स्वप्न, लक्ष्य तथा रणनीति होने की दशा में नया कार्यकर्ता जुड़ने से पहले ही यह विश्लेषण कर सकता है कि उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच संस्था की सोच से मेल खाती है अथवा नहीं। यदि दोनो का मेल होता है तभी नया व्यक्ति संस्था से जुड़ पाता है। इस प्रकार जुड़ने वाला व्यक्ति संस्था की व्यापक सोच मे शामिल हो जाता है तथा संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होता है।

संस्था के संस्थापकों के न रहने पर संस्था का स्वप्न, लक्ष्य व रणनीति कहीं गुम न हो जाए इसके लिए संस्था में न सिर्फ स्पष्ट रूप से इनका निर्माण होना चाहिए बल्कि इनका दस्तावेज भी तैयार होना चाहिए ताकि इसके ऊपर संस्था के भीतर विचार-विमर्श की प्रक्रिया चलती रहे तथा सामूहिक समझ बनाई जा सके। संस्था के स्वप्न एवं लक्ष्य संस्था के जितने ही ज्यादा लोगों स्पष्ट रहता है संस्था उतनी ही ज्यादा सशक्त होती है।

संस्था की रणनीति के सन्दर्भ में भी उपरोक्त बातें ही लागू होती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि संस्था की सफलता में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कोई हो ही नहीं सकती है कि संस्था की एक स्पष्ट व प्रभावी रणनीति हो और जिस पर संस्था के सभी लोगों की समझ हो तथा सभी उसी के

ISBN : 978-81-966958-1-1

अनुसार कार्य करते हों। एक बेहतर रणनीति ही यह तय कर सकती है कि संस्था के लक्ष्य को सीमित साधनों के उपयोग से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

वनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर पिछले छः दशकों से आदिवासी क्षेत्र में अपनी सेवायें प्रदान कर रहा है। चाहे आदिवासी कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो या फिर वाटरशेड विकास कार्यक्रम आश्रम ने सोनभद्र जिले में अपनी पहचान बना रखी है। संस्थापक प्रेम भाई के देहावसान के पश्चात डा. रागिनी प्रेम ने संस्था की बागडोर सम्भाली। उनकी देहावसान के पश्चात उनकी पुत्री अपने संस्थापक माता-पिता के विजन और मिशन के आधार पर आश्रम के कार्यो को सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं।

संस्था का विजन (स्वप्न) -

प्रत्येक संस्था जब प्रारम्भ होती है तो उसे स्थापित करने के पीछे एक सपना होता है। संस्था इस सोच के साथ खड़ी होती है कि समाज की कुछ अवांछित स्थितियों में परिवर्तन किया जाए ताकि एक ऐसे समाज की स्थापना में योगदान हो सके जिसकी कल्पना संस्था व इसके संस्थापकों ने की है। संस्था के कुछ मूल्य होते हैं जो उसे उसके सपने से जोड़तेहैं । संस्था का स्वप्न कई बार तो इसके संस्थापक के व्यापक सामाजिक चिंतन एवं व्यक्तिगत रूप से देखे गए सपने का विस्तार होता है पर कई बार कई लोग एक साथ जुड़कर प्रारम्भिक रूप से संस्था की नींव रखते हैं तथा ऐसी स्थिति में उनका साझा सपना संस्थागत स्वरूप ग्रहण करता है। कहने का भाव यह कि कई कारकों जैसे सामाजिक-राजनैतिक संदर्भ संस्थापकों के पूर्वानुभव तथा मूल्यों के मेल से संस्था के विजन का निर्माण होता है।

संस्था समय के साथ जब बड़ी होती है तो उसे कार्यक्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में कई तरह के नए-नए कार्यक्रम संचालित करने के अवसर आते हैं । कई बार यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये नये कार्यक्रम लिए जाए अथवा नहीं। देखना पड़ता है कि वे संस्था की मूल सोच व सपने से मेल खाते हैं अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में या तो विजन पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ जाती है या नई गतिविधियों से जुड़ने के औचित्य पर ही। बहुधा ऐसी स्थिति में उन नई गतिविधियों से न जुड़ने का फैसला किया जाता है जो सपने से मेल नहीं खाती।

अरुण त्यागी एवं उनके सहयोगीयो ने आदिवासी समाज के विकास एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण एवं विकास हेतु ग्राम सुधार समिति का गठन किया। उनके कार्यों के परिणामस्वरूप खैरा जैसे दूरस्थ एवं आदिवासी गाँव का कायाकल्प हो गया। समिति का विजन वंचित एवं आदिवासी समाज का विकास था, जिसकी पूर्ति हेतु ग्राम सुधार समिति ने वाटरशेड परियोजना के माध्यम से कृषि विकास एवं संसाधन प्रबंधन पर ध्यान देकर उल्लेखनीय कार्य किया।

ISBN : 978-81-966958-1-1

नोबेल पुरस्कृत कैलाश सत्यार्थी ने अपनी संस्था का एक विजन तैयार किया और उन्होंने बाल मजदूरी और शोषण विहीन समाज का एक स्वप्न देखा। इस विजन को पूर्ण करने में उनको वर्षों लगे, रास्ते में रुकावटें आयीं किन्तु उन्होंने इन सबके आगे अपने विजन को रखा। उनके इस विजन को मान्यता प्रदान करते हुए अनेक संगठनों ने उनको स्वप्न दृष्टा माना तथा पुरस्कारों से अलंकृत किया।

विजन का तात्पर्य:

संस्था के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विजन संस्था की वह सोच है जो यह बतलाती है कि संस्था दुनिया अथवा समाज को किस रूप मैं देखना चाहती है। विजन यह भी प्रदर्शित करता है कि वर्तमान का जो अवांछित सत्य है उसकी तुलना में संस्था किस नई सच्चाई को स्थापित करने की आशा करती है। विजन उन आदर्शों एवं परिकल्पनाओं की अभिव्यक्ति है जिसे सम्भवतः कई पीढ़ियाँ मिलकर प्राप्त करने की आशा करेंगी।

संस्था के विजन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:

"एक ऐसी आदर्श स्थिति जिसे संस्था के सभी सदस्य प्राप्त करने की आशा करते हैं तथा जिसके लिए कार्य करते हैं। उस आदर्श स्थिति की परिकल्पना में सभी भागीदार होते हैं। यह आदर्श स्थिति वर्तमान की सच्चाईयों को बदलकर एक नई सच्चाई की स्थापना की परिकल्पना करती है।"

इस आदर्श स्थिति को प्राप्त करना संस्था के लिए बहुत दूर का लक्ष्य होता है जिसे संस्था शायद अपने अकेले प्रयासों से प्राप्त न कर पाए। यह सपना बहुत व्यापक होता है जिसमें बहुत सारी संस्थाओं के आदर्श समाहित हो सकते हैं। अतः बहुत सारी संस्थाओं के विजन एक ही तरह के हो सकते हैं। परन्तु अपनी संस्था का स्पष्ट विजन होना संस्था के लिए काफी महत्व रखता है क्योंकि वही आदर्श वाक्य संस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों को वांछित दिशा में कार्य करते रहने के लिए उत्प्रेरित करता है। संस्था का विजन उसके लिए प्राण-वायु की तरह है जो संस्था को जीवन शक्ति प्रदान करते रहती है। भिन्न-भिन्न सोच व मुद्दों पर कार्य करने वाली संस्थाओं के विजन में भिन्नता भी दिखती है परन्तु समान सोच व मुद्दे पर काम करने वाली संस्थाओं के विजन में समानता हो सकती है। कुल मिलाकर विजन इतना व्यापक होता है कि एक तरह की सोच वाली तमाम संस्थाओं तथा उनसे जुड़ने वाले व्यक्तियों के सपने उसमें समाहित हो सकते हैं।

ISBN : 978-81-966958-1-1

सामाजिक विजन के कुछ उदाहरण -

1. स्वास्थ्य को प्रमुख मुद्दा मानने वाली तथा इसे अपनी सोच में केन्द्रीय स्थान देने वाली संस्था का विजन इस प्रकार हो सकता है- एक ऐसे शोषणविहीन समाज की स्थापना जहाँ हर व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
2. स्त्री-पुरूष समानता को मूल्य प्रदान करने वाली संस्था का विजन इस प्रकार लिखा हुआ हो सकता है- एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लिंग आधारित भेदभाव न हों तथा जिसमें महिला और पुरुष समान रूप से निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं।
3. इसी प्रकार एक सहयोगी संस्था का विजन इस प्रकार हो सकता है।

"एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें सूचनाओं तक सबकी पहुँच हो तथा जिसके आधार पर सभी को समान अवसर प्राप्त हो।"

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे स्वप्न (विजन) एक आदर्श स्थिति को प्रस्तुत करते हैं जिनको सामने रखकर संस्था अपना लक्ष्य तथा रणनीति तय कर सकती है।

उपरोक्त उदाहरणों को देखने से यह भी पता चलता है कि विजन एक दूर के सपने की तरह है जो संस्था को सबसे अतिम लक्ष्य के रूप में प्राप्त हो सकता है। इनको प्राप्त करने में सिर्फ एक अकेली संस्था का कार्य ही काफी नहीं है बल्कि एक ही विजन की ओर बहुत सारी संस्थाएं अपने ढंग से कार्य कर रही है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विजन का एक मूल्यात्मक आधार (base) होता है। विजन में समान भागीदारी, भेदभाव रहित न्याय पर आधारित अथवा समान अवसरों पर आधारित समाज जैसे मूल्यों का समावेश किया जाता है।

विजन हमेशा स्पष्ट तथा संक्षेप में वर्णित होता है तथा उस ओर इंगित करता है जिस ओर संस्था तथा इसके सदस्यों को कार्य करना होता है।

3.2 विजन निर्माण के तत्व एवं विजन की विषेशताएं

विजन -निर्माण के तत्व

विजन (स्वप्न) के निर्माण में एक मूल तत्व है जिसे हम मूल्य (टंसनम) कह सकते हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य होते हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में वह एक आदर्श स्थिति की कल्पना करता है। ये मूल्य कई तत्वों के मेल से बनते हैं जैसे:

ISBN : 978-81-966958-1-1

1. सामाजिक-राजनैतिक वातावरण
2. अनुभव
3. पारिवारिक मान्यताएँ
4. सांस्कृतिक पम्रपराएँ
5. वैचारिक दृष्टिकोण

अपने व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर हर व्यक्ति का एक सपना होता है। जैसे उस समाज का निर्माण जो शोषणविहीन लिंगभेद रहित और समता पर आधारित हो या वह समाज जो जीवन-जीने के संसाधनों से परिपूर्ण हो इत्यादि। जब व्यक्ति को अपने मूल्यों के विरूद्ध समाज में घटित होता हुआ कुछ दिखता है तो उसे तकलीफ होती है और वह अपने सपने के अनुसर समाज को बनाने की दिशा में प्रयत्न करता है। इस सपने को साकार करने के लिए समान मूल्य रखने वाले लोगों के साथ मिलकर व्यक्तिगत मूल्यों को सामाजिक मूल्यों मे परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल पड़ती है ताकि सपने को साकार किया जा सके।

व्यक्तिगत मूल्य संस्थागत स्वरूप लें इसके लिए आवश्यक है कि जिन मूल्यों के आधार पर विजन का निर्माण किया गया है उनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाए ताकि संस्था से जुड़ने वाले नए लोग यह तय कर सकें कि वे भी उन मूल्यों में विश्वास करते हैं या नहीं। ये मूल्य प्रेरणादायी भी होने चाहिए ताकि समान विचार रखने वाले बहुत सारे लोग प्रेरणा प्राप्त करके संस्था से जुड़ सकें। मूल्य बार-बार बदलते नहीं। इन मूल्यों का संस्था की संस्कृति निर्मित करने मे बहुत बड़ा योगदान होता है। अतः संस्था के भीतर इन मूल्यों तथा उनसे जुड़े विजन पर समय-समय पर चर्चा होती रहनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते रहें।

विजन की विशेषताएँ -

एक अच्छे विजन-वाक्य या कथन का संस्था के संदर्भ में प्रेरणादायी महत्व होता है। अतः विजन के कथन की निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए:

स्पष्ट तथा संक्षिप्त -

एक अच्छा विजन वह होता है जो स्पष्ट तथा संक्षिप्त होने के साथ-साथ इस प्रकार वर्णित होता है कि वह लोगों को आसानी से समझ में आ जाए।

याद्दाश्त में रहने योग्य- विजन इस प्रकार का होना चाहिए कि आसानी से स्मरण में बना रह सके तथा उसे याद रखने के लिए विशेष कोशिश न करनी पड़े।

उत्प्रेरक- विजन तभी कारगार होता है जब वह स्वयं ही लोगों को उत्प्रेरित करे, उत्तेजित करे कि सपने को प्राप्त करने की ओर बढ़ना है।

ISBN : 978-81-966958-1-1

लोगों को जोड़ने वाला- विजन की यह विशेषता होनी चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक जोड़े रख सके। बहुत सारे लोग जब संस्थागत विजन में अपने व्यक्तिगत सपने को भी समाहित महसूस करते हैं तभी संस्था का सपना साकार होता है।

चुनौती प्रस्तुत करने वाला- एक विजन एक चुनौती प्रस्तुत करता है ताकि उस विजन से जुड़े लोग उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। यह एक दूरगामी चुनौती है अतः लम्बे समय तक संस्था के सदस्यों के सामने बनी रहती है।

प्राप्त होने का भाव-विजन बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे यह लगे कि ऐसा कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता है विजन तो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि समय जरूर लगेगा पर ऐसा समाज होना संभव है। तभी विजन उत्प्रेरक हो सकेगा अन्यथा लोगों में निराशा पैदा कर देगा।

दिशा-निर्देशक- विजन तो संस्था के लिए पथ प्रर्दशक की भूमिका निभाता है। अतः विजन में उन तत्वों का समावेश होना चाहिए जिससे पता चलता रहे कि संस्था को किस ओर जाना है किस ओर नहीं।

स्थायी परन्तु लोचदार- विजन तुरन्त-तुरन्त बदलने वाला नहीं होता बल्कि व्यापकता के साथ साथ स्थायित्व का गुण भी इसमें होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विजन को बदला नहीं जा सकता है। विजन को बदलने के अवसर संस्थाओं के जीवन में कभी कभार ही आ पाते हैं। विजन को इस तरह लोचदार होना चाहिए, कि थोड़े बहुत परिवर्तन का समावेश करता हुआ यह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे।

क्रियान्वयन योग्य तथा माप्य- विजन इस प्रकार का होना चाहिए कि इसके आधार पर क्रियान्वयन योग्य लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें तथा जिसके प्रभाव को मापा जा सके। विजन को कोई हवाई सपना नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा सपना होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की दिशा में ठोस लक्ष्य तथा कदम निर्धारित किए जा सकें तथा उसके परिणामों को ठीक-ठीक जाना जा सके।

अतः संस्था का विजन निर्धारित करते समय विजन की उपरोक्त विशेषताओं का ख्याल रखना आवश्यक होगा तभी कोई संस्था अपने एक सार्थक विजन वाक्य का निर्धारण कर सकती है जिससे संस्था के सभी सदस्यों को हमेशा प्रेरणा प्राप्त होती रहे।

3.3 स्वैच्छिक संगठनों के मिशन का तात्पर्य -

स्वैच्छिक संगठनों का मिशन

समाज में व्यापक परिवर्तन के दृष्टिकोण से गंभीर प्रयास करने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थाएँ अपना एक स्पष्ट मिशन यानि लक्ष्य तय करें ताकि दृढ़ता व संकल्प के साथ उसे प्राप्त करने की दिशा में बढ़ा जा सके। संस्था का विजन (सपना) तो बहुत व्यापक होता है और एक ही सपने के बहुत सारे साझेदार होते हैं यानि बहुत सारी संस्थाओं को मिलाकर एक ही साझा सपना हो सकता है। परन्तु प्रत्येक संस्था का मिशन अलग होता है जो प्रत्येक संस्था को अपनी अलग-अलग पहचान देता है। संस्था

ISBN : 978-81-966958-1-1

अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है क्योंकि यही वह लक्ष्य होता है जो संस्था के जीवनकाल के दायरे में प्राप्त होने लायक होता है। संस्था अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होती है। संस्था तो अपनी स्थापना का औचित्य अथवा कारण ही मिशन के आधार पर विश्लेषित करती है यानि संस्था का जीवन मिशन की प्राप्ति के लिए ही होता है।

संस्था के सदस्यो को आपस में बांधकर रखने वाला तत्व संस्था का मिशन ही होता है। सामान्यतः मिशन का निर्माण तो संस्था के भीतर संस्था के संस्थापक या संस्थापकगण ही करते हैं परन्तु संस्था के भीतर जितने ज्यादा लोगों की इसमें हिस्सेदारी बढ़ती है व इस पर समझ विकसित होती है संस्था की आंतरिक संगठन शक्ति उतनी ही मजबूत होती जाती है तथा लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं।

मिशन (लक्ष्य) का तात्पर्य

संस्था के परिप्रेक्ष्य में मिशन वह लक्ष्य है जिसके लिए संस्था का गठन होता है और संस्था जीवित रहती है। यह मिशन हमेशा संस्था के व्यापक विजन (सपने) के दायरे में होता है जो यह परिलक्षित करता है कि सपने का कौन सा भाग किस प्रकार से संस्था पूरा करना चाहती है। दूसरे शब्दों में मिशन यह वर्णित करता है कि व्यापक सामाजिक स्वप्न को पूरा करने में संस्था का कैसा अथवा किस प्रकार का योगदान होगा।

सरल रूप में यह कहा जा सकता है कि मिशन यह स्पष्ट करता है कि किस वर्ग अथवा लक्ष्य समूह के साथ कार्य करना है तथा उनको कौन सी सेवायें प्रदान करनी हैं। इस प्रकार मिशन मूलत: दो प्रश्नों का उत्तर देता है- पहला यह कि किस वर्ग या समूह को सेवा प्रदान की जानी है और दूसरा यह कि संस्था कौन सी सेवा प्रदान करेगी? इसके अलावा मिशन में सामान्यतः यह भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झलकता है कि संस्था के मूल मूल्य क्या हैं।

दीन दयाल शोध संस्थान के माध्यम से नाना जी ने एक मिशन तय किया कि वर्ष 2010 तक चित्रकूट की 50 कि.मी. परिधि के गाँवों का सम्पूर्ण विकास किया जायेगा। इस मिशन की प्राप्ति के लिए उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत की जैसे कृषि विकास के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र जो गनीवाँ एवं मझगवाँ में स्थित हैं जहाँ कृषकों को उन्नत कृषि पशुपालन, बीज उत्पादन फल उत्पादन एवं प्रसंस्करण पर प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आरोग्य धाम मैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा जड़ी-बूटी उत्पादन एवं प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया, शिक्षा के लिए सुरेन्द्र पाल ग्रामोदय विद्यालय एवं आदिवासी विद्यालय की स्थापना किया, रोजगार प्रशिक्षण एवं सृजन के लिए उद्यमिता विद्यापीठ की स्थापना की।

ISBN : 978-81-966958-1-1

मिशन के कुछ और उदाहरण -

संस्था के मिशन का निर्धारण हमेशा उसके जीवन विजन के दायरे में ही होता है अतः सभी उदाहरणों को विजन के साथ -साथ ही स्पष्टता से समझा जा सकता है।

विजन - एक ऐसा समाज जहां सभी बच्चे स्वस्थ जन्म लेते हों।

मिशन - गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के पूर्व की सभी सूचनाएं तथा देखभाल के रूप में सहायता प्रदान करना ताकि स्वस्थ बच्चे के जन्म की संभावना बढ़ सके।

3.4 नाना जी देशमुख का चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय पर विजन -

केवल भौगोलिक कारण से नहीं अपितु देशभर के नागरिकों के हृदय पटल पर अंकित पुरूषोत्तम राम के प्रति अमिट भाव के कारण चित्रकूट भारत की हृदय स्थली है। यहाँ राम और भरत ने सिद्ध कर दिखाया कि केवल सत्ता प्राप्ति ही महानता प्रदान नहीं करती अपितु कर्तव्य तत्परता एवं समाज के प्रति समर्पित आचरण से महानता प्राप्त होती है। अतः नयी पीढ़ी को जीवन का समुचित पाठ पढ़ाने के लिए चित्रकूट सर्वोत्कृष्ठ स्थान है। इसी विशेषता के कारण मंदाकिनी के पावन तट पर निसर्गरम्य परिसर मैं 12 फरवरी 1991 को ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी। भारतमाता ग्रामवासिनी है। अतः भारतीय शिक्षा में मौलिक सुधार लाने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित प्रथम शिक्षा आयोग ने 1949 में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विशेष बल दिया था। विश्वविद्यालय स्थापना में महती भूमिका निभाने वाले समाजसेवी नाना जी देश मुख को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया। नानाजी ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विजन और मिशन दोनों पर गहनतापूर्वक विचार कर भविष्य की गतिविधियों के संचालन हेतु मार्गदर्शन किया। नानाजी ने विश्वविद्यालय के विजन एवं मिशन पर अपने विचार व्यक्त किये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है -

"विश्वविद्यालय का बोध वाक्य है "विश्वं ग्रामे प्रतिष्ठितम्"-ग्राम विश्व का लघुरूप है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण चारों आयाम पर समान रूप से बल देता है। ये चारों तत्व मानव के सर्वांगीण विकास के आधारभूत स्तम्भ हैं। ग्रामीण अंचल के सर्वांगीण विकास के लिए इन तत्वों के आधार पर समन्वयात्मक कार्य करना आवश्यक है।

मानव सृष्टि के सभी तत्वों में संतुलन बनाये रखने का दायित्व निभा सकता है किन्तु उसने स्वयं को केवल सीमित रखा तो वह अपने बौद्धिक कौशल्य के द्वारा वासना तृप्ति हेतु दूसरों के लिए पीड़ादायक एवं पर्यावरण के लिए विध्वंसकारी सिद्ध होता है। ग्रामीण जीवन की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक,सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पुनर्रचना करते समय यह आवश्यक है कि मानव की जन्मजात

ISBN : 978-81-966958-1-1

संवेदनशीलता प्राणिमात्र तथा प्रकृति के हित में संयमी हो। उपभोगवाद के इस युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति सामाजिक जीवन में विषमता बढ़ाते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रही है। संवेदनशीलता के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी जीवन की पुनर्रचना करना समय की आवश्यकता है। प्रगति की दिशा को ग्रामोन्मुखी बनाए बिना धरती पर मानव जीवन को सुखी तथा सार्थक बनाना सम्भव नहीं है।

विश्वव्यापी सुख-शांति के बिना कोई देश, समाज, परिवार या व्यक्ति निश्चित व सुखी नही हो सकता। विश्वविद्यालय एकता व एकात्मकता के आदर्श अर्थात "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुख भागवेत" की भावना को व्यावहारिक जीवन में चरितार्थ करने की दिशा में अग्रसर होगा। यह विश्वविद्यालय सभी जातियों, सभी सम्प्रदायों तथा सभी अंचल की महिलाओं तथा पुरूषों का आवह्न करता है कि वे इस विश्वविद्यालय के विकास में सहभागी बनें। विश्वविद्यालय की बहुआयामी गतिविधियों में सभी के अनुभव, क्षमता व कुशलता का स्वागत है।

शिक्षक ही नई पीढ़ी को देश के नव-निर्माण में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तथा सही दिशा में गतिशील बना सकते है।

स्व-केन्द्रित वृत्ति के कारण कुटुम्ब के घटकों में पायी जाने वाली आत्मीयता तथा परस्परपूरकता की कमी तथा विघटन की विभीषिका ने सामाजिक जीवन को जर्जर किया है वर्तमान शिक्षा पद्धति के माध्यम से यह वृत्ति और पनप रही है।

इस विश्वविद्यालय की अध्ययन प्रणाली में यह आवश्यक है कि विभिन्न संकायों के प्राध्यापकगण अपने छात्र-छात्राओं को अपने अपने विषय का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए सामाजिक जीवन से जोड़कर प्रयोगात्मक कार्यक्रमों में अपने साथ संलग्न करें। इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक-प्राध्यापिकाएँ, छात्र-छात्राएँ तथा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यो में संलग्न कार्यकर्तागण मिलकर आगामी पंद्रह वर्ष की कालावधि में अपने विश्वविद्यालय को आर्थिक दृष्टि से स्व-पुनरोत्पादक अर्थ व्यवस्था (सेल्फ जनरेटिंग इकोनामी) का विकास करते हुए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं । इससे न तो प्राध्यापक-प्राध्यापिकाओं को आजीविका के लिए किसी दान या सरकारी अनुदान पर निर्भर रहना पड़ेगा और न ही छात्र-छात्राओं को ग्यारहवीं कक्षा से आर्थिक सहायता के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना पड़ेगा अपितु स्नातक बनने के बाद विश्वविद्यालय से विदाई लेते समय उनके पास स्वार्जित पूँजी अवश्य रहेगी।

प्रकृति की परस्परपूरकता के निसर्गजन्य सिद्धान्त को समझकर मानव को तद्नुसार अपना व्यावहारिक जीवन विकसित करना होगा। इस मर्म को जानकर चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ने चित्रकूट धाम को केन्द्र बनाकर चारों ओर के पचास किलोमीटर के अंतर्गत आने वाली सभी आबादियों

ISBN : 978-81-966958-1-1

को, पशुओं, पहाड़ों, नदी-नालों, ताल-तलैया, वन-उपवन, उपजाऊ तथा अनउपजाऊ भूमि को अपनी प्रयोगशाला माना है। इससे नई पीढ़ी के जीवन में स्व-केन्द्रित संकुचितता के स्थान पर निसर्गजन्य परस्पर-पूरकता का व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा।

छात्र-छात्राओं में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध एवं उत्तरदायित्व की भावना जागृत हो इसके लिए विश्वविद्यालय अपने से सम्बंधित क्षेत्रों में मानवीयता तथा परस्परपूरकता के प्रकाश स्तम्भ बने। आधुनिकतम तकनीकी, नवीनतम ज्ञान के समुचित उपयोग, ज्ञानकी व्यावहारिकता एवं व्यापकता से नई पीढ़ी के सभी युवक व युवतियाँ स्वावलम्बी बनेगें।

निष्काम कर्म की भावना, प्रकृति के साथ समरसता, सादगीपूर्ण जीवन, अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति का त्याग तथा उपभोग प्रेरित जीवन तथा समाज से अपने लिए लाभ उठाने की प्रवृत्ति के स्थान पर अन्य नागरिकों के प्रति सद्भावना, सहयोग तथा पूरकता का जीवन विकसित किये बिना किसी के लिए भी सुख-शांति सम्भव नहीं हो सकती ।

विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के चतुर्दिक विकास (शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा) पर ध्यान दे। प्रत्येक छात्र-छात्रा का अलग व्यक्तित्व है और इनमें कोई विशेष गुण अवश्य विद्यमान रहता है। समाज के अभिन्न अंग होने के कारण यदि किसी छात्र के विकास की सम्भावना उपेक्षित होती है तो पूरे समाज की हानि होती हैं।

ज्ञान केवल बौद्धिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं होता यह भावोत्कर्ष का प्रमुख माध्यम है। बाल्मीकि, कालिदास, बुद्ध तथा ईसामसीह को परमज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब उनका हृदय भावुकता से उद्धेलित हो उठा। ज्ञान की सिद्धि बुद्धि एवं भावना के आवेग के संगम का ही सुपरिणाम है। अतः चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय तथा उसके अंतर्गत चलने वाले विभिन्न संस्थानों एवं केन्द्रों के शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के जीवन में उपस्थित होने वाले ऐसे मिलन प्रसंगों को प्रोत्साहित कर नई पीढ़ी की रचनात्मक ज्ञान-सिद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा।

भारत के सभी प्रदेशों से विभिन्न भाषाओं के विद्धानों को अध्यायन कार्य के लिए प्राध्यापक-प्राध्यापिकाओं के रूप में तथा छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रविष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे देश की नई पीढ़ी में व्यापक जीवन दृष्टि का निर्माण हो। सभी छात्र-छात्राओं को अपनी रूचि के विषयों का अध्यापन करते हुए प्रध्यापक-प्राध्यापिकाओं के साथ परिवार-परिसर के सर्वांगीण विकास में सक्रिय योगदान देना होगा। इसी से उनके जीवन में व्यापकता एवं सर्वहितकारी दृष्टिकारी के साथ सामाजिक कार्य मैं रूचि एव सुखानंद अनुभव करने की वृत्ति विकासित होगी जो देश के नव-निर्माण के लिए आवश्यक है। इसी से गुरुजनों के साथ कार्यानुभव की

ISBN : 978-81-966958-1-1

भट्टी में से निखरकर इस विश्वविद्यालय के स्नातक प्रतिभाशाली एवं आत्मनिर्भर नागरिक सिद्ध होंगे। इस विधि से पुरानतम किन्तु नव स्वतंत्र भारत का सर्वागीण विकास करने वाली चिरवांछित शिक्षा प्रणाली विकसित होगी।

गाँव से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्रजीवन की पुनर्रचना करना समय की आवश्यकता है क्योंकि गाँव राष्ट्रजीवन की आधारभूत इकाई है। वर्तमान विश्वविद्यालय सार्वत्रिक सुख और सम्पन्नता से सामाजिक जीवन को परिपूर्णकरे । यह कार्य तभी सम्भव है जबकि वर्तमान काल में विघटनकारी प्रवृत्तियों तथा अलगाववादी तत्वों का निर्मूलन हो। विश्वविद्यालय इस धारणा को दृढ़मूल कर सकते हैं कि समाज के विभिन्न अंगों का सम्बन्ध जैविक अवयवों की भाँति होना आवश्यक है। यह विश्वविद्यालय अपने छात्रों, प्राध्यापकों एवं क्षेत्रीय निवासियों में ऐसी ही चेतना जगाने की दिशा में कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक विकास के सृजनात्मक कार्य का अभिन्न अंग होना चाहिए। समाज का कोई घटक उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट नहीं है। सभी लोगों में वैसे ही रागात्मक सामंजस्य परिवार से ग्राम, ग्राम से क्षेत्र तथा क्षेत्र से देश तक उत्तरोत्तर समान रूप से प्रवाहित करना विश्वविद्यालयों का दायित्व है। समाज के विभिन्न घटकों में संतुलित परस्परपूरकता बनाये रखने तथा अनेक अंतमध्यिमिक प्रतिबद्धताओं को व्यावहारिक रूप में विकसित करने की भावना को व्यक्ति-व्यक्ति, परिवार-परिवार, समूह तथा देशव्यापी स्तर पर विकसित करना चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य होगा। नानाजी के इसी दर्शन पर चलते हुए ग्रामोदय विश्वविद्यालय एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में संचालित है।

3.5 रवींद्रनाथ टैगोर का ग्राम विकास का दर्शन और प्रयोग -

भारत में ग्रामीण विकास के संगठनात्मक प्रयास में रवीन्द्रनाथ टैगोर का नाम सर्वोच्च है। भारत के आकार, विविधता तथा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को देखते हुए देश में ग्रामीण विकास की चुनौती अत्यधिक है। यह उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक तथा बीसवीं शताब्दी के पहले भाग में ज्यादा थी। जब टैगोर इस परिदृश्य में महापुरूष के रूप में आए । वे स्वप्नदृष्टा थे। टैगोर को उनके उल्लेखनीय साहित्यिक प्रतिभा के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनकी संकल्पना तथा अनुप्रयोग मात्र शानदार ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक भी है। उनकी दृढ़ इच्छा कमजोर, दबे, कुचले तथा मातहत के उत्थान की थी। टैगोर यथास्थिति के समर्थक नहीं थे बल्कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बल दिया। यह न केवल ग्रामीण कल्याण और ग्रामीण पुर्ननिर्माण बल्कि विकास स्थायित्व एवं सहभागिता पर आधारित था। वास्तव में कृषि, पशु पालन, रेशम पालन, ग्रामीण आधारभूत संरचना, सड़क निर्माण, कुंआ की खुदाई, स्कूल खोलना तथा निःशुल्क चिकित्सालय,

ISBN : 978-81-966958-1-1

किसानों को ऋण सुविधाओं का प्रावधान, शिल्प तथा लघु उद्योग, उत्साहपरक सहयोगी दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक पद्धति तथा ज्ञान को आत्मसात करना तथा व्यापक आधुनिकीकरण पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये। यह अनिवार्यतः रहस्यवादी कवि के गहरे मानववाद का संकेत है।

इस प्रकार जब कवि की 150 वीं जन्मशती मनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति बनी तब राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर टिकाऊ परिसम्पति तथा दृष्टव्य प्रभाव को सृजित करने की इच्छा थी। टैगोर की विरासत के संरक्षण तथा टिकाऊपन के अलावा कई सुझाव विवादित थे तथा कुछ को समिति की पहली बैठक में स्वीकार किया गया था। पूरे भारत में वर्तमान टैगोर प्रेक्षागृह का आधुनिकीकरण तथा सौन्दर्यपरक डिजाइन एवं वहु सुविधाओं के साथ नये टैगोर परिसर की स्थापना बहुलवाद, विश्वास, शान्ति तथा सार्वभौम भाईचारा, धर्म निरपेक्षता, वैकल्पिक शिक्षा, ग्रामीण पुर्ननिर्माण एवं सामाजिक न्याय के टैगोर के दर्शन पर फोकस, स्कूली बच्चों तथा विभिन्न स्तर के श्रोताओं के लिए सभी भारतीय भाषाओं में उनके कार्यो को लोकप्रिय बनाना तथा उनके बड़े लेख को विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना, टैगोर के योगदान के विभिन्न पहलुओं पर संकेन्द्रित होने के लिए विश्वविद्यालयों में विशेष केन्द्रों तथा संस्थानों के स्थापना का परीक्षण, टैगोर की कलाओं को लोकप्रिय बनाना तथा उनको संरक्षित करना जिसे संरक्षण की जरूरत है तथा उन्हें प्रकाशित करना तथा अनुवाद हेतु राज्यों से प्रस्ताव की तलाश करना तथा पर्याप्त सुसंगत विवरण के साथ कोलकाता के जोरासांको में टैगोर के पैतृक आवास के जीर्णोद्धार हेतु पश्चिम बंगाल राज्य के प्रस्ताव का परीक्षण करना, जन्म शती मनाने हेतु स्थानीय प्रस्तावों का समर्थन तथा परीक्षण के लिए 7 या 8 महत्वपूर्ण शहरों में जोनल टैगोर समितियों की स्थापना, जातिवाद, वनीकरण, ग्रामीण विकास, कृषि के लिए टैगोर के योगदान के लिए सुसंगत मंत्रालयों तथा एजेंसियों को शामिल करना।

टैगोर के विचार ग्रामीण विकास तथा पुनर्रचना के बारे में गहराई से हैं । उन्होंने अपने विचारों का प्रयोग श्री निकेतन में लियोनाई ईमहर्स्ट, विलियम्स पियर्सन, सी.एफ. एन्ड्रूज तथा काली मोहन घोष जैसे लोगों की मदद से किया। वास्तव में उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार धनराशि का कुछ अंश सहकारिता आंदोलन के विकास हेतु दान दिया था। विरोधी आलोचना को सामान्यतया इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि सम्पन्न परिवार में पैदा होने के बावजूद भी वे आम लोगों से दूर सूनसान एकान्त जगह पर रहते थे लेकिन यह अनेक लेखन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वे अपने विचारों के प्रति सजग थे तथा इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने लेख में किया था।

ISBN : 978-81-966958-1-1

"ये सब मुरहा म्लान मुक मुखे दिते होवे आशा, ऐसाब स्नान्न सुष्का भग्नबुके थवानिया तुलिते होवे आशा।" अथवा "तुम्हें इन लोगों को आवाज देनी है जो अशिक्षित तथा गरीबी में डूबे हैं तथा उनके चेहरे से स्पष्ट है। तुम्हें उनमें आशा जगानी है जो परिश्रान्त तथा दुखी हैं।" 1940-41 में अपने जीवन के अंतसमय में उन्होंने यह आरोप स्वीकार किया कि वे अपनी कविताओं में प्रमुख रूप से श्रृंगारिक कवि हैं। उन्होंने अपने विचारों को यथार्थता का सामना करने के लिए व्यक्त किया। उन्होंने उनके अन्दर घुसने के लिए अपनी असमर्थता स्वीकार की जो सही मायने में मातहत हैं । बस उन्होंने अपनी तत्परता को ऐसे कवियों के स्वागत तथा स्वीकृति हेतु व्यक्त किया जो आम लोगों के कठिन मेहनत तथा मिटटी के निकटतम हैं तथा जो निराश्रित लोगों के सही तथा प्रामाणिक आवाज का चित्रण कर रहे हैं। सचमुच टैगोर ने अपने घोर एकान्तता में अपने जीवन देवता ईश्वर के साथ सीधे संपर्क का खुलासा किया था वे महान आवाज शब्द ब्रह्म को सुन सकते थे जो न तो आरम्भ न ही अवसान था, लेकिन इस तनाव के बावजूद वे अपनी युग की भावना से मुक्त नहीं हो सकते थे। जब बंगाल पुनर्जागरण तथा नई संचेतना अपने शिखर पर था। उनके लिए विकास, ग्रामीण पुनर्रचना, कृषि, डेयरी में सुधार चिंता का विषय था। उन्होने गरीब, निम्न तथा वंचितों में दिलचस्पी बढ़ाई जो कि समाज के निचले पायदान पर थे।

वास्तव में 19 वीं शताब्दी का अंतिम चरण तथा 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों का उत्थान हुआ। जिन्होने देश के सामाजिक, आर्थिक संरचना तथा समाधान के विचारों में गहराई से चिंतन किया। इनमें ईसा ट्रवीड, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय, प्रभासचन्द्र वंदोपाध्याय, आरसी दत्ता, एच एस. चटर्जी तथा विज्बाम कांत राय चैधरी का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कल्याण तथा ग्रामीण उत्थान हेतु कृषि, दुग्ध तथा कृषि उद्योग के सुधार पर बल दिया। ईसा ट्रवीड "भारत में गो पालन" के लेखक ने 1890 में अपनी किताब प्रकाशित की तथा भारत में दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक अभिरूचि दिखाई। भारत निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादन में सर्वोत्तम देश है, भूमि तथा भोजन सस्ता है, श्रम सस्ता है, पशु सस्ते हैं तथा भारतीय गायों का दूध इतना ज्यादा है जितना कि इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में। दुग्ध उत्पादन के लिए चार चीजें महत्वपूर्ण हैं । ज्ञान, मेहनत, ईमानदारी तथा पूँजी। बिना इन चारों को मिलाए कोई भी संभवतः लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता है। ईसा ट्रवीड ने विवरण देते हुए कृषि तथा सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर दुग्ध उत्पादन के प्रभाव की चर्चा की है।" 20 वर्षो के अनुभव जिसके दौरान हमने हर खरीदी तथा बेंची गई गायों का रेकार्ड रखा है तथा हर पैदा होने वाला बछड़ा मुझे यह कहने में सक्षम बनाता है कि जहां गायों की समुचित

ISBN : 978-81-966958-1-1

रूप से देखभाल होती है एक अर्थ व्यवस्था है। खरीदी गई गाय यदि ठीक से पाली-पोषी जाती है तो पूँजी उतनी ही अधिक होती है। पैदा हुआ बछड़ा आपकी पूँजी को और बढ़ाता है तथा मां के आहार की लागत को भी।'' इसलिए उन्होंने यह सिफारिश की कि सरकार को पशुओं के सुधार हेतु पहल करनी चाहिए तथा हस्तक्षेप करना चाहिए। इससे ग्रामीण जीवन का उन्नयन सुनिश्चित होगा यदि व्यक्ति डेयरी फार्म रखना चाहता है तो उसे गाय रखनी चाहिए जो अधिक मात्रा में दूध दे तथा सभी नस्लों की गाये रखनी चाहिए।

ईसा ट्रवीड ने भारत में मुर्गी पालन पर भी किताब लिखी। आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रॉय तथा आर. सी. दत्त ने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर अध्ययन किया तथा प्रक्रिया के शोषणात्मक प्रकृति को प्रदर्शित किया। बंगाल के केमिस्ट के अपने जीवन तथा अनुभवों में आचार्य ने दिखाया कि कैसे लंकाशायर के उद्योगपतियों की रूचि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में है। ''बंगाल के स्थायी वंदोवस्त प्राप्त होने के नाते सरकार ने निश्चित भू-राजस्व तय किया है। सिंचाई के कारण, मिट्टी की बढ़ी हुई पैदावार के कारण इसके बढ़ने की कोई सम्भावना नही है लोगों का कल्याण तथा सुख हमारी सरकार की योजना में नहीं है। सुक्कुर वैरेज परियोजना जो विशाल क्षेत्र की सिंचाई करेगा, लागत 20 करोड़ आँकी गई है। इसमें कोई संदेह नही है कि योजना खाद्य आपूर्ति के लिए काफी लाभदायक होगी।'' आचार्य रॉय ने दिखाया है कि कैसे भारत के स्वदेशी उद्योग तत्कालीन सरकार के उपेक्षापूर्ण तथा अभिन्न दृष्टिकोण एवं विदेशी उद्योग से असमान प्रतिस्पर्धा के चलते काफी मुश्किलों में रहे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चैपट हुई।

ब्रिटिश सरकार ने अपने सामथ्र्य के अन्तर्गत वह सब कुछ किया जिससे स्वदेशी उद्योग चैपट हों। इसे दृष्टि में रखते हुए आचार्य रॉय ने स्थिति के समाधान एवं ग्रामीण कल्याण तथा लोगों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्नचरणों मे व्यापक स्तर पर लिखा। आर.सी.दत्त ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा विदेशी कम्पनियों के हितों के बीच अधिक असमानता के बारे में बल दिया।

''ब्रिटिश उत्पादक ढाई प्रतिशत के थोड़े से कर भुगतान पर कलकत्ता में आयात करते थे जबकि भारतीय उत्पादकों का आयात कर इंग्लैण्ड में वस्तु के मूल्य पर 400 प्रतिशत तक था। इस प्रकार निषेधात्मक, विनाशकारी तथा हतोत्साहित करने वाली नीति में भारतीय निर्यात एवं आयात प्रभावित हुआ।'' पूँजी की कमी, किसानों की लम्बी कर्जदारी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, खाद एवं परिस्कृत

ISBN : 978-81-966958-1-1

बीजों का अभाव, सही विस्तार प्रणाली के साथ आधारभूत संरचना की कमी ने ग्रामीण क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। ऐसे समय में टैगोर का ग्रामीण पुनर्रचना का प्रयोग एक क्रांतिकारी प्रकल्प था।

सारांश (Summary)

1 स्वैच्छिक संगठनों के विजन और मिशन का अर्थ स्पष्ट हुआ।

2. विजन निर्माण क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त हुई तथा स्वैच्छिक संगठनों के मिशन एवं विशेषताओं पर सारगर्भित ज्ञान प्राप्त हुआ।

3. नाना जी देशमुख के बारे में हमने जाना तथा उनके द्वारा स्थापित किये गये चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विकास एवं विजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- विजन – भविष्य के लिए योजनाए तैयार करना ।
- मिशन– बनाई गयी योजन पर कार्य करना व उस लक्ष्य तक पाहुचना ।
- दिशा-निर्देशक- किसी योजना पर या अन्य कोई कार्य करने के लिए मिला आदेश व मार्गदर्शन ।
- स्थायी परन्तु लोचदार- सामाजिक व आर्थिक आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत किया जा सकने वाला परिवर्तन ।

स्व–मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **अति लघु उत्तरीय प्रश्न -**
  1 स्वैच्छिक संगठनो का विजन क्या है ?
  2 स्वैच्छिक संगठनो का मिशन क्या है ?
  3 स्वैच्छिक संगठनो के विजन के तत्व कौन –कौन से है ?
  4 स्वैच्छिक संगठनो की विशेषतए बताए ।
  5 ग्राम विकास पर रवीद्र नाथ टैगोर के दर्शन की विवेचना करें ।
- **लघु उत्तरीय प्रश्न -**
  1 स्वैच्छिक संगठनों के विजन और मिशनक्या है ?
  2 स्वैच्छिक संगठनो के तत्वो को समझाइए ।
  3 स्वैच्छिक संगठन के मिशन के तात्पर्य को बताए ।

ISBN : 978-81-966958-1-1

4 नाना जी देशमुख का चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विजन क्या था ?

5 ग्राम विकाश के दर्शन और प्रयोग पर रवीद्र नाथ टैगोर की भूमिका पर जानकारी प्राप्त करे।

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -**

1. स्वैच्छिक संगठनों के विजन और मिशन को परिभाषित करेंविस्तार से ।
2. स्वैच्छिक संगठनों के विजन निर्माण के तत्व एंव विशेषताओं को स्पष्ट करें।
3. स्वैच्छिक संगठनों का मिशन से क्या तात्पर्य हैं ?उल्लेख करिये ।
4. नाना जी द्वारा चलाए गयें कार्यक्रमों को स्पष्ट करें।
5. ग्राम विकास के दर्शन और प्रयोगों को स्पष्ट करें।

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. हमने स्वैच्छिक कार्य के अन्तगत आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
2. रवींद्रनाथ टैगोर के ग्राम विकास का दर्शन और प्रयोगों का अध्ययन किया और पाया कि समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
3. नाना जी देशमुख के सिद्वान्त तथा उनकी व्यावहारिकता का अध्ययन किया और पाया कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं िमशन को समाज तक पहुँचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संदर्भ(References)

- देवपुर प्रतापमल (2011): ''ग्रामीण विकास और स्वयं सेवी संगठन'', योजना, नवम्बर।
- मैथ्यू जोमोन एवं वर्गीज जोबी (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों पर विहंगम दृष्टि'', योजना, नवम्बर।
- जैतू हर्ष (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों का भविष्य'', योजना, नवम्बर।
- जैन, जे.के. (1993): ''व्यावसायिक प्रशासन एवं प्रबंध'', कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- समर्थन-सेन्टर फाॅर डेवलपमेंट सपोर्ट की स्वैच्छिक संगठनों की पुस्तिका।
- टण्डन, राजेश (1993): ''स्वयं सेवी संगठनों का प्रबंधन'', प्रिया, नई दिल्ली।

ISBN : 978-81-966958-1-1

- शुक्ल एस.एम. एवं गुप्त एस.पी. (2011): ''^^Advanced Accounting**साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- M.P. Societies Registration Act 1973 and Rules 1999.
- Foreign Contribution & Regulation Act., 2010.
- ''कार्यक्रम का मूल्यांकन'', यू.पी.वी.एच.ए.
- मोतिहर, एम. एवं अग्रवाल, अमित (2008),: ''क्रियात्मक प्रबंध'', प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- करात प्रकाश (1988): ''विदेशी अनुदान तथा स्वैच्छिक संगठनों का दर्शन'', दि माक्सिस्ट।
- ''संस्थागत रणनीति का निर्धारण'', समर्थन भोपाल
- पेत्रास, जेम्स एवं वेल्तमेयर हेनरी (2003): ''ग्लोबलाइजेशन अनमास्क्ड''
- मिश्र, विश्वनाथ एवं सिंह, अरविन्द (2006): ''एन.जी.ओ.-एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र'', राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
- मिश्र, दीनानाथ (2006): ''संघ के सेवा कार्यों की अनुदेखी'', दैनिक जागरण
- रोल्योक्स, जोन (1995): ''गैर-सरकारी, स्वयं-सेवी संगठनों और दाता एजेंसियों का असली चरित्र'', मंथली रिव्यू, वर्ष-47, अंक-5.
- करात, प्रकाश (1988): "Foreign funding and the philosophy of voluntary organizations", National Book Centre, New Delhi.
- ''गैर-सरकारी संगठनों का विकास एवं प्रबन्धन'', महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट की सतत एवं दूरस्थ शिक्षा पुस्तिका।
- वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010, 2012, 2014 एवं 2016, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- ''स्वैच्छिक संगठन लोक तंत्र की तीसरी आँख'', दैनिक जागरण, 13 नवम्बर, 1954

ISBN : 978-81-966958-1-1

इकाई-4 : औपचारिकता स्वैच्छिक कार्य

उद्देश्य :

इस इकाई के माध्यम से आप जान सकेगें कि-

1. स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ एवं परिभाषा क्या है।
2. स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्य को समझ सकेगें।
3. स्वैच्छिक संगठनों के विधिक प्रावधान कौन-कौन से है।
4. स्माज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की क्या भूमिका है।
5. स्वैच्छिक संगठनों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाये कदमों पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

4.1 स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ, परिचय, उद्देश्य -

स्वैच्छिक संगठन का अर्थ -

स्वैच्छिक संगठन से तात्पर्य लोगों के एक ऐसे समूह से है जो संगठित हो, गैर-सरकारी हो, औपचारिक हो एवं स्व-चलित हो अर्थात्सं गठन के सदस्य इसे संचालित करने के लिए नियम व नीतियाँ बनाते हों। ऐसे संगठन समुदाय में कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्य करते हैं। ये अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करके स्व-प्रेरणा से समुदाय में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने आदर्श एवं मूल्य होते हैं तथा ये सकारात्मक बदलाव से होने वाले लाभ को समुदाय के बीच बाँटते हैं। भारत में गैर-सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नगर समाज संगठन के नाम से जाना जाता है। गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण विभिन्न अधिनियम यथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8, रिलिजियस इण्डोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबुल एण्ड रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुसलमान वक्फ एक्ट 1973, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्ट 1959 के अंतर्गत किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सघ् की सामान्य सभा ने अपने 52 वें अधिवेशन में वर्ष 2001 को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया। गैर-सरकारी संगठन वे सभी संगठन हैं जो सीधे सरकारी विभाग या उसकी कोई इकाई नहीं है (वेस्ग्राड, 1997) । गैर-सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, नागरिक समाज संगठन, स्वयंसेवी संगठन के नाम से भी जाना जाता है।

ISBN : 978-81-966958-1-1

विश्व बैंक के अनुसार "ऐसे सभी समूह एवं संस्थायें पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यो कार्यक्रमों एवं वित्त का संचालन स्वयं करते हैं एवं जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना न होकर सामुदायिक परोपकार होता है गैर-सरकारी संगठन कहलाता है। इसके अन्तर्गत वे सभी परोपकारी एवं धार्मिक संस्थायें भी आती है जो निजी पूंजी के द्वारा विकास के लिये अपनी सेवायें प्रदान कर सामुदायिक संगठन को प्रोत्साहित करती है।" सामान्यतः गैर-सरकारी संगठनों का अर्थ निम्न रूप से रेखांकित किया जा सकता है-

- अलाभकारी, स्वयंसेवी प्रदाता, विकासोन्मुखी संगठन जो अपने सदस्यों या कार्यक्षेत्र की जनता के लिये स्वयंसेवी स्वरूप में सेवा प्रदाता का कार्य अलाभकारी दृष्टिकोण से करता है गैर-सरकारी संगठन कहलाता है।
- यह कुछ लोगों का ऐसा संगठन है जो मूलभूत सामाजिक सिद्धान्तों पर विश्वास करता और समुदाय के विकास के लिये गतिविधियों का निर्धारण कर उसे क्रियान्वित कर सेवा प्रदान करता है।
- लोगों का ऐसा संगठित समूह जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वतंत्रापूर्वक अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करता है, ताकि निर्दिष्ट क्षेत्र के जनसमूह में वांछित परिवर्तन सुनिश्चित हो सके,गैर-सरकारी संगठन कहलाता है।
- लोगों का ऐसा स्वतंत्र, प्रजातांत्रिक समूह जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मजबूती प्रदान करने के लिये कार्य करता है, गैर-सरकारी संगठन कहलाता है।
- ऐसे संगठन जो राजनैतिक दलों से संबद्धता न रखते हुए समुदाय के विकास, कल्याण एवं सेवा का कार्य करते हैं, गैर-सरकारी संगठन कहलाते है।
- सामान्य जन समुदाय को बिना किसी स्वार्थ/लाभ के सेवायें प्रदान करने वाले प्रजातांत्रिक व अपेक्षाकृत सरल समूह को गैर-सरकारी संगठन कहते हैं।
- ऐसी संस्था जो समुदाय और व्यक्तियों के बीच बदलाव की पहल और विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के जरिये कार्य करती है स्वयंसेवी संस्था या गैर-सरकारी संस्था कहलाती हैं।

ISBN : 978-81-966958-1-1

स्वैच्छिक संगठन-अर्थ एवं उद्देश्य

स्वैच्छिक संगठन-अर्थ

स्वैच्छिक Voluntary शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द Voluntarism से हुई है जो मूलतः Voluntas' से विकसित हुआ है। इसका अर्थ है- इच्छा या स्वतंत्रता।यह इच्छा यहाँ किसी संगठन के निर्माण के रूप में प्रकट होती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद-19 (1) सी के अन्तर्गत यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। समुदाय संगठन या संघ बनाकर हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं जिनकी प्राप्ति संगठित प्रयासों से ही संभव है।

स्मिथ एवं फ्रेडमैन के अनुसार-''स्वैच्छिक संगठन औपचारिक रूप से संगठित तथा तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी द्वितीयक समूह (Secondary Groups) हैं जो उन औपचारिक, अस्थायी एवं प्राथमिक समूहों से भिन्न (जैसे मित्रमंडली) होते हैं, जिन्हें हम प्रायः देखते हैं।''

सयुक्त राष्ट्र के अनुसार-'' स्वैच्छिक संगठन वह है जो अपने स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है, वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु मूलतः निजी स्त्रोतों पर निर्भर होता है तथा जन कल्याण हेतु वैतनिक या अवैतनिक कार्मिक रखते हुए सामाजिक कार्यक्रम क्रियान्वयन, जनमत निर्माण, अनुसंधान क्रियायें, विधान निर्माण सहायता तथा सामाजिक विकास में स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करता है।''

लौर्ड बीवरजी के अनुसार-'' स्वैच्छिक संगठन वह है जिसके कर्मचारी वैतनिक या अवैतनिक होते हैं तथा बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वंय की पहल से कार्य करते हैं तथा प्रशस्ति होते हैं।''

रिग्स के अनुसार यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका आधार राज्य नियंत्रण से परे स्वैच्छिक सदस्यता पर टिका होता है तथा जो सामान्य हित को अग्रसर करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। स्वैच्छिक संगठन वस्तुतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जहाँ व्यक्तिगत जिसका बलिदान कर सामूहिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। समूह की सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक होती है।

गैर सरकारी संगठन ऐसा संगठन होता है जहाँ के वैतनिक या अवैतनिक कार्यकर्ता बिना किसी बाहरी नियंत्रण के खुद के सदस्यों से नियमित, नियंत्रित व परिचालित होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे एक

ISBN : 978-81-966958-1-1

ऐसे संगठनिक निकाया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जनोपयोगी व जनकेंद्रित कार्य करने के लिए स्वैच्छिक सामूहिक उपायों या संसाधनों को इकट्ठा कर उसे व्यवहार में लाने के लिए स्वंय प्रेरित होता है यदि किसी बाहा्र प्रेरणा पर टिका होता है। इसका सामूहिक उद्देश्य जन सेवाओं व सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, बेहतर तथा उपयोगी बनाने का होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वैच्छिक संगठन कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित किये जाते हैं। प्रायः मानव सेवा तथा सामाजिक विकास उनका ध्येय होता है। ऐसा संगठन अपने कार्यकरण तथा प्रशासन में सरकारी या अन्य बाहरी दबावों से मुक्त होते हैं। ये सामाजिक कल्याण संगठन या अभिकरण लोकतंत्र के आधार स्तम्भों में से एक है। लोक कल्याण के निमित व्यापक दायित्वों की पूर्ति मात्र राज्य के प्रयासों से ही संभव नहीं है बल्कि स्वैच्छिक संगठन उस कार्य में सार्थक भूमिका निर्वाहित कर सकते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्य (Objectives of Voluntary Organizations)

पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न दस्तावेजों में स्वैच्छिक संगठनों के निम्नलिखित उद्देश्य वर्णित किये गये हैं-

1. इसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों की सामाजिक समस्याओं एवं जरूरत मन्द लोगों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना तथा स्थानीय सहयोग को चिन्हित करना।
2. समस्या से पीडित लोगों में चेतना जगाना और सहायता प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर बनें तथा एक दूसरे के सहयोग के प्रति अभिप्रेरित हो सकें ।
3. सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं के प्रति जरूरतमंद व्यक्तियों को सूचना तथा सहायता उपलब्ध करवाना।
4. सामाजिक समस्याओं से उत्साह के साथ तथा सबल आर्थिक रूप से जूझने के लिए स्थानीय संसाधनों को विकसित करना ।
5. परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालते हुये कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
6. प्रतिबद्ध भावना से मानव कल्याण तथा सामाजिक विकास में सहयोग देना।

इसका एक और प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि सरकारी अभिकरणों को कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित सभी बातों के बारे में अवगत कराते रहना है। परन्तु इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी स्वैच्छिक संगठन का आधार मजबूत होना चाहिए। संगठनात्मक प्रयासों के माध्यम से ही मानव

ISBN : 978-81-966958-1-1

कल्याण के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं। जिन संगठनों के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव तथा परिश्रमी कार्मिकों की समस्या न हो वे ही समाज कल्याण में अपनी सार्थक भूमिका अदा कर सकने में सक्षम सिद्ध होते हैं। इसके अतिक्ति स्थानीय जन समुदाय का सहयोग, सरकारी विभागों से समन्वय कुशल नेतृत्व, कार्यकरण में स्वायत्तता तथा संबंधित कार्य की सामाजिक उपादेयता भी ऐसे कारक है जो किसी स्वैच्छिक संगठन को प्रभावी या निष्प्रभावी बनाने में निर्णयक भूमिका निर्वाहित करते हैं।

4.2 भारत में स्वैच्छिक कार्य का विकास क्रम -

तमाम विषमताओं के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का देश है। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याएं अभी भी प्रायः सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान में गैर-सरकारी संगठन वर्षो से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र सामाजिक उन्नयन और आर्थिक विकास में योगदान देने वाली शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत में लगभग 33 लाख पंजीकृतगैर-सरकारी संगठन हैं (योजना, नवम्बर, 2011)। वे सहभागी लोक-तंत्र के क्रियान्वयन और उसको ठोस रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी भूमिका समाज में उनकी रचनात्मक आरै उत्तरदायी भूमिमका पर निर्भर हैं । वे दरू -दराज के क्षेत्रो मे जमीनी स्तर पर जन साधारण के लिए कार्य करते हैं । तथा उनकी पहुंच व्यापक होती है।

यदि हम भारत के लिखित इतिहास पर ध्यान दें तो पायेंगे कि मानव जीवन को गरिमा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य और जनता के अनौपचारिक समूहों में हमेशा बँटी रही। मंदिर एवं अन्य धर्म स्थल हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के काम में राज्य संगठनों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। स्वैच्छिक संगठनों का सुसंगठित रूप तब अस्तित्व में आया जब 1860 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। स्वैच्छिक संगठनों का उदय मानव सभ्यता के विकसित होने के साथ-साथ हुआ। भोजन के इकट्ठा करने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरी करने हेतु मानव समूह या संगठन विकसित हुए। जैसे-जैसे यह समूह भोजन, आवास इत्यादि के लिए घूमता वैसे-वैसे इनमें अपनी रुचि के लोग एक होते गये। तब आदिम समूह एक जगह स्थिर हुए तो समाज का निर्माण हुआ। सामाजिक सम्बद्धता इन समूहों का प्रमुख आधार थी। राजनैतिक अर्थव्यवस्था ने स्व-समूहों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। धीरे-धीरे अपने वर्ग के लोगों तथा राज्य की सीमा के प्रति लोग ज्यादा सतर्क हुए। इस समय मानव सेवा आर्थिक गतिविधि तथा सामाजिक सुरक्षा के ज्यादा समीप थी।जैसे-जैसे आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ने लगा मानव सेवा राज्य के प्रति उत्तरदायी होने लगी। संसाधन की प्रतिस्पर्धा में सभी के प्रति सभी का युद्ध शुरू हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ताकतवर का आकार बढ़ा जबकि कमजोर अपने अस्तित्व की लड़ाई

ISBN : 978-81-966958-1-1

लड़ने लगे। चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में राज्य के कल्याणकारीहोने के प्रमाण मिलते हैं। चाणक्य ने राजा के अपनी जनता के प्रति किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यो का विस्तृत वर्णन किया। हिन्दू धर्म के विभिन्न वेद, वेदांग, श्रुति, महाभारत, रामायण इत्यादि में राज्य के कल्याणकारी कार्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध एवं जैन धर्म में भी मानव सेवा तथा कमजोर एवं कष्ट में रह रहे लोगों की सेवा के प्रति नैतिक दायित्व का वर्णन मिलता है। धर्म के सेवा का माध्यम इसी काल में बताया गया। अशोक के समय वृक्षारोपण, कुएँ, बावली का निर्माण जन-सहयोग से किया गया। स्वैच्छिक कार्य की आधारशिला आजादी पूर्व रखी गयी जो प्रमुखतः समाज सुधार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित थी। इसाई मिशनरियों ने अस्पताल, विद्यालय और कल्याणकारी संस्थाएँ बनायीं। आजादी-पूर्व पूरे देश में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रयोग किये गये।

देश में स्वैच्छिक संगठनों के विकास का इतिहास :

महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ग्रामीण पुनर्रचना का कार्य 1908 में सिलाईदहा में तथा 1921 में श्री निकेतन में प्रारम्भ किया। स्पेंसर हैच ने निर्धन विकास परियोजना की शुरुआत वाई. एम.सी.ए. के तत्वावधान में मार्तण्डम के आस-पास की। महात्मा गाँधी ने सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव के लिए अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1931 में वर्धा से की। जुगतराम दुबे ने ग्रामीण पुनर्रचना का कार्य स्वराज्य आश्रम वेडची मैं 1922 से शुरु किया। अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों का इतिहास 1839 से प्रारंभ होता है। अनुमान है कि 1914 तक विश्वभर में1,083 स्वैच्छिक संगठन थे जो दासता, महिलाओं के मताधिकार, निरस्त्रीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे। परंतु 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) के अस्तित्व में आने के बाद विश्वभर में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में बाढ़-सी आ गई। स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में हुई वृद्धि के प्रमुख कारण हैं-आर्थिक मंदी, शीतयुद्ध की समाप्ति, निज़ीकरण, बढ़ती मांग आदि। बीसवीं सदी में वैश्वीकरण के प्रादुर्भाव के कारण भी गैर-सरकारी संगठनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में दान और सेवा की धारणा पर आधारित नगर समाज (सिविल सोसाइटी) का लंबा इतिहास रहा है। मध्यकालीन युग में ही सांस्कृतिक संवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने वाले अनेक स्वयंसेवी संगठन सक्रिय थे। उन्नीसवीं शदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के कोने-कोने में जा पहुंचा और सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में स्वयंसेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का रास्ता अपनाया। इस प्रकार के प्रयासों के कुछ प्रमुख प्रारंभिक उदाहरण हैं-फ्रेंड इन नीड सोसाइटी (1858), प्रार्थना समाज (1864), सत्यशोधन समाज (1873),

ISBN : 978-81-966958-1-1

आर्य समाज (1875), नेशनल काउंसिलफॉर वीमेन इन इंडिया (1875), दि इंडियन नेशनल कांफ्रेंस (1887) आदि। स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें वैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए 1860 में समिति पंजीकरण विधेयक को अनुमोदित किया गया। 1980 के दशक में, स्वैच्छिक संगठनों के स्वरूप में काफी विशिष्टता आने लगी और स्वैच्छिक सेवा का आंदोलन तीन प्रमुख समूहों में विभाजित हो गया। पहले समूह में वे पारंपरिक विकासमूलक स्वैच्छिक संगठन आते हैं जो किसी एक गांव या गांवों के समूह को जाकर साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं, किसानों को फ़सलों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करते हैं, पशुधन की उन प्रजातियों को पालने के लिए ग्रामीणों को तैयार करते हैं जो अधिक लाभ दे सकते हैं, बुनकरों और अन्य ग्रामीण शिल्पकारों को अपना उत्पाद बाज़ार में बेचने के लिए ले जाने को प्रेरित करने जैसे अन्य कार्य करते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये संगठन अपने चुनिंदा क्षेत्रों में उसी समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। मध्य भारत में बाबा आमटे द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए शुरू किया गया संगठन इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम उदाहरण है। स्वैच्छिक संगठनों का दूसरा समूह उन संगठनों को कहा जा सकता है। जिन्होंने किसी विषय विशेष में गहन अनुसंधान किया और फिर सरकार पर प्रभाव डालकर अथवा न्यायालयों में याचिका दायर कर लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम उदाहरण है।तीसरा समूह उन स्वयं सेवकों का है जो अपने-आप को अन्य स्वैच्छिक संगठनों की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। स्पष्ट है कि इस वर्ग के स्वैच्छिक संगठन कुछ सीमा तक आंदोलन जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां गैर-सरकारी और लाभ के लिए काम नहीं करने वाले सक्रिय संगठनों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले दशक में भारत में नये स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1970 तक देश में केवल 1.44 लाख समितियां पंजीकृत थीं। पंजीकरण की संख्या में अधिकतम वृद्धि वर्ष 2000 के बाद हुई। सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2009 के अंत तक लगभग 30 लाख 30 हज़ार स्वैच्छिक संगठन थे। इसका अर्थ हुआ कि औसतन लगभग 400 भारतीयों के पीछे एक स्वैच्छिक संगठन। यह विशाल संख्या भी वास्तविकता में, देश में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों की संख्या से कम ही होगी। ऐसा इसलिए कि 2008 में कराए गए अध्ययन में केवल उन संगठनों की गिनती की गई थी जो 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन काननू अथवा मुंबई सार्वजनिक ट्रस्ट या अन्य राज्यों में उसके समकक्ष कानूनों केअंतर्गत पंजीकृत थे। सबसे अधिक सरकारी संगठन महाराष्ट्र में पंजीकृत हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारत में राज्यवार स्वैच्छिक संगठनों की संख्या निम्नानुसार हैं-महाराष्ट्र (4.8 लाख), आंध्र प्रदेश (4.6 लाख), उत्तर प्रदेश (4.3 लाख), केरल (3.3 लाख), कर्नाटक (1.9लाख), गुज़रात (1.7 लाख), पं. बंगाल (1.7 लाख),

ISBN : 978-81-966958-1-1

तमिलनाडु (1.4 लाख), ओडिशा (1.3 लाख), राजस्थान (1लाख)। इन आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 10 राज्यों में ही 80 प्रतिशत से अधिक संगठनों का पंजीकरण हुआ है। इसी प्रकार वित्तपोषण के मामले में, सरकार का योगदान सबसे अधिक रहा है। ग्यारहवीं योजना में सामाजिक क्षेत्र के लिए 80 अरब रूपये अलग से निर्धारित किए गए थे। इसके बाद विदेशो से प्राप्त होने वाली सहायता का 14 स्थान आता है। व्यक्तिगत दानदाता स्वैच्छिक संगठनों के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहे हैं (मैथ्यू एवं वर्गीज 2011) अधिकांश स्वैच्छिक संगठन छोटे संगठन हैं। सभी स्वैच्छिक संगठनों की तीन-चैथाई संख्या को समग्र रूप से केवल कार्यकर्ता ही चला रहे हैं। लगभग 13 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में 2 से 5 कर्मचारी हैं; लगभग 5 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में 6 से 10 कर्मचारी हैं और केवल 8.5 प्रतिशत संगठनों में ही 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 73.4 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में केवल एक या एक भी वैतनिक कर्मचारी नहीं है, यद्यपि देशभर में, 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोग स्वैच्छिक संगठनों में या तो स्वयंसेवक या वेतन भोगी कर्मचारी के रूप मैं काम करते हैं। स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण प्रायः भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत ट्रस्ट, सोसाइटी (समिति) अथवा लाभ के लिए काम नहीं करने वाली निज़ी कंपनी के रूप में होता है। उन्हें आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं आम सभा 1985 में 5 दिसम्बर को स्वैच्छिक दिवस (बालण्टरी डे) घोषित किया गया।

4.3 समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं चुनौतियां -

वैश्वीकरण एवं निजीकरण के इस युग में एक तरफ जहाँ स्वैच्छिक संगठनों के लिए अपार अवसर हैं तो दूसरी ओर इनके लिए गम्भीर चुनौतियाँ भी हैं। पिछले पाँच वर्षो में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनो के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है। अतंर्राष्ट्रीय सगंठनो विशेषकर ग्रीन पीस और फोर्ड फाउण्डेशन को कड़े पहरे में रखा गया। भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी अनुदान का वार्षिक प्रतिवेदन न प्रस्तुत करने पर उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया।यद्यपि सी.एस.आर. नियम 2014 के क्रियान्वयन से स्वैच्छिक संगठनों के लिए साझेदारी का नया अवसर प्राप्त हुआ है किन्तु बहुत सी कम्पनियों द्वारा अपने ट्रस्ट, सोसाइटी या फाउण्डेशन बताने से उनके सामने वित्तीय सहायता प्राप्त करने की चुनौती भी आ गयी है। स्वैच्छिक क्षेत्र की राष्ट्रीय नीति 2007 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि अधिक दक्ष नहीं हैं और उनको प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। वास्तव में अधिकांश स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि व्यावसायिक दक्षता एवं निपुणता में कमजोर होते हैं। दूसरी ओर उनके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जाते

ISBN : 978-81-966958-1-1

हैं।स्वैच्छिक संगठनों के समक्ष चुनौतियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। बढ़ती संख्या और विस्तृत होते कार्यक्षेत्र के बीच मूल्यहीनता एवं दिशाहीनता के आधार पर संस्थाओं की आलोचना बढ़ती जा रही है।

देश में स्वैच्छिकता:

भारत के आजादी पाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ज़मीन से जुड़े अनेक संगठनों के प्रेरणा स्रोत बनगए। तब उन्हें गाँधीवादी संगठन कहा जाता था। आजादी मिलने के बाद महात्मा गाँधी ने आह्वान किया कि हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली है और भूख, ग़रीबी एवं वंचना से आज़ादी पाना अभी बाक़ी है। इसीलिए उन्होंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को जो राजनीतिक साधनों के जरिये उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते थे, सलाह दी कि वे चुनावी राजनीति में चले जाएं और अन्य लोगो को सामाजिक सेवा में शामिल होने की सलाह दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के दूर-दराज के इलाक़ों तक इन बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। इसके अंतर्गत विनाशकारी अकाल और देश विभाजन की त्रासदी से राहत दिलाने के प्रयास किए जाते थे। यह एक जटिल काम था और इसके लिए जरूरी वित्तीय और मानवीय संसाधनों तथा राजकीय सहायता का अभाव था।

समय की आवश्यकता को देखते हुए स्वैच्छिक संगठनों ने देश के दुर्गम इलाक़ों तक फैलकर अपना कामकाज ही नहीं किया, बल्कि नये-नये तरीक़े भी निकाले जिनके जरिये वे वंचित और ग़रीब लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा पाते थे। इनमें से अनेक सरकार के संसाधनों को आगे बढ़ाने वाले साधन बन गए। जैसे-जैसे स्थिति बदलती गई, इन स्वैच्छिक संगठनों की प्रकृति, स्वरूप और कार्य भी बदलते गए। अगर हम आज की स्थिति का विश्लेषण करे, तो पाएंगे कि स्वैच्छिक सगंठनों के सामने नये अवसर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी आरै गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं।

4.4 स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाए गए कदम -

शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी -

स्थानीय स्तर पर कार्य करने के कारण स्वैच्छिक संगठन समुदाय में अपनी पैठ बनाने में सफल रहते हैं।स्वैच्छिक संगठनों के इसी समुदाय आधारित विकासात्मक एवं कल्याणकारी पहल के कारण उनके द्वारा किये गये कार्य का परिणाम दिखता है। यही कारण है कि शासन अधिकांश विकास कार्योमैं स्वैच्छिक संगठनों की भागेदारी सुनिश्चित करता है। मध्यप्रदेश में आदिवासी बालक/बालिकाओं के छात्रावास हों या महिलाओं के समूह बनाया हो या उद्यमिता प्रशिक्षण हो, प्रत्येक विकास के कार्य में शासन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने वाली कुछ योजनाएं प्रदेश शासन की होती है तो कुछ

ISBN : 978-81-966958-1-1

योजनाएं केन्द्र सरकार से प्रायोजित होती हैं। स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ विशेषज्ञ संस्थाएं बना रखी हैं जैसे कपार्ट, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इत्यादि। इसी तरह से राज्य शासन ने भी कुछ संस्थाएं बनायी हैं जिनसे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान और अन्य सहायता प्राप्त होती है। जैसे मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड।

मध्यप्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए शासन द्वारा उठाये गये कदम

1. मध्य प्रदेश शासन स्वैच्छिक संगठनों को हमेशा से विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में साझेदार के रूप में देखता रहा है। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्राप्त वित्तीय संगठनो के लिए सहायता मध्यप्रदेश में संचालित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की जाती है। स्वैच्छिक संगठन संवाद- 2013 का आयोजन कर स्वैच्छिक संगठनों के विचार सुने गये। स्वैच्छिक संगठनों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2013 के लिए आशा ग्राम ट्रस्ट बड़वानी को पाँच लाख रुपये, भाऊ साहब मुस्कुटे स्मृति न्यास होशंगाबाद को तीन लाख रुपये तथा सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था भोपाल को एक लाख रुपये से पुरष्कृत किया गया। वर्ष 2012 के लिए 5 शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की गयी।

4.5 पंचवर्षीय योजनाओं में स्वैच्छिक संगठन -

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वैच्छिक संगठनों का उल्लेख है कि इन संगठनों के द्वारा किये जा रहे कार्य के फलस्वरूप किसी भी योजना मे आर्थिक एवं सामाजिक पुनरूत्थान के लिए इन संगठनों की सहायता ली जाय तथा इनके प्रयास को मजबूत करने में राज्य अत्यधिक सहयोग करेंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जन सहयोग पर बल दिया गया।
2. 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने गैर सरकारी संगठनों को ''लोकतंत्र की तीसरी आँख'' से सम्बोधित किया। बोर्ड की तत्कालीन सदस्या इंदिरा गाँधी ने बोर्ड की बैठक में कहा ''वर्तमान सामाजिक कल्याण संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, नयी संस्थाएं खोलने और इन सभी संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बोर्ड ने एक विशेष कार्यक्रम बनाया है। इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए करीब 28 लाख रू. की मदद जारी की गयी है। वर्तमान और नयी संस्थाओं

ISBN : 978-81-966958-1-1

को एक दूसरे से जोड़कर बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रम सुचारू ढंग से चलाये जायेगें। (दैनिक जागरण, 13 नवम्बर, 1954)

3. प्रथम पंचवर्षीय योजना में ''स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता'' हेतु रू. 4.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी क्योंकि इन्हें सामाजिक समस्या के समाधान हेतु सक्षम माना गया जिसे राज्य नहीं कर सकते थे।
4. तृतीय पंचवर्षीय योजना के सफल क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम लागू करने मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व दिया गया। स्वैच्छिक संगठनों को जन-सहयोग हेतु वृहद् रूप से संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाने पर बल दिया गया।
5. पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1975-80) में स्वैच्छिक संगठनों को गरीबी निवारण हेतु संचालित योजनाओं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संलग्न किया गया और यह माना गया कि ये संगठन जमीनी स्तर पर कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन कर सकते हैं ।
6. छँठीं पंचवर्षीय योजना में जन संगठनों की सहभागिता के परिणामों का उल्लेख करते हुए सेवा, बाएफ (भारत एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन) के पशु चिकित्सा कार्य का वर्णन किया गया और यह उम्मीद की गयी कि देश मे स्वैच्छिक कार्य के और उदाहरण प्रस्तुत होगें।
7. सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यो मे स्वैच्छिक संगठनों को शासकीय प्रयास में सहयोगी के रूप में स्वीकार किया गया जिससे गरीब को विकास के अवसर प्राप्त हो सकें।
8. नौंवीं पंचवर्षीय योजना में स्वैच्छिक संगठनों को पंचायतीराज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह इत्यादि के गठन प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। स्वैच्छिक संगठनों को देश में सहभागी विकास में सहयोगी बनने का वर्णन इस योजना में है।
9. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में देश में स्वैच्छिक संगठनों के लिए राष्ट्रीय नीति बननी शुरू हुई। इस नीति के माध्यम से सृजनात्मक स्वतंत्र एवं प्रभावी स्वैच्छिक क्षेत्र का प्रोत्साहन एवं उत्थान करना था।
10. 1958 में 'ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का संगठन' स्थापित किया गया। 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारम्भ हुआ। 1973 में पैडी तथा 1983 में 'कार्ट' का गठन हुआ। 1986

ISBN : 978-81-966958-1-1

में पैडी तथा कार्ट को मिलाकर 'कपार्ट' का गठन किया गया। कपार्ट को स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी बनाया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं में स्वैच्छिक कार्य की भूमिका पर सम्यक जानकारी प्राप्त होगी।

सारांश (Summary)

1. स्वैच्छिक संगठनों के अर्थ एवं परिभाषा पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।
2. स्वैच्छिक संगठनों के क्षेत्र में हमने विधिक प्रावधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की तथा वर्तमान समय में हो रहे प्रावधानों पर सारगर्भित ज्ञान प्राप्त हुआ।
3. समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एवं चुनौतियों को भी जाना।
4. स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी प्राप्त हुई।
5. पंचवर्षीय योजनाओं में स्वैच्छिक कार्य के महत्व को जाना।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- उद्देश्य- वाक्य मे जिसके विषय मे कुछ कहा जाए।
- महत्व – किसी विशेष को लेकर सजक रहना।
- पुनरूत्थान- पाटन के बाद फिर से उन्नति की ओर जाना।
- सारगर्भित ज्ञान– महत्वपूर्ण व प्रभाव शाली जानकारी को प्राप्त करना ।

स्व–मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **अति लघु उत्तरीय प्रश्न-**
  1. स्वैच्छिक संगठन का अर्थ बताए।
  2. स्वैच्छिक संगठन की परिभाषा दे कोई दो ?
  3. स्वैच्छिक संगठन की विधिक प्रावधान क्या है ?
  4. समाज कल्याण मे स्वैच्छिक संगठन की भूमिका क्या है ?
  5. स्वैच्छिक संगठन की विशेषतए क्या हैं ?

ISBN : 978-81-966958-1-1

- **लघु उत्तरीय प्रश्न-**
  1. स्वैच्छिक संगठनो के अर्थ व परिभाषा को स्पष्ट करे ।
  2. स्वैच्छिक संगठनो के उद्देश्य क्या है ?
  3. समाज कल्याण मे स्वैच्छिक संगठनो की क्या भूमिका है ?
  4. स्वैच्छिक संगठनो मे विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन-कौन से है ?
  5. स्वैच्छिक संगठनो के विधिक प्रावधान कौन-कौन से है ?
- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -**
  1. स्वैच्छिक संगठनों के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां है?विस्तार पूर्वक लिखे ।
  2. स्वैच्छिक संगठनों में विधिक प्रावधान की भूमिका का वर्णनकरे?स्पष्ट करे ।
  3. स्वैच्छिक संगठनों के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डाले?
  4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के लिए उठाए गए कदमों कौन–कौन से है पर प्रकाश डालिए?
  5. स्वैच्छिक संगठनों में कौन-कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई?विस्तार से समझाये ।

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. अपने क्षेत्र में औपचारि स्वैच्छिक कार्यों को करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्य एवं विधिक प्रावधानों का अध्ययन कर?
2. समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की चुनौतियों का अध्ययन करें और देखें स्वैच्छिकता की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है।
3. भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए उठाए गए कदमों को समझा तथा पाया कि वर्तमान में स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं।
4. अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं का अध्ययन करके प्रतिवेदन तैयार करें तथा किसी स्वैच्छिक संगठन कार्यों में सहभागिता करें।

संदर्भ(References)

- देवपुर प्रतापमल (2011): ''ग्रामीण विकास और स्वयं सेवी संगठन'', योजना, नवम्बर।

- मैथ्यू जोमोन एवं वर्गीज जोबी (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों पर विहंगम दृष्टि'', योजना, नवम्बर।
- जैतू हर्ष (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों का भविष्य'', योजना, नवम्बर।
- जैन, जे.के. (1993): ''व्यावसायिक प्रशासन एवं प्रबंध'', कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- समर्थन-सेन्टर फा ॅर डेवलपमेंट सपोर्ट की स्वैच्छिक संगठनों की पुस्तिका।
- टण्डन, राजेश (1993): ''स्वयं सेवी संगठनों का प्रबंधन'', प्रिया, नई दिल्ली।
- शुक्ल एस.एम. एवं गुप्त एस.पी. (2011): ''^^Advanced Accounting**साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- M.P. Societies Registration Act 1973 and Rules 1999.
- Foreign Contribution & Regulation Act., 2010.
- ''कार्यक्रम का मूल्यांकन'', यू.पी.वी.एच.ए.
- मोतिहर, एम. एवं अग्रवाल, अमित (2008),: ''क्रियात्मक प्रबंध'', प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- करात प्रकाश (1988): ''विदेशी अनुदान तथा स्वैच्छिक संगठनों का दर्शन'', दि माक्रिसस्ट।
- ''संस्थागत रणनीति का निर्धारण'', समर्थन भोपाल
- पेत्रास, जेम्स एवं वेल्तमेयर हेनरी (2003): ''ग्लोबलाइजेशन अनमास्क्ड''
- मिश्र, विश्वनाथ एवं सिंह, अरविन्द (2006): ''एन.जी.ओ.-एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र'', राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
- मिश्र, दीनानाथ (2006): ''संघ के सेवा कार्यों की अनुदेखी'', दैनिक जागरण
- रोल्योक्स, जोन (1995): ''गैर-सरकारी, स्वयं-सेवी संगठनों और दाता एजेंसियों का असली चरित्र'', मंथली रिव्यू, वर्ष-47, अंक-5.
- करात, प्रकाश (1988): "Foreign funding and the philosophy of voluntary organizations", National Book Centre, New Delhi.
- ''गैर-सरकारी संगठनों का विकास एवं प्रबन्धन'', महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट की सतत एवं दूरस्थ शिक्षा पुस्तिका।
- वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010, 2012, 2014 एवं 2016, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- ''स्वैच्छिक संगठन लोक तंत्र की तीसरी आँख'', दैनिक जागरण, 13 नवम्बर, 1954

ISBN : 978-81-966958-1-1

इकाई-5 : केस अध्ययन उद्देश्य

उद्देश्य :

इस इकाई के माध्यम से आप जान सकेगें कि-

1. जन अभियान परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
2. नाना जी के आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन पर जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
3. सुरेन्द्र सिंह के ग्राम मोहद जिला नरसिंहपुर में किये गये कार्य पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
4. आदिवासी एवं पिछडे क्षेत्रों में किये गए ज्ञवैच्छिक कार्य पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
5. दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा विकास के समन्वित मॉडल पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

5.1 जन अभियान परिषद

परिकल्पना -

समाज का समग्र विकास एक सामूहिक प्रयास है। इसी अवधारणा क¨ ध्यान में रखते हुए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रो में लगन व तत्परता से कार्यरत रही हैं। शासन व इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य एक होते हुए भी दोनों के कार्य सदैव समानांतर रहे हैं। म.प्र. शासन ने इस अंतर के बीच छिपी अनंत संभावनाओं व शक्ति क¨ महसूस किया ओर शासन व स्वयंसेवी संस्थाओं क¨ एक साथ, एक मंच पर लाने का अभिनव प्रयास किया, जिसे नाम दिया गया जन अभियान परिषद्।परिषद् ने समाज की, आवश्यकता, क्षमता, भावना, दक्षता के आंकलन ओर अनुकूलन हेतु स्वयंसेवी सगंठनक¨ उपयुक्त माना है। जन अभियान परिषद् का लक्ष्य है अपने में समाहित जन संगठन¨ के माध्यम से प्रदेश के एक-एक व्यक्ति तक पहुँचना। केवल समाज की अंतिम पंक्ति में खडे अंतिम व्यक्ति तक ही नहीं, बल्कि पर्वत कदं राओ ओर दुर्गम वन प्रातं¨ मे बसे उन वनवासिय¨ तक भी जिन्हें अभी पंक्ति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। म.प्र. जनअभियान परिषद् की मूल दृष्टि है स्थानीय ज्ञान, कौशल और परम्पराओं के साथ जनता क¨ विकास अभियान से ज¨ड़ना। जनता अपने ही ज्ञान क¨ संज¨एं, आत्मविश्लेषण करें, आत्मनिर्भर है विकास करें और आत्मसम्मान का जीवन जीएं। इस विकास अभियान में जन अभियान परिषद् पथ भी है और पथ-प्रदर्शक भी। स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य व महत्व क¨ मान्यता देने का यह संभवतः पहला और अनूठा कदम है। सरकार और जनता के बीच सेतु के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं क¨

ISBN : 978-81-966958-1-1

संपूर्ण क्रांति का वाहक बनाना परिषद् का आधार स्वप्न है। इसीलिए परिषद् ने व्यवस्था और लोगो के बीच स्वयंसेवी जगत क¨ खिवैया के रूप में निरूपित किया है। स्वयंसेवी संस्थाओं का आधार सेवा है और सेवा आत्मा से होती है। आत्मा से किये गए कार्य ही सबसे प्रामाणिक और खरे होते हैं। जन अभियान परिषद् की आत्मा जनकेन्द्रित है। परिषद् की दृष्टि में यह अभियान जन-विकास का पवित्र यज्ञ है। सामाजिक विकास के इस महायज्ञ की पूर्ण आहूति तभी होगी जब जन जुड़े जन के लिए, जन-जन समिधा बनें। अपनी अनंत ऊर्जा के अंश से विकास के महायज्ञ क¨ पूर्ण करे। ऐसा क्रांतिवाहक समाज ही सार्वभोमिक विकास का आरंभ है।

जन अभियान परिषद का संक्षिप्त विवरण -

परिषद् समाज और सरकार के बीच की व¨ कड़ी है ज¨ सरकार, जनता और स्वयंसेवी संगठन¨ के बीच सेतु का काम करती है। यह शासन क¨ सलाह देन, सामुदायिक भागीदारी प्रोत्साहित करने, स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंधित जानकारी समेकित करनीतिय¨के क्रियान्वयन के लिए एक समन्वयक अभिकरण के रूप में कार्यरत है। जन अभियान परिषद् जन संगठन¨ का समन्वयक है, सहायक है, मार्गदर्शक है और प्रोत्साहक भी। परिषद् जन संगठन क¨ सरकार की य¨जनाओं की जानकारीदेती है। उनके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण तथा साधन क¨ जुटाने में सहायता करती है। जिस तरह नदिया का संग्रहित जल एक महासागर का रूप ले लेता है उसी तरह प्रदेश भरमें कार्यरत जन संगठन से मिलकर म.प्र. जन अभियान परिषद् जन विकास यज्ञ कर रहा है। परिषद् विकास के लिए जन संगठन का एक ऐसा मंच है जो नए संगठन को प्रोत्साहन व पुराने क¨ विस्तार देता है

उद्देश्य -

- राज्य शासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा सम्बन्धित विषयों पर शासन को सलाह देना।
- राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण तथा इसके लिए नीतियां तैयार करना।
- शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी से सम्बन्धित प्रक्रियाओं की जानकारी एकत्र करना तथा प्रचार करने के लिए समन्वय अभिकरण के रूप में कार्य करना।

ISBN : 978-81-966958-1-1

- स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव क्षेत्र के आधार पर उसका वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना तथा उनकीसूची संधारित कर इच्छुक व्यक्तियों/हितार्थियों की सूची पत्र का संधारण कर चाहने वालों को उपलब्ध करवाना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करवाना।
- शासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभागीय कार्यक्रमों/नियमों में परिवर्तन करने में मदद करना।
- शासन से एवं शासनोत्तर व्यवस्थाओं से नई व पुरानी स्वयंसेवी संस्थाओं को तकनीकी प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
- स्वयंसेवी सस्ंथाओ द्वारा बहुद्देशीय अभिनव परियोजनायें प्रारभ् करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय विभागों, नगरीय प्रशासन की संस्थाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं में प्रबंधन सहभागिता तथा संवाद की क्षमता को बढ़ाने, विचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा विकास के विभिन्न मुद्दों का समय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण आदि के विशिष्ट कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने हेतु एक कोष की स्थापना कर अनुदान उपलब्ध करवाना।
- राज्य के सभी स्तरों पर विकास गतिविधियों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की प्रगति की समीक्षा तथा परीवीक्षा कर या वांछित आवश्यकतानुसार सुधार हेतु सुझाव देना।
- उपयुक्त तकनीक, सामुदायिक नेतृत्व, सहभागिता, प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्रों में अभिनवता को प्रोत्साहित करना।
- इस परिषद् द्वारा पंजीकृत संस्थाओं को ही राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। राज्यशासन परिषद् द्वारा पंजीकृत सस्ंथाओ को ही भारत सरकार से अनुदान दिलाने की अनुशंसा करेगा।

मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्य:

- संस्था स्वयं की गतिविधियों के संचालन हेतु तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की अनुदान एवं ऋण उपल्ध करवाने के लिए पर्याप्त पूंजी एकत्र करने हेतु कार्यवाही ।

ISBN : 978-81-966958-1-1

- स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं को उनकी प्रबंधकीय, पर्यवेक्षणीय तथा तकनीकी अमले की क्षमता बढ़ाने हेतु अनुदान, दान तथा प्रशिक्षण देना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को विषय विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध करवाना तथा उसे संगठित एवं विस्तारित करने में मदद करना/करवाने में मदद करना।
- संस्था द्वारा प्रारंभ या समर्थित कार्यक्रम या योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करनेको प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्यक्ष या अन्य निर्धारित रीति से सहयोग प्रदान करना।
- पंूजी निवेश गतिविधियों/कार्यक्रमों को कारगर एवं सफल करने हेतु आवश्यक सहयोग की व्यवस्था करना।
- राज्य शासन द्वारा निर्धारित स्वयं के अधिकार क्षेत्र में संस्था द्वारा या स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना।
- उक्त कार्यक्रमों के प्रभाव तथा क्रियान्वयन की प्रगति एवं हितग्राहियों को योजना के लाभों के वितरणके कार्यों की समीक्षा करना।
- आर्थिक विकास तथा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव को ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण आयोजित करना या सहयोग करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा उनके आयोजन में सहायता करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक जन भागीदारी बनाने के लिए शासन, नगरीय स्थानीय शासन एवं पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सूचनाओं का संकलन, न्यूज लेटर एवं पत्रिका का प्रकाशन आंकड़ों का संग्रहण करना तथा सूचना सलाह या परामर्श देने पर शुल्क लेना।
- संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उचित समझे वह सब प्रासंगिक एवं सहायक/प्रेरक का कार्य करना।

संस्थागत संरचना -

म.प्र. जन अभियान परिषद् उच्च स्तरीय निकाय द्वारा संचालित संस्था है। संस्था के अंतर्गत एक शासी निकाय तथा एक कार्यकारिणी सभा का गठन किया गया है।

ISBN : 978-81-966958-1-1

शासी निकाय -

म.प्र. जन अभियान परिषद् उच्च स्तरीय शासी निकाय द्वारा संचालित संस्था है। शासी निकाय में पदेन अध्यक्ष म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री हैं।

शासी निकाय के सदस्य¨ में शामिल है -

- स्कूल शिक्षा विभागए समाज कल्याण विभागए महिला एवं बाल विकास विभागए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागए ग्राम¨द्य¨ग विभागए वित्तविभागए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागए स्थानीय शासनए नगरीय कल्याण विभागए ल¨क स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागए जनशक्ति नियोजन विभागगृह विभाग आदिमे जाति कल्याण विभाग के मंत्रीगण सभापति कार्यकारिणी सभा।
- शासन द्वारा मन¨नित प्रत्येक संभाग से प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के 15 प्रतिनिधि, जिनमें कम से कम 3 महिलाएँ 3 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। सचिव ग्रामीण क्षेत्र एवं र¨जगार मंत्रालय भारत शासन या उनके द्वारा मन¨नीत एक प्रतिनिधि।
- महानिदेशक, कपार्ट या उनके द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि।
- सदस्य सचिव, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी, ज¨ संस्था के कार्यपालक निदेशक भी हैं।

16.14.8 कार्य प्रणाली -

- संस्था के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये स्थान, समय एवं दिनांक पर शासी निकाय की बैठक सम्पन्न की जाती हैं। विŸाीय वर्ष में एक वार्षिक सामान्य बैठक करना अनिवार्य है।
- शासी निकाय की बैठक बुलाने के लिये कम से कम 10 दिन पूर्व से सूचना दी जाती है संस्था के अध्यक्षता त¨ स्वयं या संस्था के कार्यपालक निदेशक क¨ लिखित में सूचित कर शासी निकाय की बैठक करते हैं।

ISBN : 978-81-966958-1-1

- बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के एक उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जा सकती है। यदि दोनों अनुपस्थित हो तोबैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य द्वारा की जाती है।
- शासी निकाय की बैठक में न्यूनतम क¨रम कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य का ह¨ना अनिवार्य है। यदि क¨रम पूरा न ह¨ त¨ सदस्य सचिव द्वारा बैठक स्थगित कर तुरंत पुनः बैठक की जा सकती है। बैठक में क¨रम की आवश्यकता नहीं होती।

5.2 भारतरत्न नानाजी देशमुख का आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन -

नानाजी देशमुख का पूरा नाम चण्डिकादास अमृतराव देशमुख था। उनका जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के कडोली ग्राम में 11 अक्टूबर 1916 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। 1934 में स्वयं को समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाले नानाजी ने बिड़ला स्कूल, पिलानी से मैट्रिक की पढ़ाई की। शैक्षिक प्रबंधन में उन्होंने पहला प्रयोग 1950 में गोरखपुर में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना से शुरू किया, जिनकी संख्या अब पंद्रह हजार के पार है।

नानाजी का चिंतन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द था। गोण्डा से लेकर चित्रकूट तक के सभी प्रकल्प उद्यमिता आधारित थे। वे टैगोर के ग्रामीण पुनर्रचना एवं गांधीजी के रचनात्मक प्रयोग से अत्यन्त प्रभावित थे। गांधीजी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को रचनात्मक कार्य में सम्मिलित होना अनिवार्य बनाया। ग्रामीण पुनर्रचना के बारे में नानाजी ने आर्थिक आधार को धुरी माना, चाहे कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कृषि विकास हो या फिर उद्यमिता विद्यापीठ के माध्यम से प्रशिक्षण और उत्पादन हो, आर्थिक चिंतन इनकी जड़ में था।

परम्पराओं के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास उनके चिंतन का मूल था। पशुपालन, विशेषकर गोपालन, के बारे में उन्होंने लिखा, ''आधुनिकता के आवरण में यंत्र आधारित खेती का प्रसार बढ़ा है, किन्तु उसके भी दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। ट्रैक्टर आदि के लिए डीजल का उपयोग करना पड़ता है। भूमि में उसका भण्डारण सीमित है। बैलों का उपयोग सब दृष्टि से लाभकारी है। बैलों का खाद्य वह है, जो मानव के लिए अखाद्य है। उनका मूत्र तथा गोबर खेती के लिए उत्तम खाद है। मृत बैल का चमड़ा, हड्डी, सींग आदि भी मानवीय आवश्यकतायें पूर्ण करते हैं।'' (मंथन, मई 1990)। सन् 1990 के नानाजी के इस लेख के बाद तो डीजल/पेट्रोल के खपत में कई गुना वृद्धि हुई है। आज हम

ISBN : 978-81-966958-1-1

अपनी जरूरत के मात्र 20 प्रतिशत पेट्रो-रसायन उत्पाद का उत्पादन करते हैं। वर्ष 2018-19 में इनके आयात पर रू.8,81,282 करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च की गयी। भारतीय मुद्रा रूपये के अवमूल्यन के प्रमुख कारणों में से पेट्रो-रसायन उत्पाद का आयात एक प्रमुख कारण है। अरोग्यधाम स्थित गौशाला में नानाजी ने गीर, कांकरेज, थारपाकर, लाल सिंधी, साहीवाल, राठी इत्यादि नस्लों की गायों को पाला तथा न केवल दूध बल्कि खाद्य, गौमूत्र का उत्पादन कर उसे लाभकारी बनाया।

आज प्रायः सभी देश तकनीकी विकास से विकास का रास्ता खोजते हैं। नानाजी ने स्थानीय तकनीकी विकास की वकालत करते हुए लिखा, ''तकनीकी का विकास स्थानीय स्तर पर करना लाभकारी होता है। कारण हर क्षेत्र में प्रकृति प्रदत्त साधन स्रोत भिन्न-भिन्न हैं। अतः जहाँ जो प्राकृतिक सम्पदा जिस किसी रूप और मात्रा में उपलब्ध होगी, उसी आधार पर वहाँ की तकनीकी का विकास करना होगा। इसी से स्थानीय प्रतिभा विकसित होगी। सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास सम्भव होकर देश में आर्थिक संतुलन बढ़ेगा। गांवों में उपलब्ध कच्चे माल को मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त तैयार माल में रूपांतरित करने के लिए कौन सी तकनीकी प्रक्रिया अपनानी होगी? उस तकनीकी का सम्भवतः परम्परागत रूप किसी न किसी मात्रा में वहाँ उपलब्ध होगा। आधुनिक विज्ञान का उपयोग कर पुरातन तकनीकी विधि को उन्नत बनाने पर आवश्यक ध्यान देना होगा।'' (मंथन, 1991)। सम्भवतः यही कारण है कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय में बी.टेक. (उपयुक्त तकनीकी) पाठ्यक्रम उनकी पहल पर संचालित किया गया, जिससे विकास के लिए उपयुक्त तकनीक पर प्रयोग किये जा सकें तथा स्थानीय प्रतिभा विकसित हो।

भारत सरकार 'एक जिला - एक उत्पाद' को उद्यम विकास का अंग मानकार कार्य कर रही है। इस रणनीति पर नानाजी ने 30 वर्ष पूर्व 1990 में अपने विचार व्यक्ति किये। लगातार बढ़ते विदेशी ऋण के प्रति नानाजी चिंतित थे। उन्होंने कहा, ''स्वतन्त्र भारत में नीतिकारों ने पश्चिम में विकसित विषमतामूलक पूँजी-प्रधान औद्योगिक साँचे में भारत को ढालने की राह पर चलना पसंद किया। पूँजी प्रधान तकनीकी विकसित करने हेतु पूँजी के अभाव में विदेशों से अपनी क्षमता से अधिक ऋण लेने के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं था। महाशक्तियों की उदारता के नाटक में फँसकर भारत भारी भरकम कर्ज से लदता गया। उनकी तकनीकी पर निर्भरता बढ़ती गयी। इस प्रकार हमने विकसित देशों को शोषण करने का अवसर स्वयं देकर स्वाधीन व स्वावलम्बी बनने का अपना मार्ग अवरूद्ध कर दिया। इस आत्मघाती नीति के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। असाध्य मुद्रा स्फीति जनजीवन के लिए भीषण संकट बनी। रूपये की कीमत निरंतर घटने लगी। कारखानों को लगाने एवं चलाने में करोड़ों

ISBN : 978-81-966958-1-1

रूपयों की विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। बदले में ये कारखाने रासायनिक प्रदूषण गंगा जैसी पावन नदी में बहाकर उसके जल को जहरीला बना रहे हैं और अब गंगा के जल को शुद्ध करने में करोड़ों रूपये मजबूरन खर्च करने पड़ रहे हैं। यह है आधुनिकीकरण की लालच में तथाकथित प्रगति का आत्मघाती नमूना।'' (मंथन, फरवरी 1992)। वर्षों पूर्व कही गयी इस बात की सार्थकता इसी से मापी जा सकती है कि विगत एक वर्ष से लोक सभा, राज्य सभा, मीडिया एवं सामान्य चर्चा में राफेल सौदा छाया रहा है। राफेल विमान एक दक्ष तकनीकी से लैस है, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके पूर्व में बोफोर्स सौदे में भी दलाली के आरोप लग चुके हैं।

यह बात बिल्कुल सत्य है कि गंगा किनारे स्थित कारखानों से कचरा नदी में गिरता है और प्रदूषण फैलता है। गंगा प्रदूषण समाप्त करने हेतु अभी तक हजारों करोड़ रूपयें खर्च किये जा चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना पर रू.20,000 करोड़ बजट में प्रावधानित है। गंगा प्रदूषण पर कार्य 14 जनवरी 1986 को प्रारम्भ हुआ। इतने वर्षों के बाद भी यदि गंगा प्रदूषित है तो आगे भी इनके प्रदूषण मुक्त होने में वर्षों लगेंगे और करोड़ों रूपये खर्च होंगे। इसका मतलब नानाजी का वर्ष 1992 में किया गया आकलन बिल्कुल सही था।

नानाजी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उद्यमशीलता के विशेष हिमायती थे। उन्होंने लिखा, ''उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा का पूर्ण उपयोग किया जाय तो अपना देश संसार में समृद्धि की दृष्टि से भी अन्य किसी भी देश से पीछे नहीं रह सकता। यदि प्राकृतिक संसाधनों एवं तकनीकी दृष्टि से सक्षम युवक-युवतियों को एक दूसरे से आबद्ध किया जाये तो समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं रह सकता। हर एक सक्षम व्यक्ति उत्पादक बनेगा, स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान के साथ राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने में योगदान करेगा। साथ ही देश के युवा वर्ग में नौकरी करने के लिए जो दौड़ लगी हुई है, वह भी घटेगी।'' (मंथन, अप्रैल-मई 1995)।

भारत में उपलब्ध फल का 2.2 प्रतिशत एवं अन्न को बहुत कम प्रसंस्कृत करके दीर्घावधि तक उपयेाग करने लायक बनाया जाता है। शेष या तो सड़ जाता है या अनुपयोगी रह जाता है। कच्चे माल के उपयोग पर नानाजी ने लिखा, ''आर्थिक विकास के लिए स्थानीय आधार पर उपलब्ध कच्चे माल को आधार बनाकर स्थानीय इकाई को गठित किया जाना चाहिए। इस इकाई में कौन सा माल कितना-कितना उपलब्ध है, इसकी ठीक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस इकाई में उत्पादन की दृष्टि से कच्चे माल के उत्पादन की मात्रा कम है तो उस एक काम के लिए इस इकाई के क्षेत्र का आवश्यकतानुसार विस्तार करना चाहिए। इस प्रकार की प्रत्येक इकाई में कृषिजन्य, वनजन्य, भूगर्भजन्य तथा पशुजन्य

ISBN : 978-81-966958-1-1

कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है। उस कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित करने का कार्य स्थानीय आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए स्थानीय आधार पर परम्परागत तकनीकी कला उपलब्ध रहती है। अत्याधुनिक तकनीक, जो देश या विदेशों में उपयोग में भी आ रही हो जिसका अध्ययन कर स्थानीय आधार पर बेरोजगारी न बढ़ाते हुए तैयार माल का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से उपयोग करना लाभदायी हो सकता है, तो उस तकनीकी को अपनाने के लिए स्थानीय युवक-युवतियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था देनी होगी। स्थानीय कच्चे माल को यदि दूर जाकर तैयार माल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अपनायी गयी और उससे तैयार माल स्थानीय लोगों के लिए उपयोग में वापिस लाया गया तो स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी मँहगाई का भुगतान करना पड़ता है। आर्थिक व्यवस्था से यह पद्धति घाटे की है, फिर भी इसी गलत रास्ते पर आर्थिक विकास के नाम पर विषमता बढ़ाने का तथा गरीबों को अधिकाधिक त्रस्त करने का काम हो रहा है। (मंथन, अप्रैल-जून 1992)।

वर्ष 2013 में कम्पनी अधिनियम, तत्पश्चात 2014 में सी.एस.आर. नियम में भारत सरकार की ओर से प्रावधानित किया गया कि योग्य कम्पनियाँ अपने लाभ का दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्त्व (सी.एस.आर.) पर खर्च करेगी। नानाजी ने इन प्रावधानों के वर्षों पूर्व कहा, ''उद्योग प्रस्थापित करने एवं संचालित करने का लक्ष्य होगा- समाज सेवा। पूँजी लगाने वाले, श्रम प्रदान करने वाले तथा प्रबंध करने वाले समान रूप से समाज सेवा की भवना से कार्य करें। उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार शत-प्रतिशत उत्पादन करना उनका सामूहिक कत्तव्य होगा। उद्योग अनुचित लाभ कमाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ग्राहकों की सेवा लक्ष्य होने के करण उत्पाद की गुणवत्ता श्रेष्ठ तथा कीमत उत्पादन खर्च से बीस से पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं रखी जायेगी। उत्पादन शुल्क उत्पादक खर्च में ही सम्मिलित रहेगा। उसका अंश शेष उत्पादन खर्च के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इससे तीनों तत्त्व अर्थात पूँजी, संग्रहकर्ता, परिश्रमकर्ता एवं प्रबंधकर्ताओं का जीवन सुखानंद के साथ चलेगा। हर एक उद्योग 'उद्योग परिवार' का रूप धारण करेगा। शासन के लिए आवश्यक आय भी होती रहेगी। सामाजिक सुव्यवस्था, राष्ट्र भक्ति एवं सभी नागरिकों की आवश्यकता पूर्ति इसी से सम्भव होगी। अधिकांश उद्योग कुटीर, ग्राम एवं छोटे स्तर के होंगे। बड़े उद्योग इन छोटे उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक बनेगें। (विराट पुरुष अर्थशास्त्री नानाजी, प्रभात प्रकाशन)।

बढ़ती बेरोजगारी एवं सामाजिक-आर्थिक विषमता युवाओं में असंतोष का कारण है। नानाजी ने इन समस्याओं के निराकरण हेतु वैकल्पिक औद्योगीकरण पर बल दिया। उनके अनुसार, वैकल्पिक औद्योगीकरण के माध्यम से अंचलीय एवं सामाजिक विषमता घटा कर सभी के लिए लाभदायी

ISBN : 978-81-966958-1-1

रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। योजनाबद्ध विकास को चार दशकों से अधिक काल बीत गया है, किन्तु देश के विभिन्न अंचलों में अभी भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक विषमता छाई हुई है। कुछ अंचल लगभग उद्योगहीन बने हुए हैं। जिन अंचलों में काफी उद्योग चल रहे हैं, वहाँ भी बेकारी का अस्तित्त्व कायम है। योजनाबद्ध औद्योगिक विकास की यह हास्यास्पद अवस्था है। हमें वैकल्पिक औद्योगीकरण के द्वारा इन दोनों समस्याओं का निराकरण करना होगा।''

शिक्षा और आर्थिक विकास साथ-साथ चलते हैं। मतलब किसी देश के नागरिक जितने शिक्षित होंगे देश आर्थिक रूप से उतनी ही वृद्धि करेगा। शायद यही कारण रहा है कि नानाजी देशमुख ने शिक्षा पर प्रारम्भ से लेकर अंत तक अपना ध्यान केन्द्रित किया।

किसान अन्नदाता है। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान का स्वावलम्बन, आत्म-विश्वास, उपयुक्त कृषि पद्धति पर विचार आवश्यक है। किसान के स्वावलम्बन पर नानाजी ने कहा, ''लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का स्वावलम्बन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। अतः जन-जीवन के लिए आवश्यक सभी भौतिक साधन स्वावलम्बन के लिए पोषक होने चाहिए। भारत की परम्परा में इस दृष्टि से कृषक वर्ग पूर्ण रूप से स्वावलम्बी रहा है। अधिकांश कृषि साधन उसे अपने गांव से ही उपलब्ध होते थे, कृषि की आधुनिक पद्धति इस दृष्टि से प्रतिकूल है। किसान को खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज इत्यादि के लिए विशाल कारखानों पर निर्भर रहना पड़ता है। कम्पनियों को किसानों का शोषण करने का अवसार मिल रहा है। सरकार द्वारा खाद के लिए सब्सिडी देना इसका उपाय नहीं है। यांत्रिकीकरण किसानों को महत्त्वपूर्ण समय पर परेशानी में डालता है। डीजल, बीज, खाद इत्यादि के लिए किसानों को कर्ज लेने के लिए विवश होना पड़ता है। परिणामस्वरूप आधुनिक कृषि पद्धति किसान का स्वावलम्बन समाप्त कर रही है। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा वर्ग अर्थात किसान अपना स्वातंत्र्य और स्वावलम्बन खोता जा रहा है, जो लोकतंत्र का प्रबलतम आधार है।'' (विराट पुरुष-नानाजी देशमुख, प्रभात प्रकाशन, 2014)।

इसके अलावा सौर ऊर्जा आच्छादित गांव, सहकारिता, ग्रामोदय कोष का निर्माण एवं प्रबंधन, ग्राम शिल्प, खाद्यान्न आत्म-निर्भरता इत्यादि विषयों पर नानाजी ने अपने विचार ही नहीं व्यक्त किये, बल्कि उद्यमिता विद्यापीठ, आरोग्यधाम, कृषि विज्ञान केन्द्र, जन शिक्षण संस्थान एवं अन्य प्रकल्पों में किये गये कार्य के माध्यम से एक व्यावहारिक अर्थशास्त्री होने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया।

नानाजी दीनदयाल उपाध्याय के निकटतम् सहयोगी रहे। वे दीनदयाल जी के एकात्ममानववाद दर्शन से अत्यंत प्रभावित थे। उनके दर्शन पर आधारित ग्रामीण विकास कार्य के लिए उन्होंने वर्ष 1969 में

ISBN : 978-81-966958-1-1

दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। संस्थान ने उनके नेतृत्त्व में ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण आयाम रचे।

नानाजी लोक नायक जय प्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित थे। जय प्रकाश नारायण स्वतंत्र भारत में जनतंत्र की पुनःस्थापना के लिए प्रयासरत् थे। उन्होंने जय प्रकाश नारायण की समग्र क्रांति आंदोलन का अग्रदूत बनकर सम्पूर्ण राजनीतिक परिदृश्य बदल कर रख दिया। वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में वे बलरामपुर सीट से सांसद चुने गये। राजनीति के शिखर पर रहते हुए उन्होंने कहा कि राजनेताओं को 60 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति से सन्यास लेकर समाज सेवा करना चाहिए। इसको चरित्तार्थ करते हुए उन्होंने सक्रिय राजनीति से सन्यास लेकर समाज सेवा का संकल्प लिया। नानाजी समाज में व्याप्त व्यक्तिगत विद्वेष से सदैव विरत रहे। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि जब उन्होंने लोकनायक जय प्रकाश नारायण की धर्मपत्नी जय प्रभा के नाम पर जय प्रभा ग्राम में समाज सेवा का कार्य शुरू करने की इच्छा जताई तो गोण्डा जिले की भूमि उन्हें वहाँ के उसी राज परिवार से प्राप्त हुई, जिनको उन्होंने बलरामपुर लोकसभा चुनाव में पराजित किया था। चित्रकूट स्थित रामनाथ गोयनका घाट के लोकार्पण समारोह में वैचारिक भिन्नता वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेताओं, जैसे- चन्द्रशेखर, नारायण दत्त तिवारी इत्यादि की उपस्थिति इस बात की द्योतक थी कि नानाजी के लिए सभी राजनीतिज्ञों के मन में लगाव था।

एक युगदृष्टा -

नानाजी का पूर्ण विश्वास था कि आर्थिक आत्म-निर्भरता व सामाजिक पुनर्रचना से ही सार्थक सामाजिक बदलाव सम्भव है । इस हेतु उन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े गोण्डा, बीड़ एवं चित्रकूट जैसे क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया। युगदृष्टा नानाजी का बोध वाक्य था, "हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं, अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं।" जीवन पर्यन्त वे पीड़ित, उपेक्षित एवं शोषित की सेवा में तत्परता से लगे रहे।

नानाजी एक कालजयी संत थे। आज जिन समस्याओं का हल ढूँढा जा रहा है, नानाजी ने दो-तीन दशक पूर्व उन पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। ये उनकी सोच का परिणाम था कि आज हम जिस पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, उसका ताना-बाना उन्होंने 25 वर्ष पूर्व बुना, जिसके तहत मध्यप्रदेश शासन एवं दीनदयाल शोध संस्थान की संयुक्त पहल पर चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।

ISBN : 978-81-966958-1-1

कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक योग्य कम्पनी अपने शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्त्व (कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी) पर खर्च करेगी। जिस कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) की बात आज बढ़-चढ़ कर की जा रही है, इस पर नानाजी ने बीस वर्ष पूर्व कार्य किया, जब उन्होंने टाटा समूह के सहयोग से आयुर्वेद चिकित्सा एवं शोध हेतु आरोग्यधाम की स्थापना की। सी.एस.आर. पर उन्होंने न केवल टाटा समूह वरन् गोयनका समूह, जैपुरिया समूह इत्यादि के साथ भागीदारी करके उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आज 'कार्पोरेट पार्टनरशिप' के मानक हैं।

देश के न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती संख्या पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री एवं अन्य कई बार अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। नानाजी ने इस समस्या को 25 वर्ष पूर्व भाँप लिया था और 'विवाद-मुक्त गाँव' की परिकल्पना पर उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था। वे चित्रकूट के प्रत्येक गाँव में जाते थे तथा लोगों के साथ बैठकर विवाद का सर्वमान्य हल ढूँढ़ते थे। इससे न्याय त्वरित मिलता था तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्ष शोषण से बच जाते थे। चित्रकूट के आस-पास के गाँवों में इस अनोखी एवं लोकप्रिय पहल का उल्लेख देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ॰ कलाम ने विज्ञान भवन में 11 नवम्बर 2005 को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्बोधन में किया। उन्होंने कहा, ''हाल ही में मैं चित्रकूट स्थित दीन दयाल शोध संस्थान गया था। वहाँ मैंने पाया कि संस्था विवाद-मुक्त समाज की वृहद् परिकल्पना पर कार्यरत है। चित्रकूट के 80 गाँवों का विवाद-मुक्त होना विभिन्न जिलों के लिए अनुकरणीय है। मैं समझता हूँ कि सार्थक प्रयास से चित्रकूट के आस-पास के 80 गाँव विवाद-मुक्त हैं। गाँव-वासियों ने स्वयं निर्णय लिया है कि उनका कोई भी विवाद न्यायालय तक नहीं जायेगा और प्रत्येक विवाद गाँव स्तर पर ही निस्तारित किया जायेगा। नानाजी देशमुख के प्रेरणादायी नेतृत्त्व के कारण यह कार्य सम्भव हो पाया है। इस आंदोलन को विभिन्न सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।''

भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या तथा अकुशल युवाओं की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौशल विकास के कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। नानाजी की दूरगामी सोच का सच्चा उदाहरण उनके द्वारा स्थापित उद्यमिता विद्यापीठ है, जिसकी स्थापना की कल्पना उन्होंने आज के दो दशक पहले की और उसको मूर्त रूप प्रदान करते हुए युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया।

ISBN : 978-81-966958-1-1

चित्रकूट में नानाजी -

जय प्रभा ग्राम में ग्रामीण विकास के अभिनव प्रयोग करते हुए नानाजी अत्यंत पिछड़े क्षेत्र चित्रकूट को अपना कार्यक्षेत्र बनाने हेतु वर्ष 1990 में चित्रकूट आये। चित्रकूट आकर उन्होंने पूज्य संतों से भेंट की तथा यहाँ का अध्ययन किया। स्वामी भगवानानंद ने उन्हें संतों की ओर से सम्पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

चित्रकूट जैसे पिछड़े क्षेत्र में कृषि की स्थिति चिंताजनक थी। कृषि की समस्या के निदानार्थ नानाजी देशमुख ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित इन केन्द्रों को इनके द्वारा किये गये कार्यों के फलस्वरूप कई पुरस्कार मिले हैं तथा उनके कार्यक्रम में सहभागिता एवं जन स्वीकार्यता प्राप्त हुई है।

चित्रकूट क्षेत्र में आदिवासी समाज बहुतायत में है। आदिवासी समाज में अशिक्षा प्रमुख समस्या है। इस समस्या के निदान हेतु नानाजी देशमुख ने गोयनका समूह, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रेदश शासन के सहयोग से आदिवासी बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित किये, जिनमें आज भी आदिवासी बालक एवं बालिकाएँ निःशुल्क आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने सुरेन्द्र पॉल समूह के सहयोग से सुरेन्द्र पॉल ग्रामोदय विद्यालय की स्थापना की जिसमें छात्र-छात्राएँ बारहवीं तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

चित्रकूट के आस-पास के ग्रामीणजन पानी की कमी से परेशान थे। नानाजी देशमुख ने उनके साथ बैठकर इस समस्या का स्थाई समाधान ढूँढने पर बल दिया। निर्णय हुआ कि सहभागी जल संग्रहण प्रबंधन से पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। उनके प्रयास से ग्राम पटनी में वाटरशेड प्रबंधन से गाँव की तस्वीर बदल गयी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. कलाम 6 अक्टूबर 2005 को पटनी ग्राम आये। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा, ''पटनी ग्राम के निवासियों के बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं समझता हूँ कि ग्राम के लोग अपनी मेहनत से ग्राम की हालत सुधारना चाहते हैं। आपने अपने एकजुट प्रयासों से गरीबी का आवरण तोड़ा है। देश के लिए यह अनुकरणीय है। मैं खुश हूँ कि आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। आपकी उपलब्धियों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि एक अरब मजबूत और अच्छी जनसंख्या वाला हमारा देश इन्हें पाने में सफल होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप यह शपथ लें कि, ''मैं भारत के हर ग्राम को सम्पन्न और समृद्ध बनाने के लिए पटनी की उपलब्धियों को अन्य ग्रामों में फैलाऊँगा''। मैं ग्राम समृद्धि की विशेष सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि आपको नानाजी जैसे नेता का मार्गदर्शन मिल रहा है। ईश्वर की आप पर सदा कृपा रहेगी। आप हमेशा ऊँचा सोंचें, जैसे नानाजी ने आपके लिए सोचा है।''

ISBN : 978-81-966958-1-1

डॉ. कलाम पर नानाजी के प्रयोग का प्रभाव -

नानाजी के ग्रामीण विकास मॉडल से डॉ. कलाम इतने प्रभावित थे कि वे चित्रकूट से वापस जाने के बाद भी इसका वर्णन करते रहते थे। नई दिल्ली में 21 अक्टूबर 2005 को 52वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, ''हाल ही में मैं मध्यप्रदेश के चित्रकूट गया था, जहाँ मैं श्री नानाजी देशमुख से मिला। उनकी संस्था दीन दयाल शोध संस्थान एक ऐसे मॉडल का क्रियान्वयन कर रही है जो भारत के लिए उपयुक्त है। सामाजिक उन्नयन एवं समृद्धि तभी सम्भव है, जब युवा आत्म-निर्भर एवं उत्कृष्ट हों। इस रणनीति के साथ दीनदयाल शोध संस्थान 100 ऐसे क्षेत्र बनाना चाहता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में 5 गाँव होंगे। उन्होंने ऐसे 6 क्षेत्रों के 80 गाँव में 50,000 लोगों के साथ मिलकर विकास का कार्य किया है। मैं इनमें से एक पटनी गाँव का चश्मदीद गवाह हूँ, जहाँ पर संस्थान ने तकनीकी पर आधारित सतत् विकास का कार्य किया है, जो अनुकरणीय है तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सहयोगी है। मित्रों! आप नानाजी के गाँव में ज्यादा अभिनेता, ज्यादा खुशी तथा कम दुःख दखेंगें।''

टैगोर एवं गांधीजी के दर्शन का प्रभाव -

नानाजी देशमुख गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर एवं महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्य से प्रभावित थे। ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना में इन दोनों की झलक स्पष्ट दिखती है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रमुख संकायों में एक ग्रामीण पुनर्रचना संकाय का विचार टैगोर के ग्रामीण पुनर्रचना प्रयोग पर आधारित था।

जब नानाजी देशमुख कुलाधिपति थे, तब ग्रामोदय विश्वविद्यालय में उन समस्त विधाओं में शिक्षण-प्रशिक्षण होता था, जिसकी कल्पनाशीलता टैगोर ने अपने शांति निकेतन एवं महात्मा गाँधी ने गुजरात विद्यापीठ में की थी। ग्रामोदय विश्वविद्यालय में उस समय खादी एवं सूती वस्त्र बुनाई, बाँस-बेंत उद्यम, काष्ठ कला, खाद्य प्रसंस्करण से लेकर आधुनिक उद्यम जैसे इलेक्ट्रानिक्स, विद्युत तकनीकी इत्यादि में शिक्षण-प्रशिक्षण किया जाता था। शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र विश्वविद्यालय की परिधि के 50 किमी में प्रसार एवं शोध कार्य करते थे। कालांतर में सरकार से मतभेद के चलते नानाजी ने समाजहित में कुलाधिपति पद से त्यागपत्र दे दिया, किंतु वे विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के प्रति सहयोगी बने रहे।

ISBN : 978-81-966958-1-1

नानाजी देशमुख को महामहिम राष्ट्रपति ने वर्ष 1999 में राज्य सभा की सदस्यता से मनोनीत किया। नानाजी को उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु पद्म विभूषण, महात्मा गांधी सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें अजमेर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, झांसी विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय एवं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ने डी.लिट. की मानद उपाधि दी।

राष्ट्रऋषि नानाजी ने 27 फरवरी 2010 को पूर्णिमा के दिन अपनी कर्मभूमि चित्रकूट में सबको 'सर्व भूत हिते रताः' का पाठ पढ़ाते हुए इस लोक से विदा ली। समाज सेवा के लिए कृत संकल्पित नानाजी ने मृत्यु के बाद देहदान का संकल्प अपने 81वें जन्मदिन पर ले लिया था। देहांत के बाद उनका शरीर चिकित्सा विज्ञान के छात्रों के शोध हेतु आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को समर्पित किया गया।

5.3 सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम मोहद जिला नरसिंहपुर में किया गया कार्य -

हजार से ज्यादा आबादी वाले मोहद गांव की तस्वीर भी आज से दो दशक पहले तक हिन्दुस्तान के आमगांवों से कुछ अलग नहीं थीण् वहां भी भूखए गरीबीए अशिक्षाए नशाखोरीए कलहए जलसंकटए धूल,कीचड़,गंदगी जैसी समस्याएं थीं लेकिन बरसों की कोशिश के बाद इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है,आई एसओ.2000 के आदर्श गांव के तमगे से नवाजे जा चुके इस गांव को आप संस्कृत ग्राम के साथ संस्कार ग्राम और उर्जा ग्राम के विशेषणों के साथ भी पुकार सकते हैं,

मप्र के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के अंतर्गत आने वाला मोहद गांव जहां सारे लोग संस्कृतभाषी हैं। गांव के बच्चे,जवान,बुजुर्ग सभी धाराप्रवाह संस्कृत बोलते हैं। यहां जाने पर लगता है जैसे गांव की हवाओं में संस्कृत की खुशबू फैल रही है। करेली से छह किमी दूर स्थित इस गांव की पहचान संस्कृत भाषा की वजह से है।

25 साल हो गए संस्कृत भाषी गांव बने -

गांव को संस्कृत गांव बने लगभग 25 साल हो गए हैं। मोहद को संस्कृतभाषी गांव बनाने का बीड़ा उठाया था यहां रहने वाले भैयाजी उर्फ सुरेंद्र सिंह चौहान ने। उनके प्रयासों से आज इस गांव की राज्य में एक अलग पहचान है। बतादें कि लगभग 6 हजार की आबादी वाले इस गांव में तीन प्राथमिक स्कूल हैं,जहां संस्कृत की कक्षाएं लगती हैं। इन स्कूलों में व्याकरण सिखाने से ज्यादा संस्कृत में बोल.चाल पर जोर दिया जाता है।

ISBN : 978-81-966958-1-1

देश में 5 संस्कृतभाषी गांव हैं -

मालूम हो कि देश में संस्कृत गांव के रूप में 5 गांवों को जाना जाता है। इनमें से दो गांव मैटूर और होशल्ली कर्नाटक में हैं। तीन गांव मोहदए बगुवार और झीरी मध्यप्रदेश में हैं,एक गांव सासन उड़ीसा में है।

दैनिक इस्तेमाल की चीजों पर संस्कृत की पर्ची -

सबसे पहले संस्कृत भावना को जगाने के लिए बैंगलोर से आई सुचेता बहन ने जबलपुर से संस्कृत शिक्षकों को ले जाकर गांव में कक्षाएं लीं। इसके बाद दिल्लीए बेंगलूरू से संस्कृत साहित्य को गांव में सुलभ कराया। उन्होंने गांव में दैनिक इस्तेमाल की चीजों पर संस्कृत शब्दों की पर्ची लगाई। आज गांव में चौपालए सामूहिक आयोजनों और दूसरे से भेंट होने पर संस्कृत में ही वार्तालाप किया जाता है।

संस्कृत ने गांव के लोगों को बदल दिया

संस्कृत ने यहां रहने वालों का तौरतरीका भी बदला है। करीब 600 परिवारों और 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में दो दशक पहले तक 22 शराब की भटिट्यां चला करती थीं। आज यहां दूध की डेरियां चलती हैं। जिस चौपाल पर लोग जुआ खेलते थेए वहां मुक्ताकाशी वाचनालय चलते हैं। इस गांव की हर कन्या रक्षाबंधन पर वृक्षों को राखी बांधती है। गांव में हर बच्चा स्कूल जाता हैए तो हर किसान बनाता है अपना खाद और बीज। गांव में एक मोहल्ला हरिजनों का भी हैए जहां विराजते हैं गणपति लेकिन स्थापना से लेकर विसर्जन तक कंधा देने वालों में ठाकुर और ब्राह्मण भी पीछे नहीं नहीं रहते।

5.4 अरूण त्यागी द्वारा सीधी एवं अन्य आदिवासी एवं पिछड़ क्षेत्रों में किया गया कार्य -

ग्राम सुधार समिति की स्थापना 1987 में जय प्रकाश विनोवा भावे और सर्वोदय आंदोलन से बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़े श्री फगूलाल धामने और उनके 5 साथियों द्वारा की गई थी। संस्था का एफ. सी. आर. ए. के तहत 1996 में पंजीयन हुआ। अरुण त्यागी ग्राम सुधार समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। समिति के कार्यों को विन्ध्य क्षेत्र के कई जिलों में संचालित करने में उनका बहुत योगदान रहा है। उनका असामयिक निधन स्वच्छिक समुदाय के लिए बड़ी क्षति है ।

सं्स्था ग्राम सुधार समिति एक स्वैच्छिक संगठन है जो मध्यप्रदेश के सीधी, रीवा, सिंगरौली एवं सतना जिले में कार्य कर रही है। संस्था शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य,

ISBN : 978-81-966958-1-1

सामुदायिक संगठन, महिला सशक्तीकरण, पंचायती राज सशक्तीकरण, जैव विविधिता संरक्षण, क्षमता बृद्धि कार्यक्रम, प्रशिक्षण आदि विषयों पर कार्य कर रही है। संस्था का लक्ष्य लोगों में जागरुकता, सामूहिकता एवं सहभागिता बढ़ाकर उन्हें विकास की ओर उन्मुख करना है।

- समता मूलक समाज की स्थापना करना।
- संस्था से संगठन, संगठन से बदलाव।

समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था को ठक्करवापा ट्स्ट पुरुस्कार, रेड एण्ड व्हाइट पुरुस्कार, फ्रेण्डशिप फोरम आफ इण्या (भारत एक्सीलेन्श अवार्ड) नई दिल्ली एवं विवेकानन्द अवार्ड रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली से सम्मानित किया जा चुका है।

समिति का गठन वर्ष 1987 में किया गया। इसका मुख्यालय ब्लाक कालोनी सीधी में स्थित है। साथ ही सतना तथा रीवा जिलों में भी संस्था के कार्यालय स्थित है। संस्था मुख्य रूप से समाज में अति गरीब तथा पिछड़े लोगों के बीच में कार्य कर रही है। संस्था मुख्य रूप से समाज आधारित संस्थाओं के निर्माण में संलग्न है तथा उनके क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही साथ जागरूकता हेतु भी कार्य कर रही है संस्था पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है। जिससे महात्मा गांधी जी के स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना को साकार किया जा सके। संस्क्षा, स्वास्थ्य, वाटरशेड, भूमि विकास, सामुदायिक आंदोलन, भोजन के अधिकार, बालश्रम उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, एच.आई.वी. एड्स, माइक्रो फायनेंस, स्वसहायता समूह के क्षेत्र में कार्य कर रही है संस्था का ऐसा मानना है कि समुदाय आधारित संस्थाओं के माध्यम से समाज में समानता लाई जा सकती है। संस्था गांधी जी के विचारों से अभिप्रेत होकर कार्य कर रही है। संस्था मुख्यतया दशित शोशित तथा पिछड़े लोगों को सहायता प्रदान कर रही संस्था द्वारा महिलाओं की हिंसा के खिलाफ दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन म0प्र0 वालेन्ट्री हेल्प एसोसियेशन के माध्यम से जिलों में किया जा रहा है जिससे समाज में जागरूकता का वातावरण निर्मित किया जा सके और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाया जा सके। संस्था द्वारा सीधी जिले के 100 गांवों में कार्य किया जा रहा है। संस्था द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना रीवा के अंतर्गत 5 विशेष प्रशशक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

ग्राम सुधार समिति ने राजीव गाँधी वाटर सेव मिशन के अन्तगत कई गाँव में जल संरक्षण एवं आजीविका सम्वर्धन पर काम किया है। वर्तमान में समिति को भारत रूरल लाईविलीहुड फॅाउडेंसन एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

ISBN : 978-81-966958-1-1

5.5 दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा चित्रकूट में विकास का समन्वित मॉडल -

ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के राजमार्ग के शिल्पकार युगदृष्टा नानाजी देशमुख ने कहा था हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए हैं अपने वे हैं जो सदियों से पीड़ित एवं उपेक्षित हैं।शायद तभी जब उन्होंने ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के अभिनव प्रयोग के लिए 1996 में स्नातक युवा दम्पत्तियों से पांच वर्ष का समय देने का आह्वान किया तो इस आह्वान पर दूर.दूर के प्रदेशों से प्रतिवर्ष ऐसे दम्पत्ति चित्रकूट पहुंचने लगे थे। चयनित दम्पत्तियों को 15.20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता था।

नानाजी उनसे कहते थे . राजा की बेटी सीता उस समय की परिस्थितियों में इस क्षेत्र में 11 वर्ष तक रह सकती है,तो आज इतने प्रकार के संसाधनों के सहारे तुम पांच वर्ष क्यों नहीं रह सकती?ये शब्द सुनकर नवदाम्पत्य में बंधी युवतियों में सेवा भाव और गहरा होता था तो उनके कदम अपने सुनहरे शहर एवं घर की तरफ नहीं सीता की तरह अपने पति के साथ जंगलों. पहाड़ों बीच बसे गांवों की ओर बढ़ते थे। स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख ने जीवन भर अहर्निश कार्य किया। ग्राम.विकास की अभिनव रूपरेखा प्रस्तुत कर आदर्श ग्राम खड़े किए। चित्रकूट समेत देश के अनेक जनपदों में चल रहीं समग्र ग्राम विकास योजनाएं आज उनकी राष्ट्र साधना की जीवंत साक्षी हैं।

नाना जी किसी बात को केवल कहते ही नहीं थे वरन उसे कार्यरूप में परिवर्तित भी करते थे। आधुनिक युग के इस दधीचि का पूरा जीवन ही एक प्रेरक कथा है। नानाजी उन लोगों में थे जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित करने के लिये संघ को दे दिया। नानाजी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1916 को बुधवार के दिन महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक छोटे से गांव कडोली में हुआ था। नानाजी जब छोटे थे तभी इनके माता.पिता का देहांत हो गया। बचपन गरीबी एवं अभाव में बीता। नानाजी प्रयोगवादी थे। उनके प्रयोगवादी रचनात्मक कार्यों का ही एक उदाहरण है सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर आज भारत की सबसे बड़ी स्कूलों की श्रृंखला बन चुकी है। इसकी नींव नानाजी ने ही 1950 में गोरखपुर में रखी थी। इतना ही नहीं संस्कार भारती के संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं नानाजी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रधर्म का प्रकाशन करने का निर्णय लिया तो पंडित दीनदयाल को मार्गदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी को सम्पादक व नानाजी को प्रबन्ध निदेशक का दायित्व दिया गया। नानाजी ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हुए राष्ट्रधर्म के साथ.साथ'पांचजन्य' व 'दैनिकस्वदेश' का प्रकाशन प्रारम्भ कर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1951 में उन्हें पंडित दीनदयाल के साथ भारतीय जनसंघ का कार्य करने को कहा गया। राजनीति में श्संघर्ष नहीं समन्वयश्ए श्सत्ता नहींए अन्तिम व्यक्ति की सेवाश् आदि वाक्यों को नानाजी ने स्थापित करने की कोशिश की। वह नानाजी ही थेए जो चौधरी चरण सिंह जी और उनके सहयोगियों को कांग्रेस से विरक्त कर सके और उत्तर प्रदेश में

ISBN : 978-81-966958-1-1

पहली साझा सरकार बन सकी। इससे नानाजी की अनुशासन प्रियता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता प्रदर्शित हुई।

वह भारतीय जनसंघ में दीनदयाल उपाध्याय के समकक्ष थे और दोनों में अतीव घनिष्टता थी। नाना जी देशमुख का मानना था जब कोई नेता 60 साल का हो जाए तो उसे राजनीति छोड़कर समाज का काम करना चाहिए। नानाजी जनता पार्टी की मोरारजी के मंत्रिमंडल में कोई बड़ा मंत्रालय मांग सकते थे और चर्चा थी कि वह गृहमंत्री बनेंगे। लेकिन अपने सोच के अनुसार जैसे ही वह 60 साल के हुए राजनीति छोड़ दी और चित्रकूट में एकात्म मानववाद की कल्पना लेकर ग्रामीण विकास के काम में लग गए और जीवन पर्यन्त लगे रहे।

जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने राजनीतिक दल की स्थापना की तो उसके महासचिव बने नानाजी देशमुख और भारतीय जनसंघ ने तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में विस्तार किया। दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन दिनों राष्ट्रधर्म और पांचजन्य नामक पत्रिकाओं के माध्यम से खूब काम किया। चन्द्रभानु गुप्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था यह नाना देशमुख नहीं नाना फड़नवीस हैं। उनका घनिष्ट सम्बन्ध डाॅक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण से रहा था। जब 1967 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी तो नाना जी देशमुख उसके प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे।

नाना जी का मुख्य योगदान राजनीति में नहीं ग्रामोदय में रहा। उनके द्वारा स्थापित चित्रकूट का विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास का मॉडल है। 11 फरवरी 1968 को पंण् दीनदयाल के अकाल निधन के बाद नानाजी ने दीनदयाल स्मारक समिति का पंजीयन कराकर एक नए अध्याय की शुरुआत की। 20 अगस्त 1972 से विधिवत एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत को व्यवहारिक धरातल पर उतारने हेतु दीनदायल शोध संस्थान कार्यालय नई दिल्ली में नानाजी के नेतृत्व में कार्य करने लगा। 1991 में भगवानन्दजी महाराज के आग्रह पर नानाजी चित्रकूट आये। चित्रकूट में करीब 500 गांवों में नैतिक मूल्यों के साथ व्यापक सामाजिक.आर्थिक विकास के लिए वहीं जम गए।

चित्रकूट परियोजना संस्थागत विकास और ग्रामीण विकास के एक मॉडल के रूप में अनोखा प्रयास है। इसमें ऐसे विकास पर जोर दिया गया हैए जो भारत के लिए सबसे उपयुक्त है। वह जनता की शक्ति पर आश्रित है। उन्होंने सिखाया कि शोषितों और उपेक्षितों के साथ एक रूप होकर ही प्रशासन और राजकाज का गुर सीखा जा सकता है। यह भी कि युवा पीढ़ी में सामाज निर्माण की चेतना जगाना अनिवार्य है।

चित्रकूट परियोजना आत्मनिर्भरता की मिसाल है। दरअसल चित्रकूट परियोजना चित्रकूट के आसपास के पांच गांवों के समूह बनाकर सौ गांव समूहों को विकसित करने के लिए तैयार की गई। इसके तहत गांव के हर व्यक्तिए परिवार और समाज के जीवन के हर पहलू पर गौर किया जाता है। इस मुहिम की

ISBN : 978-81-966958-1-1

कुंजी है समाज शिल्पी दंपती। ये दंपती गांव के ही होते हैं और पांच गांवों के समूह में प्ररेणा देने की जिम्मेदारी निभाते हैं। सबसे पहले इनकी आय वृद्धि पर विचार किया जाता है। इसके लिए जरूरत के मुताबिक जल संचयन और मृदा प्रबंधन की तकनीक अपनाई जाती है। साथ.साथ उद्यम कौशल और स्व.सहायता समूह के जरिए आय बढ़ाने के उपाय अलग होते हैं और ये सभी उपक्रम जुड़े होते हैं। ;1- कोई बेकार न रहे ;2- कोई गरीब न रहे ;3-कोई बीमार न रहे ;4- कोई अशिक्षित न रहे ;5- हरा.भरा और विवादमुक्त गांव हो। ग्राम विकास की इस नवरचना का आधार है समाजशिल्पी दम्पत्तिए जो पांच वर्ष तक गांव में रहकर इस पांच सूत्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं।

ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के अभिनव प्रयोग के लिए नानाजी ने 1996 में स्नातक युवा दम्पत्तियों से पांच वर्ष का समय देने का आह्वान किया। पति.पत्नी दोनों कम से कम स्नातक हों आयु 35 वर्ष से कम हो तथा दो से अधिक बच्चे न हों। इस आह्वान पर दूर.दूर के प्रदेशों से प्रतिवर्ष ऐसे दम्पत्ति चित्रकूट पहुंचने लगे। चयनित दम्पत्तियों को 15.20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान नानाजी का मार्गदर्शन मिलता है। नानाजी उनसे कहते हैं. जा की बेटी सीता उस समय की परिस्थितियों में इस क्षेत्र में 11 वर्ष तक रह सकती है तो आज इतने प्रकार के संसाधनों के सहारे तुम पांच वर्ष क्यों नहीं रह सकतींघ्श् ये शब्द सुनकर नवदाम्पत्य में बंधी युवतियों में सेवा भाव और गहरा होता है तो कदम अपने सुनहरे शहर एवं घर की तरफ नहीं सीता की तरह अपने पति के साथ जंगलों. पहाड़ों बीच बसे गांवों की ओर बढ़ते हैं। तब इनको नाम दिया जाता है. समाजशिल्पी दम्पत्ति।

वर्तमान में 40 समाजशिल्पी दम्पत्ति यहां कार्यरत हैं। देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की और नाम रखा चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। सन् 1991 से 1994 तक नानाजी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति रहे।

सारांश (Summary)

1. स्वैच्छिकता में जन अभियान परिषद की भूमिका स्पष्ट हुई।
2. हमने नाना जी के आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन को समझा तथा उनके द्वारा ग्राम विकास के लिए किये गये क्रियाकलापों का अध्ययन किया।
3. सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम नरसिंह में किये गए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
4. आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में किए गए स्वैच्छिक कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हुई।

ISBN : 978-81-966958-1-1

5. चित्रकूट के विकास के लिए दीनदयाल शोध संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा संस्थान द्वारा किये गए कसर्यों का अध्ययन वर्तमान में भी लोग कर रहे हैं।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- समाजशिल्पी- समाज मे रहकर समाज के लिए कुछ करना या परिवर्तन लाना ।
- जन अभियान परिषद- शासन व स्वयंसेवी संस्थाओं को एक साथ-एक मंच पर लाने के अभिनव प्रयास का नाम है
- समतामूलक समाज- ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समभाव हो, जो हर व्यक्ति के प्राकृतिक व संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण रक्षा का भरोसा प्रदान करता हो और हरेक व्यक्ति को समाज में यथोचित सम्मान पाने के सभी अवसर समान रूप से उपलब्ध कराता हो।

स्व–मूल्यांकन(Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -**
  1. जन अभियान परिषद का अर्थ,परिभाषा व विशेषतए स्पष्ट करें?
  2. नाना जी सामाजिक चिंतन से आप क्या समझते है?विस्तार से समझाये।
  3. सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम नरसिंह में किये गए कार्यों का उल्लेख करे?
  4. अरूण त्यागीजी ने आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में कौन से कार्य किये?स्पष्ट करे ।
  5. दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा विकास के लिए किए गए कार्यो का वर्णन करें?
- **लघु उत्तरीय प्रश्न -**
  1. जन अभियान परिषद का अर्थ,परिभाषा को स्पष्ट करे ।
  2. नाना जी के सामाजिक चिंतन से आप क्या समझते है?
  3. नाना जी के आर्थिक चिंतन से आप क्या समझते है ?
  4. सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम नरसिंह में किये गए कार्यकौन-कौन से है ?
  5 अरूण त्यागीजी ने आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में कौन से कार्य किये?
- **अति लघु उत्तरीय प्रश्न -**
  1 जन अभियान परिषद का अर्थको स्पष्ट करे ।
  2 नाना जी के लिए सामाजिक क्या था ।
  3 दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा विकास के लिए किए गएकोई दो कार्योका वर्णन करे ।

ISBN : 978-81-966958-1-1

4 अरूण त्यागी जी ने आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में कौन से कार्य कियेहैं। किसी एक का वर्णन करे।

5 सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम नरसिंह में किये गएकार्यो मे से किसी एक का वर्णन करे।

प्रदत्त कार्य(Assignment)

1. नाना जी के आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन तथा क्षेत्रीय कार्यों का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
2. सुरेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम नरसिंह में किये गए कार्यों का अध्ययन किया और पाया कि समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
3. हमने सीधी एवं अन्य आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में किये गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की और पाया कि आदिवासी क्षेत्रों में अरूण त्यागी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।
4. दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा चित्रकूट के विकास के लिए चलाए गये कार्यों का अध्ययन किया एवं जानकारी प्राप्त की।

संदर्भ(References)

- देवपुर प्रतापमल (2011): ''ग्रामीण विकास और स्वयं सेवी संगठन'', योजना, नवम्बर।
- मैथ्यू जोमोन एवं वर्गीज जोबी (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों पर विहंगम दृष्टि'', योजना, नवम्बर।
- जैतू हर्ष (2011): ''भारत में गैर सरकारी संगठनों का भविष्य'', योजना, नवम्बर।
- जैन, जे.के. (1993): ''व्यावसायिक प्रशासन एवं प्रबंध'', कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- समर्थन-सेन्टर फाॅर डेवलपमेंट सपोर्ट की स्वैच्छिक संगठनों की पुस्तिका।
- टण्डन, राजेश (1993): ''स्वयं सेवी संगठनों का प्रबंधन'', प्रिया, नई दिल्ली।
- शुक्ल एस.एम. एवं गुप्त एस.पी. (2011): ''^^Advanced Accounting**साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
- M.P. Societies Registration Act 1973 and Rules 1999.
- Foreign Contribution & Regulation Act., 2010.
- ''कार्यक्रम का मूल्यांकन'', यू.पी.वी.एच.ए.
- मोतिहर, एम. एवं अग्रवाल, अमित (2008),: ''क्रियात्मक प्रबंध'', प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

ISBN : 978-81-966958-1-1

- करात प्रकाश (1988): ''विदेशी अनुदान तथा स्वैच्छिक संगठनों का दर्शन'', दि माक्सिस्ट।
- ''संस्थागत रणनीति का निर्धारण'', समर्थन भोपाल
- पेत्रास, जेम्स एवं वेल्तमेयर हेनरी (2003): ''ग्लोबलाइजेशन अनमास्क्ड''
- मिश्र, विश्वनाथ एवं सिंह, अरविन्द (2006): ''एन.जी.ओ.-एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र'', राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
- मिश्र, दीनानाथ (2006): ''संघ के सेवा कार्यों की अनुदेखी'', दैनिक जागरण
- रोल्योक्स, जोन (1995): ''गैर-सरकारी, स्वयं-सेवी संगठनों और दाता एजेंसियों का असली चरित्र'', मंथली रिव्यू, वर्ष-47, अंक-5.
- करात, प्रकाश (1988): **"Foreign funding and the philosophy of voluntary organizations", National Book Centre, New Delhi.**
- ''गैर-सरकारी संगठनों का विकास एवं प्रबन्धन'', महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट की सतत एवं दूरस्थ शिक्षा पुस्तिका।
- वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010, 2012, 2014 एवं 2016, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- ''स्वैच्छिक संगठन लोक तंत्र की तीसरी आँख'', दैनिक जागरण, 13 नवम्बर, 1954

वेब संदर्भ (Web References)